हिंदी

TRUST ★★★★★

NEON CLASSES

THE LEADER IN TEST PREPARATION

GODFATHER

TOPPER'S HANDBOOK

राजनीति शास्त्र

FOR QUICK REVISION

HIGHLY USEFUL FOR :

SSC-CGL, CPO, CHSL, STENO, MTS, GD, JEN, RRB NTPC, GROUP D & Other Competitive Exams.

- Key Notes & Formulas
- Definitions & Terminology
- Derivation & Precise Theory
- Concept Clarified with Maps
- 10^{+} Years PYQs
- Updated Till June, 2023

1st Rajasthan

AIR-24
SSC (CGL)-2011

FOR VIDEO SOLUTIONS :
Join Neon Classes YouTube channels.

Raja Sir
Income Tax Inspector
17 Years' teaching experience
• CAT • GMAT • UPSC • SSC • BANK

Thank you for your order.

Please leave us a Review &

5 STAR RATING ★★★★★

on amazon | Flipkart

Inderpreet kaur

★★★★★ **BEST CONTENT SHORT AND PRECISED VALUE FOR MONEY**

Reviewed in India

Verified Purchase

This book is THE BEST. In a layman language Mam has covered the concepts in such a way that even the person who is not good at English can very well understand the concepts and score high in Exams. Thank u Mam! Thank u Neon Team.I highly recommend this book

arun kumar

★★★★★ **Word power**

Reviewed in India

Verified Purchase

Really a good book,ideal for aspirant preparing for any of the government examination, and let me tell you if you are weak in english speaking it doesn't, matter but if you are week in your vocabulary it will really matter,at any of the written examination.

AMET KANOJIAA

★★★★★ **Nice explanation with linking word**

Reviewed in India

Verified Purchase

Best book for PARAJUMBLED in the market. Mam has explained everything in details. I am learning a lot from this book. Thanks mam

SSC all exams (CGL, CHSL, CPO, STENO, MTS & GD), BANK, RAILWAY की तैयारी के लिए Maths, English, G.K., G.S. & Reasoning (All Subjects) के Previous Years Questions के Concept तथा Analysis को Innovative Method से जानने और समझने के लिए हमारे YouTube Channel #Neon Classes को subscribe करें।

NEON CLASSES

For any assistance please call:

9828728833, 9828140044

Copyright © Neon Classes

All right reserved. No part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author. Any person who does any unauthorised act in relation to this production may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Click Here To Join our Telegram Channel

Rs. 66/-

Published & Distributed by :-

NEON CLASSES

264, 2nd Floor, Above HDFC Bank,
Opposite Pooja Tower,
Gopalpura Bypass Road, Jaipur
Contact No.: **9828728833/34**
Email : neonclasses007@gmail.com

Manisha Bansal Ma'am
(Director & Author)
13 Year's Teaching Experience
• CAT • GMAT • GRE • SSC • BANK

AIR-24
SSC (CGL)-2011

Raja Sir
Income Tax Inspector
17 Year's Teaching Experience
• CAT • GMAT • UPSC • SSC • BANK

Manisha Bansal Ma'am के 13 साल के Teaching Experience के दौरान लाखों बच्चों से उनके Interaction और बच्चों की English की Problems को समझकर बहुत मेहनत से ये Books तैयार की हैं।

इन Books को पढ़कर लाखों बच्चों ने अपना Improvement किया है और सरकारी नौकरी प्राप्त की है।हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इन Books को पढ़कर सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे।

Manisha Ma'am आपसे एक रिव्यू/रेटिंग की अपेक्षा करती हैं।

★★★★★ **VOCAB IS NOW FUN**
Reviewed in India
Verified Purchase

5★ Perfect product! ★★★★★
Nic book and good explain ...

Certified Buyer, Kanpur

आपका एक रिव्यू & रेटिंग हमारे लिए उत्साहवर्धक है इससे हमें Motivation मिलता है। इसके अलावा आप अपने रिव्यू का Video बनाकर इस नम्बर 9828728833 पर WhatsApp करें।

आपके रिव्यूज में है दम.....
सरकारी नौकरी लेकर ही रहेंगे हम...

Available on : amazon | Flipkart

Click Here To Join our
Telegram Channel

@apna_pdf

Roma Invicta Arya

@apna_pdf

Click Here To Join our Telegram Channel

@apna_pdf

Index

क्रम संख्या	शीर्षक	उप शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	संवैधानिक विकास	रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, 1853 का चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश ताज अधिनियम 1858–1947, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, महत्वपूर्ण तथ्य	1-2
2	संविधान का निर्माण	संवैधानिक सभा गठन के प्रमुख बिंदु, अंतरिम सरकार 1946, स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट, भारतीय संविधान सभा चुनाव, संविधान सभा के सत्र, संविधान समिति, मसौदा समिति, विभिन्न अनुसूचिया, संघ राज्य और समवर्ती सूची, भारतीय संविधान के विभिन्न पार्ट्स	3-7
3	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं	लिखित और विस्तृत संविधान, सर्वोच्च संविधान , कठोर और लचीला संविधान, भारत का संविधान संघीय से अधिक एकात्मक है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकारों की उपस्थिति, मौलिक कर्तव्यों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, उद्देश्य के रूप में कल्याणकारी राज्य की स्थापना, , विभिन्न स्रोतों से तैयार किया गया संविधान, संविधान के स्रोत, महत्वपूर्ण तथ्य	8-10
4	भारतीय संविधान की प्रस्तावना	प्रस्तावना के तत्व, स्वीकार करने की तिथि प्रस्तावना का महत्व	11
5	संघ और उसके क्षेत्र	अनुछेद (1 से 4), भारत में राज्यों का गठन, एस.के. धर आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, एक राज्य के आवश्यक तत्व,याद रखने योग्य तथ्य	12 – 13
6	नागरिकता	अनुछेद (5 से 11), याद रखने योग्य तथ्य	14
7	मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 12 से 35,मौलिक अधिकारों का निलंबन, याद रखने योग्य तथ्य	15 – 18
8	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	अनुच्छेद 36 से 51, याद रखने योग्य तथ्य	19 – 20
9	संघीय कार्यपालिका	भारत के राष्ट्रपति, चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य, चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, राष्ट्रपति की सूची, उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति की सूची, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य, भारत के प्रधान मंत्री की सूची, याद रखने योग्य तथ्य	21 – 27
10	केंद्रीय विधायिका (संसद)	संसद, राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा के लिए योग्यता, लोकसभा के लिए योग्यता, संसद का सत्र, संसद में महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संसद में विधायी प्रक्रिया, संसद के पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्ति और कार्य, लोकसभा अध्यक्ष की सूची, संसद में बजट, संसद की शक्ति और कार्य, लोक सभा के संबंध में राज्य सभा की विशेष शक्तियां, संसद और राज्य विधानसभा में सीट के आवंटन की सूची, लोकसभा की अवधि, संसद से संबंधित लेख एक नजर में,संसदीय समितियां, याद रखने योग्य तथ्य	28 – 38
11	संघ न्यायपालिका	सर्वोच्च न्यायालय	39 – 41
12	राज्य कार्यपालिका	राज्यपाल, राज्यपाल की शक्ति और कार्य, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य,	42 - 44
13	राज्य विधायिका	विधान परिषद की संरचना, विधान सभा, विधान सभा सदनों के लिए योग्यता, राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी,	45
14	राज्य न्यायपालिका	हाईकोर्ट, तथ्य याद करने के लिए	46 – 47
15	स्थानीय स्वशासन	परिचय, पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समितियां 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका	48 – 49
16	संवैधानिक निकाय	निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर राज्य परिषद	50- 52
17	गैर–संवैधानिक निकाय	लोकपाल और लकायका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग,योजना आयोग अथवानीति आयोग,क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग,केंद्रीय सूचना आयोग,राष्ट्रीय विकास परिषद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग,	53-55
18	प्रमुख संवैधानिक संशोधन	प्रथम संशोधन से अधतन	56-60

@apna_pdf

1. संवैधानिक विकास

ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ई. में हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमती महारानी ऐलिजाबेथ द्वारा 1600 ई. में प्रदान की गई।

(SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)

कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये जो निम्न प्रकार से हैं–

नोटः– भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

- इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कैंपनी अधिनियम 1774 के नाम से भी जाना जाता है।

(SSC CAPFs SI & NIA 05.03.2019)

- ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यो को नियंत्रित व नियमित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
- बंगाल के गर्वनर को बंगाल का गर्वनर जनरल बनाया गया
- लॉर्ड ''वारेन हेस्टिंग'' बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के लिये एक कार्यकारी परिषद् की स्थापना की गई जिसमें चार सदस्य नियुक्ति किये गये इसमें कोई अलग से विधान परिषद् नहीं थी।
- बंबई व मद्रास के गर्वनरों को बंगाल के गर्वनर जनरल के अधीन कर दिया गया।
- फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपेक्स (शीर्ष) न्यायालय के रूप में की गयी।

(SSC CHSL 16.11.2014)(RRB NTPC 04.01.2021,)
(SSC CPO 11.11.2022)

नोटः

एलिजा ऐम्पे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।

तीन अन्य न्यायाधीश थे–

1. लॉर्ड जॉन हाइड
2. लॉर्ड रॉबर्ट चेम्बर्स
3. लॉर्ड स्टीफन सीजर लेमेत्रे

- कंम्पनी के नौकरशाहों को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी।
- राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई।

कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या – 24

- ईस्ट इंण्डिया कम्पनी को 20 वर्षो के लिए व्यापारिक अधिकार दिये गये।

Pitt's India Act 1784 :

- कम्पनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यो को अलग – अलग कर दिया गया
- वाणिज्यिक कार्यो के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यो के लिए बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की स्थापना की गई।
- गवर्नर जनरल परिषद् की सदस्य संख्या कम करके 3 सदस्यीय कर दी गयी।
- भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया।
- भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया
- मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई

चार्टर एक्ट– 1793

- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिये गये।
- 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना हुई।

चार्टर अधिनियम 1813

- केवल 2 व्यापारिक अधिकारो (चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार) को छोडकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिये गये।
- भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा इसे सम्पूर्ण ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया।

(RRB NTPC 31.01.2021)

चार्टर अधिनियम 1833

- बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।

नोटः– भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ''लॉर्ड विलियम बेंटिक'' थे।

- यह केंद्रीकरण की दिशा मे प्रथम कदम था
- अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी।

चार्टर अधिनियम 1853

- ईस्ट इण्डिया कम्पनी का केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्य हटा दिये गये।
- 1853 में पहली बार आई सी एस के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई ।

सिविल सर्विस डे – 21 अप्रैल

- गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका कार्यो को अलग–अलग कर दिया।
- केन्द्रीय विधान परिषद् में 6 सदस्य कर दिये गये इन 6 सदस्यों में से 4 को बंबई, मद्रास, बंगाल व आगरा की प्रान्तीय सरकारों को नियुक्ति के लिए दिया गया।
- सिविल सेवकों की भर्ती के लिये प्रतियोगिता प्रणाली से अवगत करवाया गया।
- 1853 – आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा शुरू की गई।

ताज का शासन 1858 से 1947

- भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया जो 1857 की क्रान्ति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह कहा गया।
- इस अधिनियम ने ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित की थी। अंग्रेजी ताज नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण था।

भारत शासन अधिनियम 1858

- भारतीय परिषद् में एक सदस्य 'भारत सचिव' की नियुक्ति की गई जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था।

(SSC CGL Pre. 09.12.2022)

- इसे "भारत की अच्छी सरकार" के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- गर्वनर जनरल को वायसराय बना दिया गया

नोटः– लॉर्ड केनिंग प्रथम वायसराय थे।

- बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया
- इस अधिनियम ने भारत सरकार की शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया, और भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया

(SSC CPO Exam. 06.06.2016)
(SSC CGL Pre. 2022, 05.12.2022)

भारत परिषद अधिनियम 1861

- 1860 पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया
- इनकम टैक्स की शुरूआत की गयी
- लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आयकर की शुरुआत की गई थी
- प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया व गवर्नर जनरल की कार्यकारी व विधान परिषद् जैसी संस्थाओ में भारतीयों की नियुक्ति की गई।
- 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्ति किया गया।
- केन्द्र व प्रान्तों में विधान परिषद् की स्थापना की गई
- बंबई व मद्रास प्रांतों को शक्तियां देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरु की।
- भारत में महालेखा परीक्षक की शुरुआत 1860 में हुई थी।

(SSC CHSL 16.11.2014)

भारत परिषद अधिनियम 1892

- प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनावों से परिचय करवाया गया।
- विधान परिषद् का आकार बढ़ा दिया गया और विधान परिषद सदस्यों का आकार 6 से बढ़ाकर 16 कर दिया
- विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व बजट पर चर्चा करने व कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया।

भारत परिषद अधिनियम 1909

- इस अधिनियम को मार्ले–मिन्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
- (लॉर्ड मार्ले भारत सचिव तथा लॉर्ड मिन्टो तत्कालीन वायसराय थे)

@apna_pdf

- विधान परिषद् के लिये प्रत्यक्ष चुनाव करवाये गये तथा प्रथम बार प्रतिनिधिक लोकतंत्र से परिचय करवाया गया ।

(SSC STENO 12.09.2011)

- केन्द्रीय विधान परिषद् में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरूआत की गई तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई।

(SSC CGL 02.09.2016)
(RRB NTPC 29.12.2020)

- प्रथम बार वायसराय की परिषद् में भारतीयों की नियुक्ति की गई (सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य नियुक्त किया गया)।

भारत सरकार अधिनियम 1919

- इस अधिनियम को मोटेंग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना गया (मोटेंग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे)
- केन्द्रीय विषयों का सीमांकन किया गया व उन्हें प्रान्तीय विषयों से अलग किया गया ।
- दोहरी शासन योजना के तहत प्रान्तों में द्वैध शासन की शुरूआत की गई ।
- द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रान्तीय विषयों को दो भागों में बांटा गया

  (i) हस्तांतरित (ii) आरक्षित
- आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर विधानपरिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं था।

(SSC CAPFs CPO SI & ASI, DELHI POLICE SI 20.03.2016)

- प्रथम बार केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया।
- राज्य परिषद् में 60 सदस्य तथा विधानपरिषद में 140 सदस्य कर दिये गये।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरूआत की गई।
- केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया
- इस अधिनियम ने राज्य परिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया।
- पहली केंद्रीय विधान सभा जो भारत के लिए एक विधायिका थी , 1920 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाई गई।

(SSC MTS 23.02.2014)

- भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियम को हस्तान्तरित नियम के रूप में जाना जाता था।
- 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यह वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता था।

भारत सरकार अधिनियम 1935:

- यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है, यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था। भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए 1928 में ब्रिटिश भारत पहुंचे

(SSC CGL 21.04.2013)
(SSC CGL06.06.2019)

- संघात्मक सरकार की स्थापना की गई । प्रान्तों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था
- अधिनियम द्वारा केन्द्र व उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया।

(i) संघ सूची (59 विषय)
(ii) प्रांतीय सूची (54 विषय)
(iii) समवर्ती सूची (36 विषय)

- प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया व प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। और केंद्र और प्रांत के बीच कानूनी शक्तियों के वितरण के लिए भी प्रावधान किया।

(SSC FCI 11.11.2012)
(SSC CPO 09.12.2019)
(SSC CGL 13.08.2021)

- इस समय छः प्रान्त थे– असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास व संयुक्त प्रान्त।
- 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का अधिकतम प्रतिनिधित्व था

(RRB NTPC 02.02.2021)

- संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- भारत परिषद् को समाप्त कर दिया गया।
- केन्द्र में '**द्वैध शासन**' की शुरूआत की गई।

(SSC CAPFs CPO Si & ASi, DELHI POLICE SI EXAM. 20.03.2016)

- अवशिष्ट शक्तियां गर्वनर जनरल को दी गयी।
- भारत का संविधान अधिकांश संस्थागत ढांचा और प्रक्रिया विवरण को ब्रिटिश संविधान सरकार से अपनाता है। अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव था

(SSC CGL 27.2.2000)
(SSC MTS 27.10.2021)

- 1937 में प्रांतीय विधायिका और मंत्रालयों का चुनाव हुआ
- दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को "दासता का नया चार्टर" बताया

(SSC CGL 21.04.2013)

भारत स्वतंत्रता अधिनियम , 1947

- इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा भारत को दो प्रभुत्व वाले राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था।
- केन्द्र व राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया।
- वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे गये (संविधान और विधायी)
- विधायका को एक संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जुलाई 1947 में ब्रिटिश शाही स्वीकृति प्राप्त हुई।

(SSC CGL Pre. 07.12.2022)

महत्वपूर्ण तथ्य:

- चार्टर अधिनियम 1833 से पहले के अधिनियमों को 'नियम' व बाद वालों को 'अधिनियम' कहा गया।
- लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया लेकिन जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां बाद में कॉर्नवॉलिस द्वारा प्रदान की गई।
- लॉर्ड मेयो के वित्तीय विकेन्द्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया (1870) ।
- 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थानीय स्वशासन के ''मैग्नाकार्टा'' के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय 'स्वशासन के जनक' के रूप में जाना जाता है।
- 1909 के अधिनियम से पहले 1833 चार्टर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था
- अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित की गई कार्यकारी परिषद् 1947 तक वायसराय को सलाह देती थी तथा मौजूदा कार्यकारी परिषद् (मंत्रिपरिषद) उसी कार्यकारी परिषद् का प्रतिरूप है।
- विधान परिषद् व विधानसभा आजादी के बाद राज्यसभा व लोकसभा के रूप में विकसित हुई।
- 1800 में किंग, जॉर्ज ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की

(RRB NTPC 13.01.2021)

- भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था ब्रिटेन में 'लेबर पार्टी सरकार' ने दबाव में कैबिनेट मिशन(1946) भारत भेजा।

(RRB NTPC 24.07.2021)

Neon Classes @apna_pdf lasses Neon Classes

2. संविधान निर्माण

संविधान सभा के गठन से पहले याद रखने योग्य बिंदु -

- भारतीय संविधान की प्रथम मांग 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिली।
- 1922 में प्रथम बार गाँधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा।
- प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट(1928) के माध्यम से किया गया।
- नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी, जब लार्ड बीरकेनहेड, भारत के राज्य सचिव ने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था।

(SSC CHSL 13.10.2020)

- भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था और इसके साथ ही संविधान की आवश्यकता और भारत की संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सबसे पहले श्री एम.एन. 1934 में रॉय, और 1935 में यह कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई।

(SSC (10+2) STENOGRAFER 31.07.2016)
(SSC CHSL 12.08.2021)
(RRB NTPC 28.12.2020)

- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान से संविधान सभा की मांग की।
- 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा।
- भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया।
- 1942 में "सर स्टेफर्ड क्रिप्स" की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया । इसने कहा कि भारतीय संविधान सभा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित की जाएगी परन्तु इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ।

(RRB NTPC 04.02.2021)

- अंततः मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया जिसमें तीन ब्रिटिश सदस्यों थे –

(i) पैथिक लॉरेंस (अध्यक्ष)
(ii) सर स्टेफर्ड क्रिप्स
(iii)ए.वी. ऐलेक्जेंडर

(RRB NTPC 29.12.2020)
(RRB NTPC 14.03.2021)

कैबिनेट मिशन की सिफारिशें:

कैबिनेट मिशन की योजना 1946 भारत की संविधान सभा के गठन का आधार थी

(RRB NTPC 29.01.2021)

1. संविधान सभा, भारतीयों द्वारा बनायी जाएगी।

(SSC CPO 06.09.09)
(SSC CHSL 09.11.2014)
(SSC CHSL 16.01.17)
(RRB NTPC 28.01.2021)

2. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे।

292 – ब्रिटिश प्रान्तों से
93 – देशी रियासतों से
4 – (केन्द्र शासित प्रदेशों से)
(i) अजमेर, (ii) कुर्ग (कर्नाटक),
(iii) बलूचिस्तान (पाक) (iv) दिल्ली

3. संविधान सभा के सदस्य जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग और मोटे तौर पर 1:10, 00,000 के अनुपात में थे(10 लाख)
4. प्रान्तों की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों में बाँटा गया

(i) मुस्लिम (ii) सिख व (iii) सामान्य
प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया।

5. संविधान बनाये जाने तक सभी दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे

(SSC CHSL 13.10.2020)

अंतरिम सरकार 1946

क्र. सं	सदस्य	विभाग
1.	जवाहर लाल नेहरू	प्रधानमंत्री, विदेशी मामले, राष्ट्रमण्डल संबंध,
2	सरदार वल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना और प्रसारण
3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य और कृषि
4	डॉ. जोन मथाई	उद्योग व आपूर्ति
5	जगजीवन राम	श्रम
6	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
7	सी.एच. भाभा	कार्य, खान, ऊर्जा
8	लियाकत अली खान	वित्त
9	अब्दुर राब निश्तार	डाक तथा वायु
10	आसिफ अली	रेलवे व यातायात
11	आई.आई. चुंदरीगर	वाणिज्य
12	सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा व कला
13	गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
14	जोगिन्दर नाथ मण्डल	कानून

स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट:–

क्र. सं	सदस्य	विभाग
1	जवाहर लाल नेहरू	प्रधानमंत्री, वैदेशिक संबंध,राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान
2	सरदार वल्लभाई पटेल	गृह, सूचना प्रसारण
3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य व कृषि
4	मौलाना अबुल कलाम	शिक्षा
5	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे व यातायात
6	आर. के. शन्मुखम	वित्त
7	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	कानून/ विधि
8	जगजीवन राम	श्रम
9	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10	राजकुमारी अमृता कौर	स्वास्थ्य
11	सी.एच. भाभा	वाणिज्य
12	रफी अहमद किदवई	संचार
13	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग व आपूर्ति
14	वी.एन. गोडगिल	कार्य व ऊर्जा

भारतीय संविधान सभा के लिए जून– जुलाई 1946 में चुनाव हुए।

- 1951–52 में आयोजित संसद का पहला आम चुनाव,इसने अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से पहली लोकसभा का चुनाव किया

(SSC STENOGRAPHER 21.04.2017)
(RRB NTPC17.01.2021) (RRB NTPC03.02.2021)

संविधान सभा के चुनाव का परिणाम:–

क्र.सं	दल	सीटें
1.	कांग्रेस पार्टी	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	निर्दलीय सदस्य	8
4.	अन्य दल	7
	कुल	296

- देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया इसलिए 93 सीटें खाली रही।
- मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया व अलग पाकिस्तान की मांग की।
- महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

(SSC JUNIOR ENGINEER 24.01.2018)

- सर बी एन राव को 1946 में संवैधानिक सभा सलाहकार नियुक्त किया गया था

(SSC MTS 07.08.2019)

संविधान सभा के कार्य

@apna_pdf

(i) प्रथम बैठक – 9 दिसंबर 1946

(SSC CPO SI, ASI 06.06.2016)
(SSC MTS 18.102021)
(RRB NTPC 03.03.2021)

कार्य– ''डॉ. सचिदानंद सिन्हा'' को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 23.01.2018)
(SSC CPO 23.11.2020)
(RRB NTPC 17.02.2021)
(RRB NTPC 04.03.2021)

(ii) दूसरी बैठक – 11 दिसंबर 1946 को

कार्य – स्थाई अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया

(SSC CML 24.10.99)
(SSC CML 21.05.2000)
(SSC CML 30.07.06)
(SSC TAX ASSISTANT 25.11.2007)
(SSC CGL 26.06.2011)
(SSC FCI 05.02.12)
(RRB NTPC 20.10.2021

उपाध्यक्ष – H.C. मुखर्जी को बनाया गया

(RRB NTPC 11.02.2021)
(RRB NTPC 05.04.2021)

संवैधानिक सलाहकार – ''बेनेगल नरसिम्हाराव'' को बनाया गया

तीसरी बैठक – 13 दिसंबर 1946 को

कार्य – जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया व संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ।

(SSC CISF CONSTABLE (GD) 05.06.2011)
(RRB NTPC 14.03.2021)

नोटः– उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया । इसके परिमार्जित और परिष्कृत स्वरुप को ही "संविधान की प्रस्तावना" के रुप में स्वीकार किया गया।

- माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम का निर्माण किया गया जिसके द्वारा भारत को दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया।
- विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे।
- संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जो 114दिन चले।

संविधानसभा के सत्र

प्रथम सत्र = 9 – 23 दिसंबर 1946
द्वितीय सत्र = 20 – 25 जनवरी 1947
तीसरा सत्र = 28 अप्रैल से 2 मई 1947
चौथा सत्र = 14 – 31 जुलाई 1947
पाँचवा सत्र = 14 – 30 अगस्त 1947
छठा सत्र = 27 जनवरी1948
सातवाँ सत्र = 4 नवबंर 1948 से 8 जनवरी 1949
आठवाँ सत्र = 16 मई से 16 जून 1949
नवाँ सत्र = 30 जुलाई से 18 सितम्बर 1949
दसवाँ सत्र = 6 – 17 अक्टूबर 1949
ग्यारहवाँ सत्र = 14 – 26 नवबंर 1949

- **संविधान के निर्माण के दौरान कुछ समितियाँ बनाई गयी थी**

संविधान की समितियाँ

समिति का नाम	समिति का अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
संघ संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत)	जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान *(SSC MTS 30.08.2019)*	सरदार पटेल
मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति	सरदार पटेल
मौलिक अधिकार उप समिति	के. एम. मुंशी
अल्प संख्यक उप समिति	जे. बी. कृपलानी
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
झण्ड़ा समिति	जे. बी. कृपलानी

प्रारूप समिति

- संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था।

(SSC CPO, 21.06.2015)
(SSC MTS Exam, 09.08.2019)
(RRB NTPC 14.03.2021)

प्रारूप समिति के सात सदस्य थे।

(i) बी. आर. अम्बेड़कर (संविधान के जनक तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष)

(SSC MTS 27.02.2011)
(SSC CAPFs SI & ASI 04.07.2017)
(SSSC CGL 16.09.2017)
(SSC CGL 09.08.2019)
(SSC CGL 21.08.2019)
(SSCCHSL (10+2) 18.03.2020)
(RRB NTPC 29.12.2020)

(ii) गोपाल स्वामी आयंगर

(RRB NTPC 13.01.2021)

(iii)अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
(iv) सैय्यद मोहम्मद शाहदुल्ला

(RRB NTPC 13.01.2021)

(v) के. एम. मुशी (प्रस्तावना को भारतीय संविधान की "राजनीतिक कुंडली" के रूप में वर्णित किया)

(SSC CHSL 13.10.2020)
(RRB NTPC 13.01.2021)

(vi) माधव राव (बी. एल. मित्रा के स्थान पर)
(vii) टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खैतान की जगह)

- मसौदा समिति ने 4 नवंबर, 1947 को विधानसभा को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। 25 नवंबर 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पूरा भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया, वह मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे।

(SSC CAPF SI, CISF ASI & Delhi POLICE 21.06.15)

- संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया था और कुल 15 महिला प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा थीं।
- अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को अपनाया गया, संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया, जिसे भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में "संविधान दिवस" के रूप में मनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में संविधान को जाना जाता है

(SSC SECTION OFFICER 10.12.2006, 15.01.2017) (SSC CGL 27.02.2000, 26.06.2011), SSC 10+2 04.02.2011), (CBE 15.01.17) (SSC MTS, 17.03.2017, 19.08.19 06.10.21) (RRB NTPC 29.12.2020, 30.01.2021, 09.02.2020, 10.02.2020) (SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022)(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

- संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुई जहाँ पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
- संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए।

(SSC CHSL 16.04.2021)

- आधिकारिक प्रतियाँ दो भाषाओं, हिन्दी व अंग्रेजी में थी
- अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार 1950 में अपनाए गए संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए (अर्थात 25 जनवरी 1965 तक) संघ के आधिकारिक व्यवसाय के लिए अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग किया जाएगा।

(RRB NTPC 11.03.2021)

- वर्ष 1965 में लागू राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 343 (3) के तहत संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा।

(RRB NTPC 04.01.2021)

- संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

(SSC CHSL 12.10.2020)

- एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति थी जब संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था।
- संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा लगभग 64 लाख का व्यय हुआ। संविधान "प्रेम बिहारी नारायण रायजादा" द्वारा हस्तलिखित किया गया था, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 395 लेख, 8 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना हाथ से लिखने में छह महीने का समय लिया।

(SSC MTS 14.10.2021) (SSC CONSTABLE (GD) 02.03.2019) (RRB NTPC 07.01.2021, 02.02.2021) (SSC CPO 2022, 09.11.2022)

- नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल प्रति के सौंदर्यीकरण और सजावट का ऐतिहासिक कार्य अपने हाथ में लिया

संविधान सभा के अन्य कार्य :

- मई 1949 को भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना।
- राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
- राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई से ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होना चाहिए और अशोक चक्र में नीले रंग के साथ 24 तीलियां होती हैं।

@apna_pdf lasses Neon Classes

- राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को पिंगाली वेंक्य्या द्वारा डिजाइन किया गया था

(SSC MTS Exam, 09.08.2019, 05.08.2019) (RRB NTPC 13.03.2021)

- राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
- भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक हाथी, एक सरपट दौड़ने वाला घोड़ा, एक बैल और शेर की उच्च आकृति है जो बीच के धर्म चक्रों से अलग है और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है जो मुंडका उपनिषद से लिया गया था।
- राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, यह मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था।

(SSCCHSL 02.11.2014) (SSC MTS 06.08.19, 07.08.2019)

- भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने का समय 52 सेकंड है

(SSC CGL 20.07.2014) (SSC TAX ASSISTANT 05.12.2004) (RRB NTPC 12.03.2021)

- 1950 में इसके अधिनियमित होने के बाद से 104 बार संशोधनों के कारण वर्तमान में भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं, भारतीय संविधान में अब तक 127वीं बार संविधान संशोधन किया गया है।

(SSC JUNIOR ENGINEER 04.09.2016) (SSC TAX ASSISTANT 14.12.2008, (SSC INVISILATOR 12.09.2010) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 04.07.2017 06.07.2017) (SSCCGL 10.12.2006) (SSCMTS 05.08.2019, 06.08.2019) (RRB NTPC 21.01.2021, 23.01.2021)(SSC CONSTABLE GD 24.01.2023,25.01.2023)

भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं जो वर्तमान में 12 हैं

(SSC SECTION OFFICER10.12.2006) (SSC CGL 11.01.2017), (SSC CAPFs ASI & Delhi police SI Exam, 06.07.2017), (SSC GD 02.03.2019), (SSC MTS 05.08.2019),

संविधान एक दस्तावेज है जो देश में लोगों और सरकार के पालन के लिए बुनियादी नियम और विनियम निर्धारित करता है

(SSC CHSL (10+2) 27.03.18)

- हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, 17 सितंबर 1948 को "ऑपरेशन पोलो" नामक तीन दिवसीय सैन्य कार्रवाई के सफल समापन के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया था।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI Exam, 24.11.20) (SSC CONSTABLE GD

- 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और यह 296 सदस्यों के साथ 1952 तक अस्थायी संसद में परिवर्तित हो गई।

(SSC CHSL 09.11.14)

- स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई

(RRB NTPC 18.01.2021)

- 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी
- विजय लक्ष्मी पंडित भारत से मास्को और वाशिंगटन की पहली महिला राजदूत थीं
- संविधान वह है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है
- संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाई के बीच विभाजित किया जाता है

(RRB NTPC 05.03.2021)

- भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है

(SSC CONSTABLE GD 12.01.2023, 23.01.2023)

- भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि यह एक निर्वाचित संसद प्रदान करता है

(RRB NTPC 05.02.2021)

- 1947 से 1950 तक बहस के अनुमानित 3 वर्षों के बाद, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए

(RRB NTPC 08.03.2021)

- बाबू जगजीवन राम 1977 से 1979 तक उपप्रधानमंत्री रहे

(RRB NTPC 16.01.2021)

- भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है जिन्हे 22 भागों में बाँटा गया है।

पहले 8 अनुसूचियाँ थी अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है।

वर्तमान अनुसूचियाँ निम्न प्रकार है–

प्रथम अनुसूची: राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् भारत के राज्यक्षेत्र का वर्णन।

(SSC CGL 07.03.2020)(SSC JUNIOR ENGINEER (CIVIL) 27.01.2018)(RRB NTPC 08.02.2021)

दूसरी अनुसूची: इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा तथा विधान परिषद् के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, जैसे विभिन्न पदाधिकारियो के वेतन भत्तों के प्रावधान शामिल है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक आदि के वेतन शामिल है

(SSC JUNIOR ENGINEER (CIVIL) EXAM, 25.01.2018)(RRB NTPC 15.03.2021)

तीसरी अनुसूची: इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की 'शपथ' या प्रतिज्ञान के प्ररुप को शामिल किया गया है।

(SSC CHSL 10.07.2019)(SSCCGL 07.03.2020)(RRB NTPC30.01.2021)

चौथी अनुसूची: राज्यसभा में आवंटित सीटों के अनुसार प्रावधान शामिल है।(नोट: 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार, राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे।)

(SSC CHSL 04.08.21,14.10.20) (SSC MTS 13.10.21)(SSCCGL 07.03.2020) (RRB NTPC 07.03.2021)

पाँचवी अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण शामिल है।

छठी अनुसूची: आदिवासी क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन शामिल है।

(SSC CGL 08.09.16 (SSC MTS 08.08.19)), (SSC CHSL 17.03.20)

सातवीं अनुसूची: संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित है तथा संघ सूची(97), राज्य सूची(66) व समवर्ती सूची(52) को शामिल किया है।

(SSC CPO 20.03.2016) SSC CHSL 02.11.2014) (SSC CGL26.10.2014) (SSCCHGSL 21.03.2018) (RRB NTPC 27.01.2021) (SSC CONSTABLE GD 13.01.2023.08.02.2023)

खेल का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है

(SSC MTS 07.08.2019)

कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है

(SSC STENO 16.10.2011)(SSC MTS19.08.2019

पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है

(SSC CAPF SI 09.12.2019)(SSC CGL 23.08.2021)

पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आती है

(SSC MTS 26.102.2021)

नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है

(SSC MTS 21.10.2022)

व्यापार संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है

(SSC CGL 18.08.2017)

भूमि और भवन पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है

(SSC CGL 19.08.2017)

सट्टेबाजी और जुए को राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है

(SSC CGL 20.08.2017)

केंद्रीय जांच ब्यूरो संघ सूची के तहत सूचीबद्ध है

(SSC CGL 21.08.2017)

कृषि आय पर कर राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है

(SSC CGL 22.08.2017)

42वें संशोधन द्वारा विषय शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया

(SSC STENO 11.09.2017)

आठवीं अनुसूची: 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। और अंग्रेजी इस सूची के तहत निर्दिष्ट नहीं है। कश्मीरी को सूची से बाहर कर दिया गया है, यह राज्य की भाषा है

(SSCCAPF,&SI 23.06.2013) (SSC CGL 26.06.2011),(SSC JUNIOR ENGINEER (CIVIL) EXAM, 25.01.2018), (SSC MTS 30.04.2017,20.08.2019,)(SSC CHSL 16.10.2020)(RRB NTPC 04.01.2021, 21.01.2021, 27.01.2021) (SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

नवीं अनुसूची: भूमि सूधार से संबंधित प्रावधान शामिल है।

नोट: यह अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गयी थी।

दसवीं अनुसूची: इसमें दल–बदल संबंधी प्रावधान है।

नोट: यह अनुसूची 1985 में 52 वें सवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गयी।

@apna_pdf

@apna_pdf

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI) 05.06.2016) (SSC CGL 09.08.2017), (CHSL (10+2) 20.03.2018, 22.03.2018)

ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें पंचायतों के अधिकार व दायित्व शामिल है। 243 से 243 (व) तक 'पंचायत' श्रेणी के प्रावधान शीर्षक वाले संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया

(SSC MTS 09.08.2019, 08.08.2019,12.10.2021)) (SSCCPO 23.11.2020)

नोटः 73 वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई ।

(SSC CHSL 20.03.2018)

इस अनुसूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी शामिल किया गया है

बारहवीं अनुसूची: नगर पालिकाओं के अधिकार व दायित्व शामिल है।

नोटः इस अनूसूची को 1993 में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था।

(SSC MTS 20.08.19)

संघ, राज्य और समवर्ती सूची

संघ सूची	रेलवे, सेना, विदेशी न्यायपालिका, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो (सीबीआई), रिजर्व बैंक, नौसेना और वायु सेना, संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि।
राज्य सूची	विकलांगों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राहत और बेरोजगार, खेल, बाजार और मेले, स्थानीय सरकार आदि। *(RRB NTPC 28.01.2021)*
समवर्ती सूची	वन, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दिवालियापन और दिवालियापन, रक्षा, अंतर–राज्य व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, बिजली, श्रम कल्याण, विवाह, तलाक, विरासत, शिक्षा आदि। *(RRB NTPC 03.04.2021, 08.04.2021)*

संविधान के 22 भाग

संख्या	अनुच्छेद	विषय	गत वर्ष में पूछे गए सवाल
I	1 से 4	संघ तथा उसका राज्यक्षेत्र	*(SSCCHSL 04.03.18) (RRB NTPC 19.01.2021)*
II	5 से 11	नागरिकता	*(RRB NTPC 19.01.2021)*
III	12 से 35	मौलिक अधिकार	*(SSC SECTION OFFICER 30.11.08) (SSC CAPFs ASI & 21.06.15 07.07.17 ,24.11.20) (RRB NTPC 30.12.2020, 19.01.2021, 01.02.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022) SSC CGL Pre. 2022, 08.12.2022)*
IV	36 से 51	राज्य के नीति निदेशक तत्व	*(SSC SECTION OFFICER 06.01.08,) FCI 22.01.12 (SSC CHSL 22.03.18), (SSC CAPFs ASI 24.11.20) (RRB NTPC 19.01.2021)*
IV A	51 A	मौलिक कर्त्तव्य	*(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI Exam, 07.07.17) (RRB NTPC 19.01.2021)*
V	52 से 151 52 से 78 79 से 123 124 से 147 148 से 151	संघ सरकार कार्यकारिणी विधायी न्यायतंत्र सी ए जी	
VI	152 से 237	राज्य सरकार कार्यपालिका – 152 से 167 विधायिका – 168 से 213 न्यायपालिका – 214 से 237	
VII	238	7 वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया।	
VIII	239 से 242	केन्द्र शासित प्रदेश	*(SSC CHSL 04.03.2018) (SSC MTS09.08.19) (SSC CGL 05.03.2020)*
IX	243 A से O	पंचायते	
IX A	243 A से ZG	नगर–पालिकाएँ	*(SSC CHSL (10+2) 05.03.2018)*
IX B	243 H से ZT	सहकारी संस्थाएँ	
X	244	अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र राज्यों असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है	*(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 04.07.17)(SSCCGL 09.03.2020)*
XI	245 से 263	संघ व राज्यों के बीच संबंध राज्यों और संघ के बीच संबंध अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे के समाधान के लिए किया गया था।	*(SSC CGL 01.09.16, 04.06.19)*
XII	264 से 300	वित्त, संपत्ति और संविदाएं, वाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए में किया गया है। यह संदेश देता है कि कानून के अधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए	*SSC CHSL 13.04.21)(SSC MTS 13.10.21)*
XIII	301 से 307	भारत के क्षेत्रो में व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 302 संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के किसी भी हिस्से के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है।	*(SSC MTS 07.10.21)*
XIV	308 से 323	संघ व राज्यो के सेवाएँ अधीन	
XIVA	323A-323B	अधिकरण	
XV	324 से	निर्वाचन	*(SSC Delhi POLICE CONSTABLE*

@apna_pdf

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

	329		*03.12.2020)*
XVI	330 से 342	विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति जनजातियों या जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट कर सकते हैं	*(SSC CGL 03,09.16) (SSC CAPFs SI 05.03.2019)*
XVII	343 से 351	राजभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया अनुच्छेद 343 (2) 1950 में अपनाए गए संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी और हिंदी संघ के आधिकारिक व्यवसाय के लिए पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए उपयोग की जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(3) ने संसद को आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार दिया	*(SSC CGL 17.08.2021), (SSC MTS 27.10.21) 22.10.21, 07.10.21, 05.08.2019) (RRB NTPC 21.01.2021, 14.03.2021)*
XVIII	352 से 360	आपातकालीन प्रावधान	
XIX	361 से 367	प्रकीर्ण	
XX	368	संविधान संशोधन	*(SSC CGL 24.08.21)*
XXI	369 से 392	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान	*(SSC CPO 06.06.2016)*
XXII	393 से 395	लघु शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन	*(CONSTABLE GD 11.01.2023)*

@apna_pdf

@apna_pdf

3. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं

1. लिखित और बड़ा संविधान :

भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसे संविधान सभा द्वारा चर्चा की लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और एक प्रस्तावना थी। संविधान में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से कई बदलाव किए गए हैं।

(SSC GD CONSTABLE 10.01.2023)

2. संविधान सर्वोच्च के रूप में

3. कठोर और लचीला संविधान

अनुच्छेद 368 संशोधन की दो इकाइयाँ प्रदान करता है

विशेष बहुमत के साथ संशोधन (प्रत्येक सदन के सदस्यों का दो तिहाई बहुमत) वर्तमान में प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50: से अधिक बहुमत से मतदान और 50: राज्यों द्वारा अनुसमर्थन।

(SSC CAPFs ASI & SI 03.07.2017)

साधारण बहुमत से संशोधन– संविधान के कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं

4. भारत का संविधान संघीय से अधिक एकात्मक है:

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं :

संविधान की सर्वोच्चता है विकेन्द्रीकरण यानी केंद्र और राज्यों में अलग–अलग सरकारें।

(SSC CGL 19.10.2014)
(SSC CGL 20.07.14)

भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र और राज्य के बीच समझौते के रूप में विभाजित है

साथ ही साथ स्थानीय सरकार को 'होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन' या 'एकजुट संघ' भी कहा जाता है।

(SSC CHSL 20.10.2020) (SSCCGL 20.07.2014) (RRB NTPC 09.02.2021) (SSC CAPF ASI 05.07.17)

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एकात्मक और संघीय के रूप में सरकार के वर्गीकरण का आधार हैं।

(SSC FCI ASSISTANT 11.11.12)

संघ, राज्य और समवर्ती सूची की उपस्थिति

संघवाद दो प्रकार की राजनीति को एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र हैं।

(SSC CAPF ASI 06.07.17, 09.12.19)
(SSCCGL 19.05.13) (RRB NTPC 21.03.2021)

स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था

(SSC CHSL 19.04.2012) (SSC CAPF ASI 03.07.17) (SSC CAPF ASI 03.07.17) (SSC CPO 16.03.2019)

संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के स्वैच्छिक संघ को संघ कहा जाता है

(SSCCAPFs ASI 04.07.17)

भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं–एकल नागरिकता

(SSC CPO 11.11.2022)

राज्य की अनुमति के बिना राज्य के क्षेत्रीय विस्तार को बदलने के लिए संसद की शक्ति

राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(SSC CGL 10.09.16)(SSC CAPFs ASI &Delhi police SI 04.07.17)

भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वह शक्ति हैं जो

संघ, राज्य या संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, संसद में निहित हैं।

(SSC CPO 07.09.03) (SSC CGL 19.06.11)
(SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022)

- न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
- केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
- केंद्र द्वारा राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति
- आपातकालीन प्रावधान
- राज्य सभा में सीटों का असमान वितरण
- राज्य सभा में सदस्यों की नियुक्ति
- अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति वित्त के लिए केंद्र पर निर्भरता

इसलिए "के.सी. व्हेयर" ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है।

(SSC MTS 10.03.13 04.07.2013)
(RRB NTPC 31.01.2021)

5. संसदीय लोकतंत्र

हमारे संविधान ने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में निरपेक्ष विशेषता विधायिका और कार्यपालिका का संलयन है।

(SSC CAPFs ASI, CISF SI, Delhi police SI 09.10.2014, 22.06.2014)

मंत्रिपरिषद का चयन विधायिका द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है, उसे सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर सदस्य होना चाहिए। यदि भारत के प्रधान मंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा विधायिका के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है।

(SSC STENO 09.01.2011) (SSC CGL 09.08.2015, 07.09.2016, 28.08.2016) (SSC MTS 04.12.2011 22.08.2019)

सरकार के संसदीय रूप का विचार यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया है जहां राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख होता है और राज्य सरकार के माध्यम से काम करता है। उसके पास अनेक शक्तियाँ होती हैं, परन्तु व्यवहार में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार के रूप की परिभाषित विशेषताओं में से एक है, शासक सीधे देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वोट का अधिकार संवैधानिक के साथ–साथ राजनीतिक अधिकार भी है, जिसकी गारंटी है

भारत का संविधान भी सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यह राजनीतिक समानता का सर्वोत्तम उदाहरण है

(SSC SECTION OFFICER 09.09.01) (SSCCML 12.05.02) (SSC CAPFs ASI &Delhi police SI 06.07.17) (SSC MTS 27.10.13 22.08.19, 03.10.2020, 01.07.2017) (SSC CHSL DEO 16.11.2014)(SSC JUNIOR ENGINEER 24.01.18) (RRB NTPC 02.02.2021)

6. स्वतंत्र न्यायपालिका

7. संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य

8. मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों की उपस्थिति, डी.पी.एस.पी.

9. कल्याणकारी राज्य की स्थापना

10. विभिन्न स्रोतों से लिया गया:

भारत की संविधान सभा ने दुनिया के विभिन्न संविधानों से कई विशेषताएं प्राप्त कीं। लगभग 60: विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय न्यायपालिका की शक्ति, आपातकालीन शक्तियां आदि जैसी विशेषताएं इस अधिनियम से ली गई हैं।

संघीय विशेषताः संघ व राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है जिनका वो प्रयोग करते है इसलिए कहा जा सकता है कि भारत राज्यों का संघ है। अर्थात् भारतीय संघीय व्यवस्था किसी समझौते का परिणाम नहीं है अतः राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं।

सातवी अनुसूची में विषयों का विभाजन निम्न तीन सूचियों द्वारा किया गया है–

(i) संघ सूची = (100 विषय)
(ii) समवर्ती सूची = (52 विषय)
(iii) राज्य सूची = (61 विषय)

संसदीय लोकतंत्रः हमारे सविधान ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है। यहाँ विधानसभा व कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। मंत्रीपरिषद् का चुनाव विधानसभा द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

- इस लोकतंत्रीय प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। सामान्यतः कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं परन्तु इनका उपयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् के परामर्शानुसार किया जाता है।
- **लिखित संविधान**–भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा एक लम्बी प्रक्रिया के बाद हुआ जो एक लिखित संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और एक प्रस्तावना थी संविधान में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से कई बदलाव किये गये है।
- **विभिन्न स्रोतों से लिया गया:–**

@apna_pdf

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

भारतीय संविधान सभा ने दूसरे देशो से विभिन्न प्रावधानों को अपनाया है, लगभग 75% संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।

⇒ डॉ. अम्बेड़कर ने ठीक ही कहा है कि भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों में तोड़फोड़ करने के बाद तैयार हुआ है।

भारतीय संविधान के स्रोत:–

अमेरिकी संविधान से	प्रस्तावना का प्रारुप, मौलिक अधिकार, कार्यकारी प्रमुख के रूप में तथा सेनाओ के सेनापति के रूप में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्च सदन के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरवलोकन, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को पद से हटाने की प्रक्रिया *(SSC MTS 10.03.2013)(RRB NTPC 20.01.2021) (SSC CONSTABLE GD02.02.2023, 06.02.2023) (SSC CGL 13.11.05, 26.06.2011) (SSCCGL 05.07.2017) (SSC CAPFs ASI &Delhi police SI 05.07.2017 SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 23.01.2018, 29.01.2018) (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 29.01.2018) (SSCCGL26.06.2011,10.03.13,)(SSC CPO 06.06.2016),* लिखित संविधान *(SSC CPO 31.07.16)* विश्व का पहला स्थायी संविधान *(SSC CGL 19.01.2017)*
ब्रिटिश संविधान से	संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (CAG), एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था *(SSC CGL 27.04.2014), (RRB NTPC 23.02.2021, 05.04.2021)(SSC CPO 11.11.2022)(SSC CONSTABLE GD 09.02.2023) (SSC JUNIOR ENGINEERCIVIL 24.01.18) (SSC CPO 11.11.2022) (SSC CGL 19.06.2011), (SSC CISFs NIA 05.03.2019) SSC MTS 27.02.2011 (SSC CHSL 01.11.2015), (SSC GD 05.06.2011, 02.03.2019) (RRB NTPC 03.03.2021)*
ऑस्ट्रेलिया संविधान से	व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा *(SSC MTS 20.10.13) (SSC CISF 05.06.2011)*
कनाडा के संविधान से	मजबूत केन्द्र, शक्तियों का विभाजन, संसद की अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना, अर्ध–संघीय सरकार *(RRB NTPC 05.03.2021) (SSC CONSTABLE GD 13.01.2023) (RRB NTPC 05.03.2021) (SSC CONSTABLE GD 13.01.2023)*
आयरलैण्ड के संविधान से	राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन। *(SSC CGL 08.08.2017), 16.05.2010, (SSC (10+2) 11.12.2011), 1.11. 2015), (SSC CHSL 16.11.14, 08.09.2016 (SSC MTS 27.02 11 06.10.21) (RRBNTPC 04.03.2021) (SSC CGL08.08.2017), (SSC CPO 09.11.2022)(CONSTABLE GD 10.01.2023)*
रूस के संविधान से	मौलिक कर्त्तव्य, प्रस्तावना में व्यक्त न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का विचार *(SSC MTS 02.008.2019) (RRB NTPC 22.01.2021) (SSC CONSTABLE GD 17.01.2023,13.02.2023)*
फ्रांस के संविधान से	स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ,गणतंत्र की अवधारणा *(SSC MTS 14.08.2019, SSC CHSL 26.102020) (RRB NTPC 29.12.2020, 13.03.2021) (SSC CPO 11.11.2022)*
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से	संशोधन की प्रक्रिया राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया *(SSC JUNIOR ENGINEER 22.01.2016)(SSC MTS 06.10.21, 12.10.21)(SSC CPO 05.06.2016,)*
जर्मनी के संविधान से	आपाताकल में मूल अधिकारों का निलंबन *(RRB NTPC 09.03.2021)*
जापान के संविधान से	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
भारत सरकार अधिनियम, 1935 से	संघीय व्यवस्था आपातकालीन उपबंध संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल का पद

महत्वपूर्ण तथ्य:

- यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड जहां कोई परिभाषित दस्तावेज नहीं है जिसे "संविधान" कहा जा सकता है। इसलिए अलिखित संविधान को संसद के अधिनियमों और अदालती कानून के निर्णय द्वारा परिभाषित किया जाता है।
  (SSC SECTION OFFICER 10.12.2006, (SSC CGL 12.08.2017), (SSC MTS 18.09.2017)
- 1788 में संविधान बनाने वाला पहला देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और यह 1789 में लागू हुआ
  (SSC CGL 19.01 2017)
- एकात्मक और संघीय के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है।
  (SSC FCI 11.11.2012)
- लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि स्विटजरलैंड में पाई जाती है
  (SSC CAPFs ASI, CISF SI, 22.06.2014)
- जमीनी स्तर का लोकतंत्र आम लोगों को एक मौलिक राजनीतिक और आर्थिक समूह के गठन के रूप में शामिल करने वाली निर्मित राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है।
  (SSC CAPFs ASI, CISF SI, 22.06.2014)
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 केस के फैसले में कहा गया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता थी और बुनियादी संरचना का एक हिस्सा थी।
  (SSC CHSL DEO 16.11.2014)
- एकतंत्र का अर्थ है एक के द्वारा पूर्ण शासन
  (SSC CGL 16.08.2015)
- लोगों द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता शासन या लोगों की संप्रभुता थॉमस हॉब्स द्वारा दी गई थी
  (SSC CGL 16.08.2015)
- लोकपाल का विचार स्वीडन से लिया गया है
  (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 29.01.2018)
- भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है।
  (SSC CAPFs ASI, CISF SI, 07.07.2017)

@apna_pdf

@apna_pdf

- हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है।

(SSC FCI 22.01.2012), (SSC JUNIOR CIVIL ENGINEER 24.01.2018), (SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 25.11.2017)

- इंग्लैंड मैग्ना कार्टा (1215) संविधान की अवधारणा प्रदान करता है।
- संसदीय या राष्ट्रपति सरकार को मुख्य रूप से विधायी–कार्यकारी संबंध द्वारा अलग किया जा सकता है।

(SSC CGL 20.07.14)

- जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा होती है तो इसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। एक अन्य प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार और अर्ध–संघीय संविधान की उपस्थिति का प्रावधान है।

(SSCCGL 19.10.2014) (SSC CAPFs ASI, CISF SI, Delhi police SI 02.07.2017,03.07.2017,05.07.2017)

- अभिजात वर्ग छोटे, विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग के हाथ में सत्ता के संघटन द्वारा चिह्नित सरकार हैं।

(SSC STENO 12.09.2017)

- लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए

(SSC CAPF & SI 02.07.2017)

- लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देना है और अंतिम निर्णय लेने में समान अधिकार लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए, तथा पात्र नागरिकों को कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने की अनुमति देता है और राजनीतिक आत्मनिर्णय के स्वतंत्र और समान व्यवहार को सक्षम बनाता है। इसलिए राजनीतिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है और सरकार ने अपनी कार्रवाई की व्याख्या की है और लोगों को अपने फैसले का बचाव किया है।

(SSC MTS 03.10.2017)(SSC CAPF SI 04.07.2017) (SSC GD12.05.2013) (SSC STENOGRAFER 16.10.2011) (SSCCAPF SI &ASI 05.07.2017)

- बहुल मतदान प्रणाली जहां पात्र मतदाता एक वोट का प्रयोग करते हैं और विशिष्ट योग्यता वाले कुछ मतदाता एक से अधिक वोट डालते हैं।

(SSC CGL 16.08.2015)

- संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत संघ के महत्व पर जोर देता है।

(SSC JUNIOR ENGINEER 23.01.2018)

- विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है।

(SSC JUNIOR ENGINEER 25.01.2018)

- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं हैं।

(SSC CONSTABLE GD 07.02.2023)

- लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिम्बित होता है।

(SSCCAPFs ASI& DELHI POLICE 03.07.2017)

- साम्प्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है।

(SSCCAPFs ASI& DELHI POLICE 03.07.2017)

- सत्ता का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के लोकतांत्रिक रूप की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

(SSC CGL 19.05.2013)

- लोकतांत्रिक संस्था के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान आवश्यक कारक हैं।

(SSC CHSL 01.11.2015)

- यह एक पार्टी के शासन में संभव है जहां निरंकुशता (तानाशाही) लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत है।

(SSC CAPF SI &ASI 23.06.2013)

- लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होती है जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वालों के पास एक हारने का उचित मौका होता हैं।

(SSC CAPF SI&ASI 02.07.2017)

- सरकार के लोकतांत्रिक रूप में लोगों को अपना शासक चुनने की अनुमति हैं।

(SSC Delhi police 05.12.2018)

- प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं।

(RRB NTPC 21.03.2021)

- लोकतांत्रिक सरकार अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलती को सुधारने की अनुमति देती हैं।

(SSC CAPF SI &ASI ASI 04.07.2017)

- लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर मतभेदों और संघर्षों और नियमों से निपटने के लिए एक तरीका प्रदान करती हैं।
- लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता हैं।
- कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए।

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023, 07.02.2023)

- भारत लोकतंत्र है, और गणतंत्र है क्योंकि राज्य के प्रमुख को विरासत में नहीं चुना जाता है।
- लोग अपेक्षा करते हैं कि लोकतंत्रों को प्रतिनिधि चुनने में समान महत्व मिले।
- भारत का संविधान हर व्यक्ति को समान मानता है।
- कार्यपालिका व्यक्तियों का एक निकाय है जिसके पास प्रमुख नीतियों को शुरू करने, निर्णय लेने और देश के संविधान और कानूनों के आधार पर उन्हें लागू करने और कानूनों को लागू करने का अधिकार है।

(RRB NTPC 11.01.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 06.12.2022)

- न्यायपालिका एक संस्था है जो न्याय प्रशासन के लिए अधिकृत है और कानूनी विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।
- विधायिका जनप्रतिनिधियों की एक सभा है जिसके पास देश के लिए कानून बनाने की शक्ति हैं।

(SSC CAPF SI&ASI 05.07.2017)

- भारत में कानून के शासन को देश का कानून माना जाता हैं।

(SSCCHSL 15.03.2018)

- संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में उत्पन्न हुई और शब्द सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन का योगदान है।
- केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को रोकने के लिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका हैं।

(RRB NTPC 21.03.2021, 25.01.2021)

- भले ही भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, लिखित संविधान अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, हालांकि अनुच्छेद 32 और 226 सबसे स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति को व्यक्त करते हैं।

(RRB NTPC 08.02.2021, 07.07.2021) (SSC CPO 2022, 09.11.2022)

- भारत में, न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करती है।

(SSC CPO 2022, 10.11.2022)

- 'व्यक्ति बदल सकता है लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए' संवैधानिक सरकार का सिद्धांत हैं।
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं।
- सरकार की एकात्मक प्रणाली में मजबूत राज्य होता है, जहाँ केंद्रीय सरकार सभी सरकारी कार्य करती हैं।

(RRB NTPC 23.01.2021)

- संघीय सरकार राज्य संविधान द्वारा दी गई शक्ति का आनंद लेती है
- लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति
- गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, "मेरा मानना है कि अलग निर्वाचक मंडल संविधान सभा की बहस के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा"

(RRB NTPC 08.01.2021)

- साहित्य अकादमी द्वारा 22 अनुसूचित भाषा के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई है।

(RRB NTPC 03.04.2021)

- जब तक कि राज्य सभा इस सूची के लिए एक प्रस्ताव पारित नहीं करती तब तक ,संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची 2 विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है

(RRB NTPC 24.07.2021) (SSC CONSTABLE GD 09.02.2023)

- संसदीय प्रणाली में, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्ति वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही उपयोग की जाती हैं।

(RRB NTPC 11.01.2021)

- सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को संविधान के अनुरूप होना चाहिए।

(SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022)

- भारत में लोक सभा और राज्य सभा के दोनों सदनों द्वारा पेश और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद ही लागू हो सकते हैं।

(RRB NTPC 12.01.2021)

- संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे एक देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता हैं।

(SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022)

- सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना हैं।

(SSC CGL Pre. 2022, 12.12.2022)

- भारतीय संविधान की एक विशेषता अर्थात् संघवाद का केन्द्रापसारक रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, कनाडाई मॉडल पर आधारित हैं।

(SSC CONSTABLE GD 13.01.2023)

- सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता हैं।

(SSC CONSTABLE GD 06.02.2023)

Neon Classes Neon Classes Neon Classes
@apna_pdf

4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए वस्तुनिष्ठ प्रस्तावों पर आधारित है और इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।

(SSC CISF CONSTABLE 05.06.2011) (SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022

भारतीय संविधान का पूरा आधार और राजनीतिक व्यवस्था की संरचना संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और प्रचार–प्रसार के लिए प्रस्तावना में सन्निहित है।

प्रस्तावना :

''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वत्रंता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

संविधान के तत्व

भारतीय लोकतंत्र के दर्शन और आदर्शों के साथ–साथ संविधान निर्माताओं की बुद्धिजीवता प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होती है।

(SSC LDC (10+2) 21.10.2012, 10.11.2013)

1. हम भारत के लोग :– इस बात पर जोर देते है कि भारत के लोग और किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा उनके द्वारा बनाये गए संविधान को नहीं मानेगें।

SSC CML 30.07.06) (SSC MTS 21.10.12)(SSC CAPFs ASI, CISF SI, Delhi police SI 20.03.2016)

2. संप्रभु :– भारत आंतरिक और बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है। इसकी एक स्वतंत्र सरकार है जो प्रत्यक्ष रुप से जनता द्वारा चुनी जाती है।

(SSC MTS 17.03.2013)

3. समाजवादी :– समाजवाद एक आर्थिक दर्शन है जहाँ उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
4. धर्मनिरपेक्ष :– राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से स्वत्रंता के अधिकार और अपनी पंसद के धर्म का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र रूप से हकदार है। यह शब्द भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

(SSC CHSL 19.10.20)(SSC FCI 05.05.2012), (SSC MTS 16.02. 2014), (SSC LDC 04.12.2011)

5. लोकतांत्रिक :– यह दर्शाता है कि लोगों की इच्छा से अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती हैं।

(SSC CAPFs ASI, CISF SI, Delhi police SI 02.07.17. 05.07.17)

6. गणतंत्र :– राज्य के प्रमुख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है।
7. न्याय :– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में स्वीकृत प्रस्तावना में न्याय शब्द का वर्णन किया गया हैं।

(SSC JUNIOR ENGINEER 27.01.18)

8. एकता व अखण्डता :– यह शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

(SSC CHSL (10+2) 10.11.2019)

इसको अपनाने की तिथि :–26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान के अधिकांश अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।

नोट: 26 जनवरी को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी।

(RRB NTPC 04.02.2021)
(SSC CONSTABLE GD 07.02.2023)

प्रस्तावना का महत्व

जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है, प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं की बुद्धिजीवता को जानने की कुंजी हैं।

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा तीन नये शब्द जोडे गये थे – समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता

(SSC CML 05.05.2002,) (SSC CPO 6.09.2009, 06.06.2016), (SSC CGL 02.09.2016), (SSC CHSL 05.07.2019), 02.11.2014(, (SSC MTS 14.05.2017)

- लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक माध्यमों से समाजवाद का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा हैं।

(SSC CGL 26.10.14)

- फैबिनवाद का लोकतांत्रिक समाजवाद से गहरा संबंध हैं।
- मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं।

(SSC GD 12.05.13)

- केंद्रीकरण स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बाधा हैं।

(SSC MTS 04.12.2011)

- प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार या प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार साम्यवाद का सिद्धांत है, यह आर्थिक समानता देता हैं।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय अभिव्यक्ति का उल्लेख नहीं हैं।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया हैं।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है
- प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति लोगों के हाथों में होती है
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वितरणात्मक न्याय का उल्लेख नहीं है
- प्रसिद्ध केशवानंद भारती (1973) का मामला प्रस्तावना की अनुकूलता से संबंधित हैं।

(RRB NTPC 23.01.2021)

- राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों से है
- राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो ने दी थी
- ऑस्टिन ने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया
- जी.डी.एच. ने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम हैं।
- एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्था से राज्यों को अलग करने का समर्थन करता है उसे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है
- संविधान में परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्य को बताता है, प्रस्तावना कहलाता हैं।

(RRB NTPC 08.03.2021)

- संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती हैं।

(RRB NTPC 09.02.2021)

@apna_pdf

@apna_pdf

5. संघ और उसके क्षेत्र

संविधान के भाग – 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद – 1: संघ का नाम व इसके राज्य क्षेत्र

- इंडिया अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ है।

(SSC MATRIC LEVEL 24.10. 99 05.05.2002) (SSC SECTION OFFICER 10.12.2006) (SSC CGL, 27.02.2000, 04.02.2007, 21.04.2013 27.04.2014, (SSC CAPFS SI &DELHI POLICE SI 22.06.2014)(SSC CONSTABLE GD 01.02.2023)

- राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों का वर्णन पहली अनुसूची में भी किया गया है।
- भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे

(i) राज्यो के क्षेत्र
(ii) पहली अनुसूची में दिए गये क्षेत्र
(iii) इसी तरह के कुछ अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है

अनुच्छेद – 2 नये राज्यों का प्रवेश व स्थापना

- अनुच्छेद – 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नये राज्यो को प्रवेश दे सकती है तथा नये राज्यो की स्थापना कर सकती है।

(SSC CHSL 09.11.2014) (SSC CGL 12.06.2019)

अनुच्छेद 2क: सिक्किम को संघ से जोड़ा जाएगा।

नोटः 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2A जोडा गया तथा सिक्किम को एक नये राज्य के रूप में जोडा गया तथा भारतीय संसद द्वारा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा सिक्किम को 22 वां राज्य बनाया गया।

भारत में राज्यों का गठन

पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिएरू– इसकी सिफारिश के आधार पर 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरूय सरदार वल्लभ भाई पटेलय और पट्टाभि सीताराम्या के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जो जेवीपी समिति के रूप में प्रसिद्ध हुई।

इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को खारिज कर दिया गया और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बन गया। साथ ही कर्नाटक का एकीकरण 1956 के वर्ष में हासिल किया गया था,

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 22.06.2014, 21.06.2015)

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953)

(SSC CHSL 05.08.2021)

अध्यक्ष - फैजल अली

गठन किया गया– 22 दिसंबर 1953

(RRB NTPC 05.01.2021)

और अन्य सदस्य

(i) जे.एम. पणिक्कर (ii) एच.एन.कुंजरू

भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

(SSC CML 30.07.2006) (SSCCHSL 15.11.2015,)(SSC CONSTABLE GD 27.01.2023

राज्य

(1) संयुक्त प्रांत – उत्तर प्रदेश
(2) आंध्र प्रदेश
(3) असम
(4) बिहार
(5) राजस्थान
(6) बंबई
(7) जम्मू और कश्मीर
(8) केरल
(9) मध्य प्रदेश
(10) मद्रास (तमिलनाडु)
(11) मैसूर – कर्नाटक
(12) उड़ीसा
(13) पंजाब
(14) पं. बंगाल

केंद्र शासित प्रदेश

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
(2) दिल्ली
(3) हिमाचल प्रदेश
(4) लक्षद्वीप–लकद्वीप, मिनिकॉय, अमिनिदिवि
(5) मणिपुर
(6) त्रिपुरा

(1) महाराष्ट्र, गुजरात (15वां राज्य) – इन दोनों राज्यों का गठन 1960 में बंबई प्रांत को विभाजित कर किया गया था।

(2) दादर और नगर हवेलीरू– 1954 में उन्हें पुर्तगालियों से आजादी मिली, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

(3) गोवा और दमन और दीव 1961 तक 400 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। 1961 में, भारतीय सरकार ने पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए गोवा, दमन और दीव पर सैन्य आक्रमण किया।

12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दमन और दीव भारत का हिस्सा (यूटी) बन गया और 56वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया, 1961 से यह केंद्र शासित प्रदेश था

(4) 1 नवंबर, 1954 को फ्रांस ने पुडुचेरी का कब्जा भारतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया। और 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा यह अखंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

पुडुचेरी के विभिन्न राज्यों में चार जिले हैं–

1. पुडुचेरी (तमिलनाडु)
2. कराईकल (तमिलनाडु)
3. माहे (केरल)
4. यनम। (आंध्र प्रदेश)

(5) 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा **नागालैंड** भारत का 13वां राज्य बना।

(6) हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश

शाह समिति (1966) की रिपोर्ट की सिफारिश पर पंजाब राज्य को हरियाणा (17वां राज्य) में विभाजित किया गया और राज्य का पहाड़ी हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश बन गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना।

(7) मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय

NEFA (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) अस्तित्व में आया और 22 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा असम को मेघालय में विभाजित किया गया और अरुणाचल प्रदेश भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

(8) सिक्किम– 22वां राज्य।

सिक्किम के शाही राजवंश चोग्याल राजवंश ने 1974 में खुद को भारत को सौंप दिया और 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य बन गया। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। और अनुच्छेद 370E को जोड़कर सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।

(9) मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा।

1987 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय सरकार के बीच हस्ताक्षरित संधि द्वारा मिजोरम भारत का हिस्सा बन गया।

मिजोरम (23वां), अरुणाचल प्रदेश (24वां) और गोवा (25वां) क्रमशः भारत का हिस्सा बने।

(10) छत्तीसगढ़–26वां, उत्तराखंड–27वां और झारखंड–28वां सन् 2000 में भारत का अभिन्न अंग बने।

(11) 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना

(12) 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया।

(13) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 द्वारा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया

वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

राज्य के नाम में परिवर्तन

राज्य	नया नाम	वर्ष
संयुक्त प्रान्त	उत्तर प्रदेश	1950
मद्रास	तमिलनाडु	1969
मैसूर	कर्नाटक	1973
लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी	लक्षद्वीप	1972
पांडिचेरी	पुडुचेरी	2006
उत्तरांचल	उत्तराखंड	2006
उड़ीसा	ओडिशा	2011

अनुच्छेद – 3

नये राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों व सीमाओं के नाम का परिवर्तन या मौजूदा राज्यों के नाम साधारण बहुमत से संसद की शक्ति हैं।

(SSC CGL 12.06.2019 SSC CHSL 20.10.2020), (SSC CAPFs ASI &DELHI POLICE SI 07.07.2017), (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 23.01.2018) (RRB NTPC07.04.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 08.12.2022)

अनुच्छेद – 4

Neon Classes   Neon Classes   Neon Classes
@apna_pdf

अनुच्छेद – 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यो को कम किया जा सकता है।

एक राज्य के आवश्यक तत्व

राज्य चार आवश्यक तत्वों के बिना मौजूद नहीं हो सकता। (1) जनसंख्या (2) क्षेत्र (भूमि) (3) सरकार (4) संप्रभुता (स्वशासित राज्य)

(SSC CML 30.03.2008)(SSC CGL 21.04.2013) SSC CONSTABLE GD 22.04.2012)

याद रखने योग्य तथ्य:

- भारतीय राज्यों को राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी।

(SSC CHSL 09.11.2014)

- तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 के तहत किया गया था
- 1956 में 6 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गईं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र)

(SSC CHSL 04.03.2018)

- केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी को विधायिका के अस्तित्व के कारण आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है।

(SSC CHSL 02.07.2019)

- भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। 26 जनवरी 2020) दमन और दीव और दादर और नगर हवेली का विलय हो गया। सिलवासा इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी हैं।

(SSC CHSL 01.11.15, 08.07.2019 04.07.2019)

(RRB NTPC 07.01.2021)

- मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के तहत राज्य बने।

(SSC CGL 11.06.2019)

- भारतीय संविधान का छठा संघ मणिपुर के आदिवासी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं रखता हैं।
- नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत के संविधान में 13वें संशोधन द्वारा भारत का 16वां राज्य बना।

(SSCMTS 21.10.2012) (SSCCGL 09.08.2015, 11.06.2019)(SSC JUNIOR ENGINEER 23.07.2018)

@apna_pdf

@apna_pdf

6. नागरिकता

नागरिकता – भाग –2 अनुच्छेद – 5 से 11

अनुच्छेद –5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब :–

(i) यदि जन्म भारत में हुआ हो

(ii) यदि उसके माता–पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो

(iii) यदि वह भारत के संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो।

- भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता हैं।

(SSC MTS 14.08.2019, 06.10.21)(SSC GD 02.03.19)

- अनुच्छेद 371। नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान करता हैं। अंग्रेजी नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा हैं।

(RRB NTPC 19.03.2021, 08.04.2021)

- जम्मू–कश्मीर को विशेष शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 का मसौदा गोपालस्वामी अयंगर ने तैयार किया था, जिसे वर्ष 1949 में अपनाया गया था।

(SSC CPO 26.05.2005), (SSC CGL 13.11.2005 27.04.2014),) (SSC TAX ASSISTANT 25.11.2007) (SSC SECTION OFFICER30.09.2007, 16.11.2003) (SSCCML16.06.2002) (SSC MTS 14.10.2022) (SSC CHSL16.11.2007 13.01.2017 20.10.2020) (SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 07.07.2017) (RRB NTPC 12.03.2021)

- कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद–370 को 2019 में संविधान से हटा दिया गया था।

(SSCCGL 04.03.2020)(SSC CONSTABLE GD 02.02.2023)

- संविधान का अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारियां प्रदान करता हैं।

(SSC CGL 20.08.2021)(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 03.07.2017)

- लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना।

(SSC MTS 2019)

- 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 25.01.2018)

- कोठारी समिति ने 1968 में हिंदी भाषी राज्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की

(SSC CAPF SI 21.06.2015)

- बॉम्बे दंगों की जांच के लिए श्रीकृष्ण आयोग (1996)नियुक्त किया गया था।
- भानु प्रताप सिंह समिति कृषि के लिए नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी।

(RRB NTPC 07.04.2021)

- एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी

(SSC CPO 11.11.2022) (SSC CONSTABLE GD 12.01.2023)

- भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान 1956 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनिदिवि द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप में बदल दिया गया था, 1973 में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में संगठित किया गया था।

(SSC CHSL 15.11.15)

- भारत में केंद्र शासित प्रदेश का नाम है 1. अंडमान और निकोबार द्वीप, 2. चंडीगढ़, 3. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, 4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 5.जम्मू और कश्मीर, 6.लक्षद्वीप (सबसे छोटा संघ) भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रवार) 7.लद्दाख और 8.पुडुचेरी।

(SSC CONSTABLE GD 06.02.2023)

- नए राज्यों के गठन के लिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा।

(RRB NTPC 19.03.2021)

अनुच्छेद – 6 कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आये है।

(SSC CPO 06.06.2016)

अनुच्छेद – 7

पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान में चले गये

अनुच्छेद – 8

भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रहते हैं

अनुच्छेद –9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले नागरिक नहीं होंगे

अनुच्छेद –10

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

(SSC MTS 06.08.21)

अनुच्छेद –11

संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

(SSC JUNIOR ENGINEER 22.01.2018), (SSC CHSL 28.11.2010, (SSC CGL 4.09.2016), (SSC MTS 16.02.2014)

याद रखने योग्य तथ्य:

- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के लिए संसद सक्षम निकाय हैं।

(SSC CHSL 28.11.100(SSCCGL 04.09.16)

- 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीके हैं।

(SSC CAPFs & SI 2.07.2017)

1. जन्म से: प्रत्येक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 से पहले भारतीय में पैदा हुआ था और उसके माता–पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे।

(SSC CGL 21.04.2013)

2. वंश द्वारा: 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश द्वारा भारत का नागरिक है।
3. पंजीकरण द्वारा: निर्धारित प्राधिकारी आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं।
4. राष्ट्रीयकरण द्वारा: नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, नागरिकता खोने के तीन तरीके हैं चाहे अधिनियम के तहत या संविधान के तहत प्राप्त की गई हो।

(SSC MTS 03.07.17)

5. क्षेत्र के समावेश द्वारा– यदि कोई विदेशी देश भारत में विलय के कारण हैं।

- त्याग: भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है
- समाप्ति: जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह स्वतरू ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाताध्जाती है
- अभाव: यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के साधनों का उपयोग करने के आरोप में भारत सरकार द्वारा पंजीकरण या प्राकृ तिककरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 04.07.2017)

- भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुए।

(SSC CGL 21.04.2013)

- नागरिक अधिनियम जो 1955 में पारित किया गया था और 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 के नागरिकता अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया हैं।

(SSC MTS 20.08.19) (SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022) (SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

- दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है जहां एक व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की राष्ट्रीयता बहुत आम हैं।

(SSC STENOGRAFER, 16.10.11,) (SSC MTS 28.10 12)

- भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) को दस साल की अवधि के लिए एकाधिक प्रवेश वीजा दिया जाता हैं।
- अनिवासी नागरिक{NRI}(निर्धारित आयु) मतदाता के रूप में रह सकते हैं।
- भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हैं।
- लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नागरिकता को प्रमुखता दे रही हैं।

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

7. मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खिलाफ नागरिकों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, और सत्तावादी और तानाशाही शासन की स्थापना को रोकते हैं, यह विदेशियों को नहीं दिया जाता है।

भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल संविधान के एक हिस्से के रूप में गठित भारत के संविधान द्वारा संरक्षित देश के नागरिक को आश्वस्त मौलिक अधिकार दिये गये है।

(SSC CPO 11.11.2022) (SSC MTS 14.08.2019) (CONSTABLE GD 11.01.2023)

मौलिक अधिकार व्यक्तियों और देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं।

1978 के संविधान संशोधन अधिनियम में 44 वें संशोधन के पारित होने के बाद, अब छह मौलिक अधिकार हैं लेकिन शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे।

भारतीय संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

(SSC CONSTABLE GD 30.01.2023, 31.01.2023)(SSC CGL 05.08.2017) (SSC MTS 23.02.14) (SSC CGL Pre. 2022, 06.12.2022)

अनुच्छेद–12 से 35 तक छः मूल अधिकारो को शामिल किया गया है।

छः मौलिक अधिकारः–

(i) समानता का अधिकार (14 से 18)

(ii) स्वतंत्रता का अधिकार (19 से 22)

(SSC CGL 06.06.2019)

(iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार (23 से 24)

(SSC SCINTIFIC ASSISTANT 22.11.2017) (SSC MTS 21.08.19)

(iv) धार्मिक स्वत्रंता का अधिकार (25 से 28)

(SSC CGL 07.03.2020)

(v) संस्कृति व शिक्षा का अधिकार (29 से 30)

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

अनुच्छेद –12

राज्य की परिभाषा: राज्य में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं।

अनुच्छेद –13

मूल अधिकारो से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।

(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसी असंगतता की सीमा तक शून्य होंगें।

(2) राज्य को कानून पारित करने से प्रतिबंधित किया गया है जो इस खंड द्वारा दिए गए अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त करता है, और ऐसा करने वाला कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य और शून्य होगा

1. समानता का अधिकार (अनु. 14 से 18)

(RRB NTPC 29.01.2021, 03.02.2021, 22.01.2021, 04.03.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 09.12.2022)

अनुच्छेद – 14 कानून के समक्ष समानता

राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

कानून के समक्ष समानता वाक्यांश ब्रिटेन से लिया गया हैं।

(SSC CGL 20.07.2014, 02.09.2016)(SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 24.11.2017(SSC CHSL 22.03.18)

अनुच्छेद – 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध

(SSC CHSL (10+2) 22.03.2018, 21.10.2020, 09.08.21), (SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 04.07.2017), (SSC MTS 02.08.2019), (SSC CGL 04.03.2020,) (SSC CGL Pre. 2022, 12.12.2022) (SSC CONSTABLE GD 12.01.2023)

2. कोई भी नागरिक, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

(क) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या

(SSC CGL Mains 2022, 03.03.2023)

(ख) पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए या आम जनता के उपयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रय के स्थानों का उपयोग

3. इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद – 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 23.06.2013) (RRB NTPC 17.01.2021, 08.01.2021)

(1) राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर, राज्य के अधीन किसी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र नहीं होगा, या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(SSC GD 12.05.13) (SSC CPO 11.11.2022)

(3) इस लेख में कुछ भी संसद को किसी वर्ग या वर्ग के रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के संबंध में निर्धारित कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद – 17 अस्पृश्यता का अन्त

यह अस्पृश्यता के उन्मूलन या सामाजिक समानता से संबंधित हैं।

अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है और कानून के अनुसार अपराध हैं।

(SCC CGL 04.03.2020), SSC CPO 9.11.2022, 23.11.2020) (RRB NTPC 15.03.2021) (SSC CPO 2022, 09.11.2022) (SSC CONSTABLE GD 10.01.2023, 12.01.2023, 06.02.2023)

अनुच्छेद – 18 उपाधियों का अन्त या सामाजिक समानता

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 04.07.2017) (SSC CONSTABLE GD 24.01.2023, 27.01.2023)

18(1) सैन्य व शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है।***(SSC CGL 16.08.17) (RRB NTPC 02.02.2021)***

18(2) भारतीय नागरिक किसी भी देश से कोई उपाधियां स्वीकार नहीं करेंगे।

18(3) कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नही है तथा व भारत में किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 से 22)

(RRB NTPC 22.01.2021)

अनुच्छेद–19:
वाक्–स्वातंत्र्य से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद–19 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार होगें–

अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण

19 (क) वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 (क) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष हो

(SSC CGL 21.04.13) (RRB NTPC 08.02.2021,,04.03.2021,26.07.2021)(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023) (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 27.01.2018, SSC CHSL 21.10.2020)

19 (ख) बिना युद्ध व हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के की स्वतंत्रता

19 (ग) संघ, संगठन व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता

(SSC MTS 13.08.19)

19 (घ) पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता

(SSC CGL 04.06.2019)

19 (ङ) भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता

19 (च) किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता और इंटरनेट का उपयोग भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता हैं।

19 (छ) हितों के अधीन सभी नागरिकों को कोई भी पेशा करने या कोई पेशा, व्यापार या व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता हैं।

(SSC CONSTABLE GD 07.02.2023) (SSC CGL 06.03.20) (SSC CAPFs SI, ASI DELHI POLICE SI 2020)

अनुच्छेद – 20
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

(SSC CGL Pre. 2022, 13.12.2022)

(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक आरोपी नहीं ठहराया जायेगा , उस समय लागू किसी कानून का उसने उलंघन नहीं किया हो

@apna_pdf

@apna_pdf

या न ही उस से अधिक दंड के अधीन जो अपराध के आयोग के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था

(2) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा

(3) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

(SSC CHSL 10.08.2021)

अनुच्छेद – 21

प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

यह सभी अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार हैं।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 04.07.2017, 11.12.2019), SCIENTIFIC ASSISTANT 24.11.2017), (SSC MTS 13.08.2019 12.10.21), (SSC CGL 29.08.2016), (SSC CPO 9.11.2022,) (RRB NTPC 04.03.2021, 15.03.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 01.12.2022)

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा

(SSC CPO 2022, 10.11.2022)

- लोकतंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीमित किया जा सकता हैं।

(SSC CGL 27.04.14)

- राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों से हैं।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 22.06.14)

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है जो संविधान में शामिल नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया हैं।

(SSC CGL 29.08.2016)

संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार शामिल हैं।

(RRB NTPC 27.03.2021, 08.04.2021)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(SSC MTS 09.08.2019)

अनुच्छेद –21 A शिक्षा का अधिकार

प्रारंभिक शिक्षा को 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बनाना, और सभी के लिए मुफ्त शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं हैं।

(SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 24.11.2017) (SSC MTS 19.08.2019, 2004.10.2017) (SSC CGL 29.08.2016) (SSCCHSL 19.10.2020, 12.08.21, 19.10.2020,) (SSC DELHI POLICE 23.11.2020) (SSC CPO 23.11.2020, SSCCGL 16.08.21, 10.11.2022) (SSC CGL Pre. 2022, 08.12.2022) (SSC CONSTABLE GD 17.01.2023)

पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार, और स्वास्थ्य का अधिकार भी अनुच्छेद (21) में उल्लेख है, स्वास्थ्य को लोगों का अधिकार बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य हैं।

(SSC MTS 04.10.17, 13.08.2019) (SSC CHSL 19.03.2018)

1985 में, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जीवन के अधिकार के तहत आजीविका के अधिकार को बरकरार रखने का फैसला किया

(SSC MTS 21.08.2019)

नोट:यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।

(SSC CGL 01.09.2016, 07.06.2019) (SSC CHSL 07.06.2019 19.10.2020), (SSC CAPFs ASI & SI 05.06.2016, 23.11.2020)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार, टैपिंग फोन कॉल संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते है।

(CISF CAPF SI, DELHI PLICE 11.12.2020)

अनुच्छेद –22

कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(SSC CPO 10.11.2022, (SSC CGL 10.09.2016)

(1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना या उसकी पसंद के वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा

(SSC CPO 10.11.2022)

(2) कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा करने के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, ऐसे व्यक्ति को अनुमत अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

(RRB NTPC 22.02.2021)

(3) खंड (1) और (2) में कुछ भी लागू नहीं होगा यदि (क) किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस समय दुश्मन विदेशी हैय या (ख) किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो।

(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि –

(SSC CPO 11.11.2022)

(क) ऐसे व्यक्ति से , जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है , मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए प्रयाप्त कारण है

(SSC CGL 10.09.2016)

(ख) ऐसे व्यक्ति उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गयी विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। उदाहरण आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा), आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा), विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम

(SSC CAPF SI, ASI 22.06.2014)

निवारक निरोध अधिनियम स्वतंत्रता के अधिकार को कम करता है जिसके लिये आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा), 2002 में आतंकवाद विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(SSC CHSL 16.11.2014)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 से 24)

(SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 22.11.2017) (SSC CONSTABLE GD 16.01.2023)

अनुच्छेद – 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक.

(SSC CHSL26.10.2020)(RRB NTPC 10.02.2021)

अनुच्छेद – 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध (14 वर्ष से कम)

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 24.11.2020) (SSCCHSL 06.08.21) (SSC CGL Pre. 2022, 03.12.2022)

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 से 28)

(SSCCGL 07.03.2020) (RRB NTPC 22.01.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 05.12.2022)

इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है जिसे "लोकतंत्र की पहचान" माना जाता है और जबरन धर्मांतरण के लिए स्वतंत्रता की अनुमति नहीं है।

(SSC CPO 2022, 09.11.2022) (SSC CGL Pre. 2022, 13.12.2022)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को आश्वासन देते हैं।

(SSC MTS 08.08.2019) (SSC CHSL 06.08.2021)

अनुच्छेद– 25 :अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने का मौलिक अधिकार हैं।

(SSC CHSL 19.10.20)

अनुच्छेद– 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतत्रता

(SSC MTS 06.10.21)

अनुच्छेद– 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद–28: कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थाओ में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

5. सांस्कृतिक व शैक्षिक स्वतंत्रता (29 से 30)

अनुच्छेद– 29 :अल्संख्यक वर्गो के हितो का संरक्षण

(RRB NTPC 01.04.2021) (SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)

अनुच्छेद 29 (1) भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा, या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार हैं।

(RRB NTPC 22.01.2021)

अनुच्छेद–30: शिक्षा संस्थाओ की स्थापना व प्रशासन के लिए अल्पसंख्यको का अधिकार

(SSC CGL Pre. 2022, 08.12.2022)

अनुच्छेद 31 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300(क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया।

(SSC CGL Pre 12.12.2022, 13.12.2022)

अनुच्छेद–32 :संवैधानिक उपचारो का अधिकार

भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है, यह कहता है कि मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले में

Neon Classes @apna_pdf lasses Neon Classes

एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। डॉ बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया। उच्चतम न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता हैं।

SSC MTS 20.10.2013 16.08.15 05.10.21) SSC CGL 30.08.2016), 19.06.2011,19.05.2013) (SSC STENOGRAPHER 11.09.2017), (SSC CHSL 20.10.2013 ,08.03.2018 14.10.2020, 12.04.21) (SSC SAS 26.06.10) (SSC CML 13.05.01, 1602.02)(RRB NTPC 02.03.2021, 19.01.2021, 04.03.2021, 01.04.2021) (SSC CGL Mains 2022, 06.03.2023)(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता हैं।

(SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत हैं, अदालतों में लागू करने योग्य हैं।

(SSC CGL 11.08.2017), (SSC CIVIL ENGINEER 27.01.2018) (RRB NTPC 14.03.2021)

5 रिट –

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(ii) परमादेश
(iii) उत्प्रेषण
(iv) प्रतिषेध
(v) अधिकार पृच्छा

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण:

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए लागू की जाती है।

यह रिट एक सार्वजनिक अधिकारी को अदालत के सामने एक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुपुर्द करने और हिरासत के लिए वैध कारण प्रदान करने का आदेश देती है। हालाँकि, यह रिट उस स्थिति में जारी नहीं की जा सकती जब कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो।

भारत के संविधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, को एक अवधि 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह 1973 में अधिनियमित हुआ, और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ

(RRB NTPC 23.02.2021) SSC CGL Pre. 2022, 09.12.2022)(SSC CGL 19.05.13) (SSC STENO 11.09.17) (RRB NTPC 20.01.2021) (SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)(SSC MTS 02.11.21,02.08.19)(SSC CGL 19.05.2013, STENOGRAPHER 11.09.2017)(SSC CHSL 11.08.21) (SSC MTS 14.10.21)

2. परमादेश:

परमादेश का अर्थ है "हम आज्ञा देते हैं

(SSC CGL 09.03.2020)

परमादेश की रिट केवल एक सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है, जो एक अधीनस्थ अदालत, या एक निगम या अन्य संस्था को जारी किया जाता है जो कुछ कार्यों या कर्तव्यों के प्रदर्शन की कमान संभालती है।

(SSC STENOGRAFER 16.10.11) (SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 05.07.2017), (RRB NTPC 11.03.2021)

बंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत, एक निजी व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

(SSC CGL 09.03.2020)

किसी कार्य को पूरा करने या अन्य मामलों में आदेश देने के लिए परमादेश की रिट का उपयोग किया जा सकता हैय इसे बंद करने के लिए एक गतिविधि की आवश्यकता हो सकती हैं।

3. उत्प्रेषण:

उत्प्रेषण की रिट एक निचली अदालत को निर्देश देते हुए जारी की जाती है कि समीक्षा के लिए एक मामले का स्थानांतरण, आमतौर पर निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए किया जाता है। निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय को पार्टी द्वारा चुनौती दिए जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण की रिट जारी करता है। यह तब जारी किया जाता है जब उच्च न्यायालय इसे अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला पाता है।

यह उन तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा जाता है।

4. प्रतिषेध:

प्रतिषेध एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र में निष्क्रियता को लागू करने के लिए जारी किया गया रिट है। यह तभी होता है जब उच्च न्यायालय के विवेक का मामला निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध–न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है।

5. अधिकार पृच्छा:

इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है अधिकार पृच्छा एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो सार्वजनिक कार्यालय का दावा करता है या हड़प लेता है। इस रिट के माध्यम से, अदालत पूछती है कि 'किस अधिकार से' व्यक्ति अपने दावे का समर्थन करता है।

इस रिट के माध्यम से न्यायालय सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है।

यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने से रोकता है।

मौलिक अधिकारों का निलंबन

भारतीय संविधान के अनुसार, संसद भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना ये सेंसरशिप की शर्त के तहत आते हैं

(SSC CGL 21.04.2013)
(SSC Delhi police SI (05.12.2017)

राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जैसा कि राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े अनुच्छेद 352 के तहत उल्लेख किया गया है जब भी भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो

(SSC-CHSL 23.03.18, 05.07.2019)
(SSC TAX ASSISTANT 05.12.2004)
(SSC CGL 21.04.2013)

यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।

अनुच्छेद 358 आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

(SSC SECTION OFFICER 09.09.2001)

अनुच्छेद 359 में अन्य अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है। ऐसे में राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है।

अनुच्छेद 20 और 21 के तहत वर्णित अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

(SSC CGL 05.08.2017)
(SSC CPO 2022, 09.11.2022)
(SSCGD CONSTABLE 10.01.2023)

संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 33:

यह संसद को 'सशस्त्र बलों के सदस्यों', अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है।

(SSC CGL 19.05.2013)

अनुच्छेद 34:

यह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध प्रदान करता है।

(SSC CAPF SI 06.07.17)

अनुच्छेद 35:

संसद के पास मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति होगी लेकिन राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति नहीं हैं।

अनुच्छेद 35क :

जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह तय करने की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति देता है कि 1954 में राज्य के 'स्थायी निवासी' कौन हैं (नोट: यह अनुच्छेद 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था)

(RRB NTPC 29.01.2021)

याद रखने योग्य तथ्य:

- 'अधिकार कर्तव्य में अंतर्निहित होते है ' जिसका अर्थ है कि अधिकार और कर्तव्य साथ–साथ चलते हैं। यदि कोई अधिकारों का आनंद लेने की आशा करता है तो उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है।

(SSC MTS 16.06.2014)

- निडर और निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 22.06.2014)

- आर्थिक समानता, समानता की उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है। उदारता का अर्थ है प्रतिबंधों से मुक्त और आर्थिक समानता एक समान अवसर के बारे में है जहां सभी के पास समान धन तक समान पहुंच हो, जो संभव नहीं है।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 22.06.2014)

@apna_pdf

@apna_pdf

- राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान द्वारा और सार्वजनिक कार्यालय धारण करके सरकार में भाग लेने के लिए व्यक्तियों का अधिकार शामिल हैं।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 22.06.2014)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

(SSC CHSL 09.7.2019, SSC CGL 13.08.2021)
(SSC CPO 2022, 09.11.2022)

- अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को सेवा में आरक्षण का प्रावधान हैं।

(SSC CAPF SI ASI 21.06.2015)

- वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया।

(SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

- 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम धर्म, राष्ट्रीय मूल, जाति, रंग, लिंग के आधार पर कार्यस्थल भेदभाव को प्रतिबंधित करता हैं।

(SSC MTS 16.08.15)

- सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य व्यक्त किया गया है, इसलिए प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्यों के रूप में वर्णित करती है।

(SSCCGD 12.05.13)

- लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है यह भारत को संप्रभु बनाता है।
- हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पढ़ा गया है।
- भारत का संविधान एक संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है।

(SSC CGL Pre, 06.12.2022)

- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संसद ने समाज के समाजवादी स्वरूप को सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है।

(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

- मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान में मतदान के अधिकार का उल्लेख है।

(SSC CHSL 15.01.2017)

- एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला एआईआर 1976, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला भी कहा जाता है।

(SSC CAPF SI, CISF 21.06.2015)

- भारत के संविधान में आर्थिक अधिकार की गणना नहीं की गई है।
- सरकार का नारीवादी रूप महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास करता है।
- मौलिक अधिकार को अक्सर संविधान विवेक के रूप में संदर्भित किया गया हैं।
- सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानव अधिकार जिसमें 30 मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दासता और यातना से स्वतंत्रता, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार शामिल है और शिक्षा और बहुत कुछ।
- समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है
- सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार एक नागरिक अधिकार है
- आर्थिक समानता समानता की उदार धारणा के अनुकूल नहीं है
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की रणनीति पर बातचीत करना कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है
- नागरिक समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है
- संविधान के लिए अन्य देशों से विशेषताओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर, डॉ बी आर अम्बेडकर ने कहा, 'संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है'

(RRB NTPC 08.01.2021)

- अगर लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

(RRB NTPC 22.01.2021)

- भाषण के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

(RRB NTPC 13.03.2021)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को स्वीकृत कार्य का अधिकार 2005 में पारित किया गया था काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। जिसे 2004 में कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय भोजन का नाम दिया गया था, इस कार्यक्रम को नरेगा में शामिल कर लिया गया था। 2006 में, प्रारंभिक चरण में 200 जिलों को कवर किया गया यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

(RRB NTPC 06.04.2021) (SSC CONSTABLE GD 21.01.2023)(SSC CONSTABLE GD 10.01.2023,) (SSC CONSTABLE GD 17.01.2023.24.01.2023,02.02.2023)

इस योजना के तहत 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है।

(SSC CONSTABLE GD 08.02.2023, 13.02.2023)

- मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 वाले भारतीय संविधान के भाग III को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।

(SSC CPO 2022, 10.11.2022)

@apna_pdf

Neon Classes Neon Classes Neon Classes
@apna_pdf

8. राज्य के नीति निर्देशक तत्व

राज्य के नीति निदेशक तत्व केन्द्र व राज्य सरकारो के लिए दिशा निर्देश है। समाज में न्याय स्थापित करने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। यह आयरिश संविधान से अपनाया गया है।

(SSC CGL 16.05.10, 10.09.2016) STENOGRAPHER 12.09.2017) (SSC MTS 11.12.22) (SSC CHSL 16.11.14, 01.11.15.08.09.16) (SSC CGL Mains, 02.03.2023)

- यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद (36 से 51) भाग 4 में किया गया है।

(SSC CHSL 22.03.2018) (SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 2020),

- डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं।

(SSC MTS 17.03.2013)

- निदेशक सिद्धांतों में बदलाव के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना होता है।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 07.07 17)

अनुच्छेद 36: राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 37: इस में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना

(SSC CPO 10.11.2022)

अनुच्छेद 38: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

(SSC STENO 16.10.2011) (SSC MTS 20.10.2021)

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ

अनुच्छेद 39 (क): लिंग, जाति, नस्ल के भेदभाव के बिना नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का समान अधिकार हैं।

(SSC MTS 22.10.21)

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम होय संसद और संविधान आर्थिक न्याय के रक्षक हैं।

(SSC STENO 09.01.11)

(ग) आर्थिक प्रणाली का संचालन कुछ हाथों में धन की एकाग्रता से बचाना होगा।

(घ) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है।

(च) श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, और बच्चों की कच्ची उम्र का दुरुपयोग न हो और यह कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर नागरिकों को उनकी उम्र या शक्ति के अनुपयुक्त रोजगार में प्रवेश न करना पड़े।

(छ) बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।

अनुच्छेद 39 (1): यह समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 05.06.2016,)(SSC CGL 06.06.2019) (SSC CPO 2022, 10.11.2022)

न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देशित करना और उपयुक्त कानून द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, संसद और संविधान आर्थिक न्याय के उपकरण हैं जो अनुच्छेद 39 (क) (ग) (घ) के तहत महत्वपूर्ण हैं।

(SSC CHSL 28.11.2010 30.01.2017), (SSC CGL 06.06.2019)

अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन

(SSC SECTION OFFICER 10.12.2006,)(SSCMTS 10.11.2013) (SSC CHSL 16.11.2014) (SSC DELHI POLICE 03.12.2020) (RRB NTPC 27.02.2021, 27.02.2021)

अनुच्छेद 41: बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार.

(SSC CHSL 20.01.2017) (RRB NTPC 07.03.2021)

अनुच्छेद 42: काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध और नियोजित महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश सुरक्षित करने के लिए भारतीय संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया.

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 11.12.19)

अनुच्छेद 43: **श्रमिकों के लिए मजदूरी और जीवन का सभ्य स्तर आदि स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष।**

(RRB NTPC 009.03.2021)

अनुच्छेद 43 (क): उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, कार्य समिति उद्योगों के विवादों को निपटाने वाली तन्त्र का हिस्सा है।

(SSC JUNIOR ENGINEER 23.01.2018)

अनुच्छेद 43 (ख): सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

(RRB NTPC 27.02.2021)

अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है

(SSC MTS 22.10.2021) (SSC MTS 14.10.2020) (SSC CGL 04.06.2019) (RRB NTPC 27.02.2021) (SSC CGL Mains 2022, 07.03.2023)

गोवा पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है।

अनुच्छेद 45: बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के अनुसूचित के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य और शराब के सेवन पर रोक लगाना।

(RRB NTPC 27.02.2021)

अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और सूखे मवेशियों के वध पर रोक लगाने और नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा।

(SSC CHSL 05.08.2021)

अनुच्छेद 48 (क): पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों, स्थानो और वस्तुओं का संरक्षण। पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 की धारा 2 के अनुसार, 'प्राचीन वस्तुओं' में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य संबंधी मूल्य के हैं और जो 75 वर्षों से कम समय से अस्तित्व में हैं।

(SSC MTS 02.11.21)

इस श्रेणी के अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 23.11.2020), (SSC CHSL 13.10.2020)

अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

(SSC CGL 27.02.2000) (RRB NTPC 02.02.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022)

अनुच्छेद 51: क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। ग) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

(SSC CHSL 20.10.2020) (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL25.01. 2018) (RRB NTPC 08.03.2021)

मौलिक कर्त्तव्य – अनुच्छेद 51 A

नागरिको के लिए मौलिक कर्त्तव्य 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा "स्वर्ण सिंह समिति" की सिफारिशो के आधार पर जोडे गये थे जिसके तहत एक नया भाग 4 (क) और मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था जिसे वर्ष 1950 में अपनाया गया था;

(SSC CONSTABLE GD 13.01.2023, 16.01.2023. 31.01.2023. 09.02.2023, 13.02.2023)

यह रूसी संविधान से प्रेरित है,

(SSC MTS 07.08.2019, 05.10.21, 06.10.21) (SCC CAPF CPO 20.03.2016, 09.11.2022, 10.11.2022) (RRB NTPC 28.01.2021, 26.07.2021)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में जोडा गया, जहां वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य है।

@apna_pdf

@apna_pdf

मूल रूप से 10 मूल कत्तर्व्य जोडे गये थे 11 वां मूल कर्त्तव्य 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोडा था।

(SSC CPO03.09.06) (SSC MTS 13.10.21)
(SSC CHSL16. 11.14, 10.08.21)
(SSC SECTION OFFICER 30.1.08)
(FCI ASSITANT 05.01.02.12) (SSC LDC 27.11.10)
(DELHI POLICE CONSTEBLE 13.12.20)
(RRB NTPC 27.02.2021)
(SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022, 05.12.2022,)
(SSC CGL Pre. 2022, 09.12.2022, 2022, 12.12.2022 2022, 13.12.2022)

यह अनुच्छेद 21(क) के समान है।

(SSC CPO 2022, 09.11.2022)
(SSC CONSTABLE GD 11.01.2023)

भारत के प्रत्येक नागरिको के कर्त्तव्य :–

अनुच्छेद–51 (क) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उनके आदर्शो, संस्थाओ, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(SSC CPO 9.11.2022) (SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे।

(RRB NTPC23.01.2021)(SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022)
(SSC CPO 11.11.2022)

4. देश की रक्षा करे और आह्‌वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(SSC CONSTABLE GD 01.02.2023)

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

(SSC CONSTABLE GD 01.02.2023)

6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

(SSC CGL 19.10.2014)(SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(SSC CISF GD 05.06.2011)
(SSC CONSTABLE GD 17.01.2023)

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए विकास की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11. 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्त्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

(SSC CPO SI 9.11.2022)

याद रखने योग्य तथ्य:

- निर्देशक सिद्धांतों की तरह, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं जब तक कि संसदीय कानून द्वारा अन्यथा प्रवर्तनीय न बनाया गया हो। अप्रैल 2023 तक, भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो 2002 में संविधान में जोड़े गए
- जिन संवैधानिक प्रावधानों को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है उनमें शामिल हैंरू मौलिक अधिकारय राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत, सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची और राष्ट्रपति के चुनाव और उसके तरीके जैसे कुछ अन्य प्रावधान।

(SSC CHSL 20.03.2018, SSCCHSL 22.03.18)
(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 2017)

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 अन्य कानून हैं जो मातृत्व संरक्षण को कवर करते हैं।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 2017)
(SSC SECTION OFFICER 05.04.2011),
(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 09.07 2015)

- 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा संविधान में जोड़ा गया और संविधान में एक नया भाग IV और अनुच्छेद 51 जोड़ा गया।

(SSC MTS 07.08.2019),
(SSC CGL 27.07.2008, 21.04.2013, 27.08.2016),
(SSC CPO 12.12.2010)
(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 20.03.2016), 02.08.19) (SSC CML 05.05.02)

- मौलिक कर्तव्यों में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29 (1) की समानता है, जिसमें कहा गया है कि ष्हर किसी का उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है, मौलिक कर्तव्यों का नैतिक सामाजिक और आर्थिक महत्व है।

(SSC CPO 2022, 09.11.2022, 10.11.2022)

- मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसलिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

(SSC CPO 03.09.2006),
(SSC SECTION OFFICER 30.11.2008),
(SSC CHSL 27.11.2010, 16.11.2014, 1610.2020)
(SSC FCI 5.02. 2012)

- निरसन के रूप में संविधान के पाठ में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम 'रिप'

(SSC CGL 20.08.21)

- किसी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार तय होती है और राज्य व्यवस्था में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए।

(SSC CHSL 19.04.21)

- अधिकार का अर्थ है कि कुछ कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ–साथ कुछ कर्तव्यों को निर्धारित किया है।

(SSC MTS 17.03.13)

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 51 A, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा करता है।

(RRB NTPC 06.04.2021)

@apna_pdf

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

9. संघीय कार्यपालिका

संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं।

(SSC CGL Pre. 2022, 06.12.2022)
(SSC CGL Pre. 2022, 08.12.2022)

संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है,जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।

भारत संघ का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और साथ ही सरकार के पास ब्रिटिश सम्राट के समान संवैधानिक अधिकार होते हैं।

सरकार के अंग:–

(1) व्यवस्थापिका • कानून निर्माण करना
(2) कार्यपालिका • लागू करना
(3) न्यायपालिका • रक्षा करना

नोट: राज्य सरकार भी इसी के समान होती है

केन्द्रीय व्यवस्थापिका (संसद)
- लोकसभा
- राज्यसभा
- राष्ट्रपति

राज्य व्यवस्थापिका (विधानमण्डल)
- विधानसभा
- विधानपरिषद्
- राज्यपाल

केन्द्रीय कार्यपालिका
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद्

राज्य की कार्यकारी
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- मंत्रिपरिषद्

न्यायपालिका प्रणाली:

(i) सर्वोच्च न्यायालय – केन्द्र स्तर
(ii) उच्च न्यायालय – राज्य स्तर
(iii) जिला न्यायालय – जिला स्तर
(iv) अधीनस्थ न्यायालय – स्थानीय न्यायालय

भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता हैं।.

(SSC CGL 26.06.2011), 10.08.2017), 2019),
(SSC CPO 16.12.2007, SECTION OFFICER 14.12.2003),
(SSC CML 30.03.2008) (SSC DELHI POLICE 05.12.2017)

भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52: भारत का राष्ट्रपति होगा।

(SSC MTS 20.10.2021) (SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

अनुच्छेद 53: संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

(SSC MTS 22.08.19)(SSC CGL 27.10.16)

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ''निर्वाचन मण्डल'' द्वारा होगा।

(CHSL 09.07.2019)

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और नामित सदस्यों को छोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

(SSC CGL 11.11.2012)
(SSC CAPFs ASI & Delhi police 07.07.2017,)

निर्वाचन मण्डल के सदस्य

(i) संसद के दोनो संदनो के निर्वाचित सदस्य
(ii) राज्य विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य

नोट: अनुच्छेद 55 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यो को भी इसमें शामिल किया गया है। 70वें संवैधानिक संशोधन, 1992 द्वारा जोड़े गए इन प्रावधानों का राज्यों की परिषद में भी प्रतिनिधित्व हैं।

(SSC MTS 20.10.2021)

अनुच्छेद –55: राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतप्रणाली द्वारा होगा । एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने गए भारत के राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदाता निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवारों के रूप में कई वरीयताएँ इंगित कर सकता है, जीतने वाले को कुल डाले गए पचास प्रतिशत मत से अधिक सुरक्षित होना चाहिए और का बहुमत होना चाहिए।

(SSC STENO 09.01.2011) SSC DELHI POLICE 05.12.2020)
(SSC CHSL 09.07.2019) (SSC CPO 13.12.2019)
(RRB NTPC27.03.2021)
(SSC GD CONSTABLE 10.01.2023, 02.02.2023)

चुनाव प्रणाली

(i) विधायकों के मत का मूल्य

$$= \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य के निर्वाचित विधायक}} \div 1000$$

सांसदो के मत का मूल्य

सभी राज्यो के विधायको के

$$= \frac{\text{वोट मूल्य का योग}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्य}}$$

एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए यह निम्न प्रकार से तय किया जाता है–

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{कुल वैध मत} + 1}{\text{निवार्चित सदस्य} + 1}$$

अनुच्छेद-56: राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल

- राष्ट्रपति का चुनाव पद धारण करने की दिनांक से 5 वर्ष के लिए किया जाता है।

(SSC CHSL 19.10.20)
(RRB NTPC 31.07.2021, 12.03.2021)

राष्ट्रपति पद दो तरह की परिस्थितियो में खाली हो सकता है।

(i) वह उपराष्ट्रपति के नाम त्याग पत्र दे सकता है।

(SSC CPO 09.11.2008)
(SSC CGL 9.08.2015, 07.07.2019),(SSC MTS 23.10.2017)
(SSC STENO 14.09.2017) 07.06.2019),
(SSC CHSL 05.07.2017), 04.07.2019), 19.20.2020),

(ii) संविधान के उल्लंघन के आधार पर ''महाभियोग'' द्वारा हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 57: पुनः निर्वाचन, संविधान एक ऐसे व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है जो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है, या जो पद धारण करता था, उस कार्यालय के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।

(SSC MTS 06.10.2021)(SSC CGL 02.09.2016)

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता:

(i) वह भारत का नागरिक हो
(ii) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो

(SSC CGL 19.06.2011), (SSC STENO 12.09.2017),
(SSC MTS 23.10.2017) (SSC CGL Pre. 2022, 13.12.2022)
(SSC CONSTABLE GD 17.01.2023, 06.02.2023)

(iii) लोकसभा में चुनाव के लिए योग्य हो
(iv) किसी लाभ के पद पर ना हो

- इसके अतिरिक्त 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक जो निर्वाचन मण्डल में से हो,
- प्रत्येक उम्मीदवार को 15000 रू जमानत राशि RBI के नाम जमा करवानी होती है।
- यदि उम्मीदवार कुल वोटो का 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

राष्ट्रपति संसद के किसी भी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो, राष्ट्रपति बनते ही वह उस सदन की अपनी सीट खाली कर देगा।

राष्ट्रपति को प्रति माह एक निश्चित वेतन आवंटित किया जाता है और राष्ट्रपति को कई अन्य मौद्रिक विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। हालाँकि कई अन्य शर्तें भी हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है।

राष्ट्रपति किसी भी लोक प्रशासन के केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है।

राष्ट्रपति को किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक आवासों का उपयोग करने का अधिकार है और इस तरह की परिलब्धियां और भत्ते भी संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को कार्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना

(SSC CGL 30.08.2015), (SSC CPO SI & ASI 06.06.2016)
(SSC CHSL 12.08.2021)

राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है उसकी अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा यह कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है।

@apna_pdf

@apna_pdf

(RRB NTPC 30.01.2021)

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है।

(SSC (SSC MTS 26.10.2021)
(DELHI POLICE CONSTABLE 03.12.2020)
(SSC CHSL 14.10.2020),
(RRB NTPC 25.01.2021) (CONSTABLE GD 11.01.2023)
(SSC CPO 06.06.2016) (SSC CGL 30.08.2015, 03.09.2016), 11.06.2019)

- महाभियोग संसद में एक अर्द्ध–न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते है, जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था।

भारत में प्रधान मंत्री पर महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं हैं।

(RRB NTPC 01.02.2021, 08.03.2021)

- राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन व साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है व महाभियोग प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है।
- संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।

(SSC CHSL 06.12.2015, 18.03.2020)

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली होने पर पद भरने व अगले चुनाव का समय

राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्व होने से पूर्व अगला चुनाव करवा लिया जाएगा।

राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव समय से पहले पूरा किया जाएगा या रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सीट खाली छोड़ी जा सकती है।

(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 01.07.2017)
(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन अधिनियम, 1969)

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।

(SSC CML 21.05.2002),(SSC CGL 04.09.2016,07.06.2019)
(SSCCHSL19.03.2020)

जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त करता है

उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जबकि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का कार्यालय में निधन हो गया।

श्री गिरि ने अंततः उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, फिर श्र्प् न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।

समझौते के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक श्र्प् रहे हैं। जब एक महीने बाद, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य

कार्यपालिका शक्ति(अनु. 52 से 78)	व्यवस्थापिका शक्ति(अनु. 79 से 123)	न्यायिक शक्ति(124 से 147)	वित्तीय शक्ति	कूटनीतिक शक्ति
		वीटो शक्ति	राज्यो से संबंधित शक्ति	सैन्य शक्ति

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

(i) अनुच्छेद– 352 – राष्ट्रीय आपातकाल
(ii) अनुच्छेद– 356 –राज्य आपातकाल
(iii)अनुच्छेद– 360 –वित्तीय आपातकाल

(i) कार्यपालिका शक्ति (अनुच्छेद 52 से 78)

अनुच्छेद53: संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं

संघ व भारत सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते है।वह भारत के राज्य के प्रमुख हैं।

(SSC CGL 11.09.2016)

अनुच्छेद 74 (1): राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधान मंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) शामिल होंगे।

(RRB NTPC 13.03.2021,24.07.2021)

अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सदन का नेता होता हैं।

(SSC CAPFs ASI 03.07.2017)

तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

(SSC CGL 30.08.2016)

केंद्रीय मंत्री और प्रधान मंत्री को गोपनीयता की शपथ भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

(SSCMTS 10.11.2013)

इसलिए प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश में सबसे अधिक प्रभावशाली राजनीतिक संस्था हैं।

(SSC CAPF ASI & DELHI POLICE 07.07.2017)

लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाता हैं।

(SSC CPO 11.11.2022)

अनुच्छेद 75 (1): संघ के मंत्रिपरिषद में कुल सदनों की संख्या का पंद्रह प्रतिशत शामिल किया जा सकता है।

(RRB NTPC 07.01.2021, 31.01.2021, 01.04.2021)

अनुच्छेद 75 (3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा या जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगी।

(SSC CPO 10.11.2022)

वाकि वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण जिसके प्रमुख प्रधान मंत्री होते हैं।

(SSC STENO. 09.01.2011)
(SSC CAPF ASI & DELHI POLICE 05.07.2017)
(SSCCHSL 11.07.2019)
(SSC CGL Pre. 2022, 06.12.2022)(SSC CPO 11.11.2022)
(SSC CONSTABLE GD 01.02.2023)

एक केंद्रीय मंत्री लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री पद से हट जाता हैं।

अनुच्छेद 76: राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जिसके पास भारत का सर्वोच्च कानून कार्यालय होता है, और उसे भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। हालांकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना संसदीय विचार–विमर्श और बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, जिसे भारत के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकते

योग्यता: सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पात्रता रखता हो।

शक्तियां और कार्य:

कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट या सौंपे गए कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और निर्वहन करना महान्यायवादी का कर्तव्य होगा। इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कार्य करने होंगे।

भारत सरकार से संबंधित मामलों में भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी उपस्थित होंगे।

भारत के प्रथम महान्यायवादी – एम.सी. सीतलवाड़

सितंबर में आर वेंकटरमणी को भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया

(SSC INVESTIGATOR 12.09.2010) (SSC MTS 22.10.2017 10.11.2013, 22.10.2017, 04.03.2018) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 05.06.2016 03.07.2017),
(SSC CGL 10.09.2016)
(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 23.01.2018),
(SSC CHSL 04.03.2018) (RRB NTPC 18.01.2021, 09.03.2021, 08.04.2021) (SSC CPO 11.11.2022)
(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023, 25.01.2023, 09.02.2023)

महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

अनुच्छेद 77: भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते है।

अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य।

(RRB NTPC 03.02.2021)

राष्ट्रपति द्वारा अन्य नियुक्तियाँ :–

⇒ वह राज्यों के राज्यपाल तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

⇒ वह भारत के नियंत्रक व महालेखा परिक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तो की नियुक्ति करता है।

(SSC MTS 13.08.19, 21.10.12)

⇒ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की तथा भाषा आयोग, S.C., S.T. व O.B.C. आयोग के सदस्य व अध्यक्षो की नियुक्ति करता है।

(SSC MTS 21.10.12)
(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 04.07.2017),

@apna_pdf

(SSC CGL 3.09.2016)

- संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 में कहा गया है कि संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम पर नियुक्त और बर्खास्त किया जाता हैं।

(SSC CPO SI 05.06.2016)(SSC CGL 28.08.2016)

2. विधायी शक्तियाँ (संसदीय शक्तियाँ)

अनुच्छेद79: राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के साथ संसद का अंग होगा।

अनुच्छेद 85: राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जा सकता है सत्रावसान (सत्र का अन्त) व लोकसभा का विघटन किया जा सकता है।एक सत्र में अंतिम बैठक और बाद के सत्र में पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

(SSCMTS 21.10.17)
(SSC CGL 27.02.2000,08.02.04, 13.11.05, 10.09.2016, 12.06.2019),
(SSC SECTION OFFICER 09.09.01)
(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 05.07.2017),
(SSC CHSL 02.11.14, 2.03.2018),
(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 29.01.2018)
(SSCCPO 03.09.06)
(SSC CPO 11.11.2022)

अनुच्छेद 86: राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनो में अभिभाषण देने व सूचना देने का अधिकार है।

अनुच्छेद 87: वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद व वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण देता है।

(SSC CGL 29.08.2016)

अनुच्छेद 88: अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में, और संसद की किसी भी समिति में बोलने का अधिकार होगा जिसका वह एक सदस्य नामित किया जा सकता है, और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन इस आधार पर नहीं होगा की यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों को वोट देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 103: चुनाव आयोग की सलाह से संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेता है।

अनुच्छेद 108: संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

(SSC CML 05.05.2002)(SSC MTS 21.10.2017), (SSC CHSL 19.03.2018 (SSC CGL 12.06.2019) 05.07.2019) (DELHI POLICE CONSTABLE 02.12.2029) (RRB NTPC 30.01.2021, 09.02.2021, 29.12.2020) (SSC CPO 10.11.2022)

अनुच्छेद 111: संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून का रूप लेता है।

(SSC MTS 21.08.2019)

अनुच्छेद 123: जब संसद सत्र में नहीं हो तो वह अध्यादेश'' जारी करता है।

अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से छः सप्ताह तक कानून के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है।

(SSC CHSL 04.07.2011 , 28.10.201216.10.2020).
(SSC CGL 13.08.21) (RRB NTPC 15.03.2020)

अनुच्छेद 331: वह दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करता है।(यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरस्त किया गया था)

(SSC CGL 19.06.2011, 12.06.2019), 07.06.2019 12.06.2019), (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 04.07.2017),(SSC CHSL 04.07.2019)

वह 12 सदस्य राज्यसभा में भी नियुक्त करता है (अनुच्छेद 80(1)) जो सामाजिक सेवा, साहित्य कला, व विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान रखते हो।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 02.07.17)
(SSC MTS 08.10.21.20.10.13 27.10.13)(SSC CGL 12.06.19)
(SSC SECTION OFFICER 26.11.2006, (SSC CML 30.07.06, 05.05.02, 13.04.21, 15.10.2020, 21.05.2000)
(SSC CHSL 28.11.2010, 15.03.18)

राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना निम्न प्रस्ताव संसद में नहीं रखे जा सकते–

(i) भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए धन विधेयक

(SSC CPO 2003, (SSC COMBINED MATRIC LEVEL 2002,(SSC CGL 2013(SSC CHSL 19.03.2018)

(ii) राज्यो के नाम व सीमाओ में परिवर्तन तथा नये राज्यो के गठन से संबंधित प्रस्ताव

(SSC CHSL 08.09.2016)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से, उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में सशर्त या बिना शर्त कार्य सौंप सकता है, जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को राज्य के कार्यों को सौंपने के लिए राज्य के राज्यपाल को सक्षम करने वाला कोई समान प्रावधान नहीं है।

(SSC CGL 01.09.2016)

न्यायिक शक्तियां :–

अनुच्छेद 72: वह किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है तथा स्थगित भी कर सकता है।

(I) सभी मामलों में सजा या सजा कोर्ट मार्शल द्वारा हों।

(II) सभी मामलों में सजा या संघ कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा है

(III) सभी मामलों में सजा मौत की सजा है।

क्षमा: यह दोषसिद्धि और सजा दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।

दिक–परिवर्तन : यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मौत की सजा को सश्रम कारावास में बदला जा सकता है, जिसे बदले में साधारण कारावास में बदला जा सकता है।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 05.07.2017)
(SSC MTS27.10.2021)
(RRB NTPC 17.01.2021, 21.03.2021)
(SSC CONSTABLE GD 27.01.2023)

परिहार : राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की अवधि को उसके चरित्र को बदले बिना कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को एक वर्ष के कठोर कारावास में बदला जा सकता हैं।

(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 012.07.2017)

स्थगन : यह मूल रूप से किसी विशेष तथ्य, जैसे किसी दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है।

दंड–स्थगन : इसका तात्पर्य एक अस्थायी अवधि के लिए सजा (विशेष रूप से मृत्यु) के निष्पादन पर रोक से है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या दिक्–परिवर्तन लेने के लिए समय देना है।

अनुच्छेद 124: वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो व मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है

अनुच्छेद 143: किसी भी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

(SSCCAPF SI 20.03.16) (SSC CGL Pre. 2022, 05.12.2022)

वित्तीय शक्तियाँ

कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही संसद में रखा जा सकता है।

(SSC CHSL 2018), (SSC CPO 12.01.2003),
(SSC CML 05.05.2002), (SSC CGL 19.05.2013)

- संविधान के अनुच्छेद 274 में कर–निर्धारण को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाता है (यानी आम बजट)
- किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए भारत की आकस्मिक निधि का निर्माण करता है।

(SSC CGL 11.09.2016)

- केन्द्र व राज्यो के मध्य धन बँटवारे की सिफारिश के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती

कूटनीतिक शक्ति

अंतराष्ट्रीय संधि व समझौतो पर बातचीत व समापन राष्ट्रपति के नाम से होते है। हालांकि संसद की अनुमति भी इसी के अधीन आती है।

- अंतराष्ट्रीय मंचो पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राजदूतो, उच्चायुक्तो व राजनयिको को भेजता है तथा वापस भी बुलाता है।

सैन्य शक्ति

- भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।

(SSC CML21.05.2000,)
(SSC MTS 22.08.19) (SSC CGL 09.08.2017)
(RRB NTPC 09.01.2021)

- जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षो की नियुक्ति करता है।
- संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है।

वीटो शक्ति

किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को वीटो कहा जाता हैं।

भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है

वीटो पावर के तीन प्रकार : पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो।

अपवाद : जब संविधान संशोधन विधेयकों की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है।

(SSC MTS 14.05.2017)

@apna_pdf

@apna_pdf

पूर्ण वीटो: अर्थ **:** यह संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। बिल तब समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है।आम तौर पर निम्नलिखित दो मामलों में उपयोग किया जाता है **:**

जब संसद द्वारा पारित विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल होता है।

जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा दे देता है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि वह पुराने कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति न दें।

निलंबित वीटो : अर्थ **:** जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद को लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का उपयोग करता है।

यदि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उसे अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग किए बिना विधेयक को अनुमोदित करना होगा।

अपवाद**:** धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।

पॉकेट वीटो: अर्थ **:** भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए एक विधेयक रख सकते हैं

(SSC MTS 14.05.17) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 01.07.2017)

वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है।अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को फिर से भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय–नियम नहीं होता है।

राज्य विधेयकों पर वीटो**:**

राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार में भी ऐसे विधेयकों पर अपनी सहमति रोक सकता है।

इस प्रकार, राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर पूर्ण वीटो (न कि निलंबनकारी वीटो) प्राप्त है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।

अनुच्छेद –111: जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते है

(i) बिल को अपनी सहमति दे दे।

(ii) बिल को सहमति के लिए अपने पास रख सकता है।

(iii) विधेयक (बिल) को वापस भेजा सकता है

राज्यो से संबंधित शक्ति

राज्यो के नाम व सीमाओं में परिवर्तन तथा नये राज्यो के गठन से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में रखा जा सकता है।

धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन वह बिल को न तो मना कर सकता है और न ही रोक सकता है।

(SSC CPO 10.11.2022)

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

(i) अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे भारत या एक क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात काल घोषित किया जा सकता है।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 22.01.2018), (SSC CHSL23.03.2018), 05.07.2019) , (SSC SECTION OFFICER 09.09.200), (SSC CGL 11.09.2016), 10.08.2017) (RRB NTPC 10.02.2021) (SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

भारत में इस तहत की घोषणा–

(i) 1962 भारत चीन युद्ध

(SSC CPO 11.11.2022)

(ii) 1971 भारत पाक युद्ध

(iii) 1975 इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशान्ति के आधार पर

(SSC CHSL 04.12.2011, 05.07.2019) (SSC CPO SI, ASI 05.06.2016), (SSC CGL 07.06.2019)

राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।

(i) प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से लिखित अनुमति मिलने पर

(SSC MTS 04.12.11)

(ii) एक माह के अन्दर संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।

- ऐसा आपातकाल छः माह के लिए लगाया जा सकता है।
- इसे संसद की अनुमति से छः माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है ऐसा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून निष्क्रिय हो जाता है और छह महीने के लिए समाप्त हो जाता है।

(SSC CHSL 28.03.2018) (SSC CAPFs ASI & DELHI POLICE SI 04.07.2017)

भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 26 जून 1975 (25 जून के मध्य से शुरू) से 12 मार्च 1977 तक 19 महीने के लिए आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे।

(SSC MTS 04, 12. 2011, 11.12.2011)(SSC CAPFs ASI, CISF SI, Delhi police SI 02.07.17) (SSC CGL 07.0619 SSC MTS05.08.19)(SSCCPO 23.11.20)(SSCCHSL 02.11.21)

राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) अनुच्छेद 356

जब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति पूरी तरह संतुष्ट हो तो

निम्नलिखित माध्यम के आधार पर एक राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है–

(i) यदि राज्य का प्रशासन संवैधानिक रूप से चलने मे असफल रहे।

(ii) संवैधानिक प्रावधानो के अनुसार केन्द्र के निर्देश के अनुसार राज्य काम ना कर रहा हो

इस तरह के आपातकाल को संसद से 2 माह में स्वीकृति लेनी होती है। राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए जारी रहता है, लेकिन इसे संसद की मंजूरी के साथ हर छह महीने में अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(SSC CAPFs ASI, CISF SI, Delhi police SI 12.12.2019) (SSC MTS 19.08.2019) (SSC CGL 23.08.2021 (SSC CPO & IB IO 28.08.2011) (SSC CHSL 23.03.2018 15.03.2018), (SSC CAPFs SI, CISF ASI & Delhi police SI 12.12.2019) (RRB NTPC 12.03.2021)

अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन के अधीन आने वाले राज्य हैं– मणिपुर (10), उत्तर प्रदेश (9), पंजाब और बिहार (8)।

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मे राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगा।

(RRB NTPC 15.03.2021)

वित्तीय आपातकाल

अनुच्छेद 360: जब राष्ट्रपति को लगे की देश की वित्तीय स्थिरता व साख को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

नोट: यह अभी तक नही लगाया गया है।

वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता हैं।

(SSC TAX ASSISTANT 14.12.2008) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 02.07.2017, 07.07.2017), 05.07.2017), 21.06.2015), (SSC CHSL 15.03.2018, 21.03.2018, 18.03.2020, 15.03.2020) , (SSC CGL 16.08.2017) (SSC CHSL 10.11.2013, 21.03.2018,18.03.2020), (SSC MTS 10.11.2013 04.10.2017) (RRB NTPC 25.01.2021)

अनुच्छेद 248: भारत के राष्ट्रपति के पास अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं, जो विशेष रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं की गई हैं।

(SSC (10+2) 27.08.2013, (SSC CGL 31.08.2016)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि –किसी भी राज्य का राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्ति के प्रयोग या अपने कार्यालय के किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है या उसके कार्यकाल के दौरान अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

(SSC CAPFs SI DELHI POLICE SI & CISF ASI 12.12.2019) (SSC CHSL 16.04.21)

राष्ट्रपति :

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद(24 जनवरी, 1950 से 1962)

- भारत के प्रथम राष्ट्रपति

(SSC CONSTABLE 04.07.2015)

- प्रथम मनोनित और निर्वाचित राष्ट्रपति
- सबसे लम्बा कार्यकाल

(SSC CHSL 09.07.2019)

2. डॉ. राधाकृष्णनन् (1962 से 1967)

- भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित

(SSCGD 30.08.2015) (SSC MTS 02.08.19) (SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 13.03.2019) (RRB NTPC 07.01.2021, 10.02.2021)

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्व धर्म संभव के रूप में वर्णित किया
- प्रथम बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग। (चीन युद्ध 1962)

3. डॉ. जाकिर हुसैन (1967 से 1969)

- प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति
- प्रथम जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी।
- सबसे छोटा कार्यकाल और कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 24.01.202018)

Neon Classes @apna_pdf Neon Classes Neon Classes

(SSC CGL 16.08.2021)

- वी.वी. गिरि (1969) (कार्यवाहक)
- उपराष्ट्रपति थे।
- प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति
- न्यायमूर्ति एम. हिदायत तुल्ला (1969) (कार्यवाहक)
- यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
- दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति

4. वी. वी. गिरि (1969 से 1974)

(RRB NTPC01.04.2021)

- स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति
- दूसरी बार 352 की घोषणा (पाक युद्ध 1971)
- दूसरी मतगणना पर चुनाव जीतने वाले पहले राष्ट्रपति। केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

(SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 23.11.2020)

5. फखरूद्दीन अली अहमद (1974 से 1977)

- दूसरे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुयी।
- प्रथम बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा।

(SSC CHSL 19.03.2020)(SSC MTS 11.10.2021)

- बी. डी. जत्ती (1977) (कार्यवाहक)
- तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति (मोरारजी देसाई—भारत का केंद्रीय बजट सर्वाधिक समय तक प्रस्तुत किया)

(SSC MTS 05.08.19)

6. नीलमसंजीव रेड्डी (1977 से 1982)

- सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति (64 वर्ष)

(RRB NTPC 28.12.2020)

- पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 25.01.2018)

7. ज्ञानी जैल सिंह (1982 से 1987)

- पहले सिख राष्ट्रपति

(SSC CAPFs SI DELHI POLICE SI 23.11.20)

- पॉकेट वीटो का पहली बार उपयोग (अनु. 111)

8. आर. वेंकटरमन (1987 से 1992)

- सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति (76 वर्ष)

9. शंकर दयाल शर्मा (1992 से 1997)

10. के. आर. नारायण (1997 से 2002)

- पहले दलित राष्ट्रपति
- उनके काल में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह हुआं

11. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (2002 से 2007)

- पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बनें।

12. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (2007 से 2012)

- पहली महिला राष्ट्रपति

(RRB NTPC 09.01.2021)

13. प्रणब मुखर्जी (2012 से 2017)

- 2019 में भारत रत्न मिला
- वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे।

(SSC CGL Pre. 2022, 01.12.2022)

14. रामनाथ कोविंद (2017 से 2022)

- 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके है।
- 15 चुनाव सम्पन्न हो चुके है।
- मुख्य न्यायाधीश जे.एस.खेयर ने 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद को शपथ दिलायी।

(SSC CHSL 10.07.2019)

15. द्रौपदी मुर्मू (25 जुलाई 2022 से...)
वर्तमान राष्ट्रपति

- भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी महिला

(SSC CONSTABLE GD 31.01.2023)

- मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई
- अधिकतम विधायक मत मूल्य U.P. (208)
- न्यूनतम विधायक मत मूल्य सिक्किम (07)
- राजस्थान का मत मूल्य (129)

नोटः मत मूल्यों की गणना 1971 की जनगणना के अनुसार की जाती है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति दोनो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

(SSC CGL 21.04.2013)

अनुच्छेद63: एक उपराष्ट्रपति होगा। यह भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय हैं।

(RRB NTPC 08.01.2021)
(SSC CONSTABLE GD 31.01.2023)

अनुच्छेद 64: राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

(SSC CPO 3.09.2006) (SSC CML 30.03.2008)
(SSCMTS 21.10.2012) (SSCCHSL 21.01.2017)
(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 02.07.2017)

अनुच्छेद65: राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है।

(SSC CGL 07.06.2019 13.08.2021 (SSC CHSL 19.03.2020)

अनुच्छेद 66: जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव

- इसकी चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही होती है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल से थोड़ा अलग होता है यह निम्नलिखित 2 मामलों में अलग होता है–

1. इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनित दोनों सदस्य होते है।
2. इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं है।

(SSC SECTION OFFICER 16.11.2003, 30.09.2007)
(SSC CGL27.07.2008,)(SSC TAX ASSISTANT 11.12.2005)
(RRB NTPC 03.04.2021 07.04.2021)

अनुच्छेद 67: कार्यकाल 5 वर्ष

(SSC CGL 11.09.2016) (SSC CGL Pre. 01.12.2022)

- यह राष्ट्रपति को इस्तीफा दे कर किसी भी समय अपने पद से मुक्त हो सकता है।
- इसे राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर तथा लोकसभा द्वारा सहमति देने के पश्चात् पद से हटाया जा सकता है।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 29.01.2018)

अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिकता रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अनुच्छेद 69: शपथ – राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलायी जाती है।

(SSC STENO 11.09.1711.09.2017)

अनुच्छेद 70: अन्य आकस्मिताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन

अनुच्छेद 71 : राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। यह इसका मूल अधिकार क्षेत्र हैं।

(SSCCML 24.10.1999, 05.05. 2002)
(SSC CGL 07.09.2016, 13.06.2019, Pre 03.12.2022),
(SSC MTS 09.08.2019)
(SSC CHSL 03.07.2019 09.07.2019)

उपराष्ट्रपति की योग्यताएं–

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(SSC CPO 16.03.19)

3. राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए
4. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई पद न धारण कर रखा हो।

उपराष्ट्रपति चुनाव के नामंकन भरने के लिए 20 प्रस्तावक, व 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है।

प्रत्येक उम्मीदवार को 15000 रू RBI के नाम देय राशि जमा करवाने होते है।

- भारत के अभी तक के उपराष्ट्रपति

(1) डॉ. राधाकृष्णन (1952 से 1962)

(SSC CHSL 19.10.20)
(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 13.03.2019)

(2) जाकिर हुसैन (1962 से 1967)
(3) वी. वी. गिरि (1967 से 1969)
(4) G. S. पाठक (1969 से 1974)
(5) B.D. जत्ती (1974 से 1979)
(6) M. हिदायतुला (1979 से 1984)
(7) R. वेंकटरमन (1984 से 1987)
(8) डॉ शंकर दयाल शर्मा (1987 1992)
(9) K. R. नारायण (1992 से 1997)
(10)कृष्ण कांत (1997 से 2002)
(11)भैरू सिंह शेखावत (2002 से 2007)
(12)हामिद अंसारी (2007 से 2017)

(SSC CHSL 20.12.2015)

(13)वेंकैया नायडू (2017 से 2022)
(14)जगदीप धनखड (2022 से.....)

प्रधानमंत्री

- सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है जबकी प्रधानमंत्री इन शक्तियो का वास्तविक प्रयोगकर्ता होता है। दूसरे शब्दो में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति :–राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है।

(SSC MTS 10.11.2013)

⇒ परन्तु जब लोक सभा में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।

- संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है।
- इंदिरा गांधी, 1966, H. D. देवगौडा 1996 और मनमोहन सिंह 2004, राज्यसभा के सदस्य थे।

@apna_pdf

@apna_pdf

- शपथ व कार्यकाल :–प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
- प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह पद पर बना रह सकता है बहुमत खोने पर उसे त्याग पत्र देना होता है या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ :–राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो।

(SSC MTS 14.05.2017), (SSC CGL 30.08.2016)

- वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन निर्देशन व नियंत्रण करता है।
- प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में निर्णय लेते हैं और मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल भी करते हैं।

(SSC MTS 14.05.17)

- वह मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, व उनके निर्णयों को प्रभावित करता है
- वह मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य संचार कडी के रूप में कार्य करता है।

(SSC CGL 20.07.14)

महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राष्ट्रपति को सलाह देता है जैसे:– नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, UPSC के अध्यक्ष व सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि।

- संसद के विघटन, सत्रावसान व सत्र बुलाने में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 2018)

- वह सरकार की नीतियों को सदन में रखता है
- वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
- वह सत्ता दल का नेता व लोकसभा में सदन का नेता होता है।
- वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वह योजना आयोग (वर्तमान नीति आयोग) राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद् तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि का अध्यक्ष होता है।

प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद:–

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद् होगी।

(SSC CHSL 15.10.20, 04.08.21) (SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 22.06.2014)

अनुच्छेद 75: प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता है

(SSC MTS 04.12.2011)

और अन्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति भी मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है

(SSC CPO SI & ASI 05.06.2016)
(SSC CHSL 20.03.2018)

यदि भारत का प्रधान मंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, तो इसका अर्थ मंत्रियों की पूरी परिषद का इस्तीफा होगा।

(SSC CHSL 2011, 20.03.2018,12.12.2019)(SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 05.07.2017, 02.12.2020)

- वह सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है
- जब तक लोकसभा में बहुमत होगा तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा।
- मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
- संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य जो दल–बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। यह प्रावधान भी 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- मंत्री और प्रधान मंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संसदीय कैबिनेट प्रणाली सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(SSC STENOGRAPHER 09.01.2011) (SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 19.08.2012, 05.07.2017)(SSC CHSL 16.11.2014), 11.07.2019), (SSC CGL 19.10.2014)

- मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल, वेतन आदि।

(SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 05.06.2020)

अनुच्छेद 75(2)
विशेष रूप से प्रदान करता है कि
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे

(SSC GD 22.04.2012)

राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सिफारिश पर परिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है

अनुच्छेद –76: राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो भारत के लिए महान्यायवादी होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। महान्यायवादी देश का "प्रथम विधि अधिकारी" होता हैं।

अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्यो का संचालन

अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री की शक्ति।

- केंद्रीय मंत्री परिषद–
- संवैधानिक प्रावधान:–

भारत के प्रधान मंत्री के पद के लिए लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता की आवश्यकता होती है।

(SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 22.06.2014)

अनुच्छेद 88: मंत्रियों के सदन से संबंधित अधिकार:– प्रत्येक मंत्री के पास संसद के प्रत्येक सदन में तथा संयुक्त अधिवेशन में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, परन्तु वोट उसी सदन में देता है जिसका वह सदस्य है।

मंत्रिपरिषद की संरचना:–

(i) कैबिनेट मंत्री: यह प्रथम दर्जे के मंत्री होते है जिनके पास किसी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी होती है।

राज्यमंत्री: इन्हें मंत्रियों के किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते है। तथा दूसरे दर्जे के मंत्री होते है।

उपमंत्री: इन्हें मंत्रियों के विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता यह तीसरे दर्जे के मंत्री होते है।

किचन कैबिनेट: यह एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री और दो या अधिक सहयोगी शामिल होते है, जिसमें उनका विश्वास होता है

भारत के प्रधानमंत्री (1946 से 2023)

1. पंडित जवाहर लाल नेहरू 1946 से 1964

- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यालय के दौरान हुई तथा इनका कार्यकाल सबसे लम्बा था (17 साल)

(RRB NTPC 13.03.2021)

- तीन बार शपथ
- पंचशील सिद्धांत दिया
- 1961 भारत चीन युद्ध
- समाधि – शांतिवन

(SSC MTS 04.12.2011)

2. गुलजारी लाल नंदा→ (27 – 5 – 1964 से 9 – 6 – 1964) तक
प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री

3. लाल बहादुर शास्त्री→ (9 – 6 – 1965 से 11 – 8 – 1966)
विदेश यात्रा के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुयी।

- जय जवान जय किसान का नारा दिया।
- भारत पाक के मध्य ताशकंद समझौता 1966। (लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए)

(RRB NTPC 09.01.2021)

- समाधि – विजयघाट

4. गुलजारी लाल नंदा → (11 – 2 – 1966 से 24 – 1 – 1966)

- दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।

(SSC CHSL 11.07.19) (RRB NTPC 22.02.2021)

- समाधि–नारायणघाट (अहमदाबाद)

5. इन्दिरा गाँधी →(24 – 1 – 1966 से 24 – 3 – 1977) ***(SSCMTS 04.12.2011)***

- भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
- राज्यसभा की प्रथम सदस्य जो कि प्रधानमंत्री बनी।
- मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए

(SSC CGL Pre.01.12.2022)(SSC CONSTABLE GD 12.01.2023)

- इनके समय मिनी संविधान कहा जाने वाला सबसे विवादित संविधान संशोधन (42 वां) 1976 में हुआ।
- गरीबी हटाओ का नारा दिया और आम चुनाव (1971)जीतने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व किया

(SSC MTS 27.10.21)(SSC CPO 06.06.2016, 09.11.2022) (RRB NTPC 05.01.2021)

- स्वर्ण सिंह समिति का गठन

(SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

6. मोरारजी देसाई → (24 – 3 – 1977 से 28 – 7 – 1979)

- सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री (81 वर्ष)
- पद से त्याग–पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति
- प्रथम मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बने
- प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री

Neon Classes lasses Neon Classes
@apna_pdf

- समाधि– अभय घाट (अहमदाबाद)
- 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया

(SSC CPO 11.11.2022) (SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 23.11.2020) (SSC MTS 04.12.2011)

7. चौधरी चरण सिंह→ (28 – 7 – 1979 से 14 – 1 – 1980) ***(SSCCPO 06.06.16)(SSC CGL 13.08.2021)***

- एकमात्र प्रधान मंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया तथा यह मुख्यमंत्री भी रह चुके। और उन्होंने 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में प्रतिस्थापित किया

(SSC CGL 13.08.21) (SSCMTS 04.12.2011) (SSC CPO 06.06.2016)

- भारतीय किसानों का मसीहा
- समाधि – किसानघाट

8. इन्दिरा गाँधी → (14 – 1 – 1980 से 31 – 10 – 1984)

- प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई।
- 1975 से 1977 के बीच आपातकाल वह प्रधान मंत्री के रूप में चुने जाने पर राज्य सभा की सदस्य थीं

(SSC CGL 2019)

- ऑपरेशन ब्लू स्टार (1984)
- समाधि – शक्तिस्थल

9. राजीव गाँधी → (31 – 10 – 1984 से 1 – 12 – 1989)

- सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री (40 वर्ष)
- कम्प्यूटर क्रांति के जनक
- अंतरिक्ष क्रांति के जनक
- इनके समय मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। (61वां संविधान संशोधन)
- समाधि– वीर भूमि

10. वी.पी. सिंह→ (21 – 12 – 1989 से 10 – 1 – 1990)

- प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तथा यह मुख्यमंत्री भी रहें।
- समाधि– जननायक स्थल

11. चन्द्रशेखर→ (10 – 1 – 1990 से 21 – 6 – 1991)

1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने

(SSC CGL 18.08.21)

12. पी. वी. नरसिम्हा राव→ (21 – 6 – 1991 से 16 – 5 – 1996)

- दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री भी।
- बावरी मस्जिद कांड हुआ 1992।
- इनके समय भूमंडलीकरण(वैश्वीकरण), निजीकरण, व उदारीकरण को अपनाया गया।
- उन्होंने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LOC) पर हस्ताक्षर करके चीन भारत के संबंधों में एक नयापन लाया,
- आधुनिक भारत के चाणक्य

(SSC MTS 11.12.2011)

13. अटल बिहारी वाजपेयी(16 – 5 – 1996 से 1 – 06 - 1996)

- सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री।
- बृजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया

(SSC MTS 13.08.19, 16.08.19)

14. एच.डी.देवगौड़ा(1 – 6 – 1996 से 24 – 4 - 1997)

राज्यसभा के सदस्य तथा मुख्यमंत्री भी रहें।

15. इन्द्र कुमार गुजराल (21 – 4 – 1997 से 19 – 3 - 1998)

- 'मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन' उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा हैं।

(SSC CPO 2022, 09.11.2022)

- समाधि– स्मृति स्थल

16. अटल बिहारी वाजपेयी(19 – 3 – 1998 से 13 – 10 - 1999)

- इनके कार्यकाल में भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था।

17. अटल बिहारी वाजपेयी (13 – 10 – 1999 से 22 – 5 - 2004)

- इनके समय आगरा वार्ता हुई।
- 2001 में महासभा में हिन्दी में भाषण दिया।
- समाधि–सदैव अटल

18. डॉ. मनमोहन सिंह(22 – 5 – 2004 से 26 – 5 - 2004)

- पहले सिख प्रधानमंत्री तथा राज्य सभा सदस्य लेकिन सदन के नेता कभी नहीं रहे

(RRB NTPC 14.03.2021)

- RTI – 2005में लागू
- RTE – 2009
- नरेगा 2008
- खाद्य सुरक्षा कानून 2013

(SSC MTS 07.08.19) (CONSTABLE (GD) 01.03.2019)

- जेंडर बजट वित्त मुद्दे के रूप में पेश किया गया

(SSC MTS 16.08.19)

19. नरेन्द्र मोदी(26 – 5 – 2014 से वर्तमान तक)

(SSC CHSL 11.07.19)

- प्रथम जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ तथा मुख्यमंत्री भी रहें।

(RRB NTPC 15.02.2021)

- 2016में नोटबंदी
- 2017 में GSTलागू
- 2019मे कश्मीर से अनुच्छेद 370 का उत्सादन

प्रधान मंत्री का नाम जो कार्यालय में एक से अधिक बार कार्य करता है 1 जवाहरलाल नेहरू 2 गुलजारी लाल नंदा 3 इंदिरा गांधी, 4 अटल बिहारी वाजपेयी 5 डॉ मनमोहन सिंह 6 नरेंद्र मोदी।

याद रखने योग्य तथ्य

- एक राष्ट्रपति प्रणाली सरकार की गणतांत्रिक प्रणाली है जहाँ सरकार का मुखिया राज्य का प्रमुख भी होता है।
- सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यपालिका के सदस्यविधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

(SSC MTS 24.03.13)

- कर्नाटक, 2008 में, देश का पहला राज्य बन गया जहां परिसीमन अभ्यास किया गया, कर्नाटक बाद में परिसीमन के तहत चुनाव कराने वाला पहला राज्य बन गया
- अनुच्छेद 82– प्रत्येक जनगणना परिसीमन आयोग के भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम बनाती हैं।

(SSC CHSL 16.11.14)

- परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
- निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से वहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।

(SSCCHSL 26.03.2018)

- महिला आरक्षण बिल राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए 33: आरक्षण प्रदान करता हैं।

(SSC CGL 09.08.2015)

- लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाती है
- लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित संसद या राज्य विधायिका अवशिष्ट मामलों पर कानून बना सकती है।
- भारत के राष्ट्रपति तीन सूची के तहत किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाते हैं।
- राष्ट्रपति भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति का आनंद लेते हैं।

(RRB NTPC 18.01.2021)

- लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
- लोकतंत्र के दो रूप संसदीय और राष्ट्रपति हैं।
- भारत का गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

(RRB NTPC 01.03.2021)

- व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक राष्ट्रपति प्रणाली है।

(SSC CGL Pre, 03.12.2022)

- राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन अधिनियम, 1951 कुछ शर्तों का उल्लेख इस प्रकार है – वर्तमान समय में राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख प्रति माह मिलता है, जब भी वह सेवानिवृत्त होंगे, वर्तमान वेतन के 50: की दर से पेंशन पाने के हकदार होंगे। 2.50 लाख, वह रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की मुफ्त यात्रा का हकदार है। वह किराए के भुगतान के बिना एक सुसज्जित निवास (इसके रखरखाव सहित) का उपयोग करता है, एक टेलीफोन और एक मोटर–कार, निरू शुल्क या ऐसे कार भत्ते के लिए।

(SSC CGL Mains, 02.03.2023)

@apna_pdf

@apna_pdf

10. संघीय विधायिका (संसद)

संवैधानिक व्यवस्था और संसद के लिए प्रावधानः

अनुच्छेद 79 से 123 तक, भाग–5 में संसद से संबंधित प्रावधान किये गये है। यह सबसे प्रमुख राजनीतिक संस्थान के साथ–साथ भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, यह राष्ट्रीय विधायिका को 'देश के लोकतंत्र का मंदिर' भी कहा जाता है।

(SSC CGL Pre., 01.12.2022)
(SSC CPO 10.11.2022)

अनुच्छेद- 79 : संसद

संघ के लिए एक संसद का प्रावधान किया गया है जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होते है जो क्रमशः राज्यसभा (ऊपरी सदन) और लोकसभा (निचला सदन) के रूप में जाने जाते है।

(SSC CGL 26.06.2011 09.08.2015 10.06.2019)
(SSC SECTION OFFICER 14.12.2003)
(SSC CPO 16.12.2007 (SSC MTS 30.03.2008)
(RRB NTPC 08.02.2021)
(SSC CONSTABLE GD 11.01.2023)

14 मई 1954 को लोक सभा का नामकरण किया गया (संसदीय प्रणाली में लोक सभा और विधान सभा को अस्थाई सदन माना जाता है)

(SSC STENO 09.01.2011) (FCI ASSISTANT 22.01.2012)
(SSC MTS 23.02.2014, 16.08.2019) (SSC CGL 09.08.2015), 10.06.2019) (SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

केन्द्र में विधायिका (संसद):–

(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 2017)

	लोकसभा	राज्यसभा	राष्ट्रपति
अधिकतम सदस्य	552	250	1
चयनित सदस्य	545	245	
	सीधे जनता द्वारा	जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में	जनताद्वारा अप्रत्यक्ष रूप में
न्यूनतम आयु	25	30	35
राजस्थान क्षेत्र सदस्य	25	10	
कार्यकाल	5	6	5
अध्यक्ष	स्पीकर	सभापति	
अनुच्छेद	81	80	52
शपथ दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा			

राज्य की विधायिका :–

	विधानसभा	विधानपरिषद्	राज्यपाल
न्यूनतम सदस्य	60	40	1
अधिकतम सदस्य	500	$\frac{1}{3}$ विधानसभा के	
	सीधे जनता द्वारा	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा	नामांकित
न्यूनतम आयु	25	30	35
राजस्थान सदस्य	200	00	
कार्यकाल	5 वर्ष	6 वर्ष	5 वर्ष
अध्यक्ष	स्पीकर	सभापति	
अनुच्छेद	170	171	153
दोनों सदनों के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा			

नोटःगोवा में विधानसभा सीट – 40, सिक्किम– 32, पुडुचेरी – 30

नोटःभारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह संसद का एक अंग है।

(SSC CGL 10.08.17)

अनुच्छेद 80 :राज्यसभा की संरचना

(SSC CGL 1.09.2016)

राज्यसभा में निम्नलिखित को शामिल किया गया हैं:

(i) 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाते है, जिन्हें की साहित्य, विज्ञान, कला सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष या व्यावहारिक ज्ञान हो।

(SSC SECTION OFFICER 29.09.2006, (SSC CML 22.05.2000, 13.06.2002, (SSC CHSL 11.08.2013, 14.03.2018) (SSC CGL Pre. 2022, 03.12.2022)

(ii) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 प्रतिनिधियों से अधिक नहीं हो सकते।.

(SSC CHSL 15.03.2018) (RRB NTPC 30.12.2020)

(iii)राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यसभा में सीटों का आवटंन चौथी अनुसूची में किय गये प्रावधान के अनुसार होगा।

(iv) राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय वोट के अनुपात के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाएगा।

(SSC CGL 01.09.16)(SSC MTS 28.10.12)

राज्यसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक राज्यों की विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।

भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंदले पहली महिला थीं जिन्हे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। नरगिस दत्ता पहली महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिये मनोनीत हुई।

(SSC CPO 07.09.2003)(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 29.01.2018)

राज्यसभा का कार्यकाल :

•राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता है लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते है।

(SSC CML 13.05.1999, 21.05.2000, 13.05.2001,)
(SSC CPO- 09.11.2008, 05.06.2016, 16.0319)
(SSC CGL 18.08.2021, 11.05.2003, 21.04.2013),
(SSC MTS 27.10.2013,11.03.2014)
(SSC FCI ASSISTANT 11.11.2021) (RRB NTPC 25.01.2021)

- 3 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा का गठन, सदस्य – 216 जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए और 204 राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में चुने गए। कांग्रेस के पास 172 सीटों का बहुमत था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 8 सीटें थीं

(SSC CGL 18.08.2021 13.04, 2021, 7.12.2022),
(SSC STENOGRAPHER 19.11.2022)

- भारत में राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों की अधिकतम संख्या 245 है।

(SSC CAPF ASI& Delhi Police SI (02.07.2017)

- सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुनाव के लिए योग्य/पात्र है। तथा वह कितने भी समय के लिए चयनित हो सकते है।
- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा।

(RRB NTPC 06.04.2021)(SSC CAPFs ASI & DELHI POLICE SI 1.07.2017) (RRB NTPC 04.02.2021)

- राज्यसभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है।
- राज्यसभा सदस्य का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ है।

(RRB NTPC 22.02.2021)

राज्यसभा के लिए योग्यता–

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(SSC CGL 04.07.1999, 08.09.2016), 11.01.2017),
(SSC CPO 02.09.2006, 14.12.2003),
(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 04.07. 2017)
(SSC CHSL 16.01.17)
(SSCMTS 04.12.2011)

- उसके अलावा दूसरी योग्यताएं जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए।

अनुच्छेद 81 : लोकसभा की संरचना

- लोकसभा संसद का निम्न सदन है, इसे प्रथम सदन या जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा का मुख्य कार्य कार्यपालिका का चयन करना है।

(SSC FCI 22.01.2012), (SSC CGL 12.06.2019)

- लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 सदस्य पर निर्धारित है। 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते है 20 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते है और दो सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था।

नोटः 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा में दो आंग्ल–भारतीय सदस्यों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

(SSC MTS 22.10.2021) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 05.07.2017) (RRB NTPC 28.12.2020)(SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)

Note:-संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।

योग्यताः

- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- अन्य योग्यता जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हो।

(SSC CHSL 16.01.2017 17.03.2018, 04.07.2019)(SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 22.11.2017)(SSC CML

Neon Classes Neon Classes Neon Classes
@apna_pdf

05.05.2002, (SSC CGL 13.11.2005, (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 04.07.2017) (SSCMTS 04.12.2011)(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023, 27.01.20230

- उसे ऐसी अन्य योग्यताओं को अनुसरण करना चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में निर्धारित की जा सकती हैं।
- दलबदल से संबंधित मामले में अयोग्यता स्पीकर या सदन के सभापति द्वारा तय की जाती है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा।

(SSC CHSL 10.07.2019)

- भ्रष्ट आचरण से संबंधित मामले में, यह राष्ट्रपति होता है, जो चुनाव आयोग के परामर्श से अंतिम आदेश पारित करता है, भले ही विवाद का निर्णय अदालतों द्वारा किया गया हो।

(SSC CGL 07.09. 2019, 07.06.2019)

- भारतीय संसद में एक सदस्य संसद की अपनी सदस्यता खो देगा यदि वह 60 दिनों तक सत्र से लगातार अनुपस्थित रहता है।

(SSC CGL 19.06.2011), (SSC CHSL 17.03.2018)

लोकसभा का कार्यकाल

- आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होता है, जिसके बाद यह स्वतः ही भंग हो जाती है।

(SSC CHSL 20.01.2017)(SSC CONSTABLE GD 12.01.2023)

- आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 1971 में जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया गया था, तब मध्यावधि चुनाव कराया गया था।
- भारत के पहले आम चुनाव (1951–52) के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था।

(SSC CISF 05.06.2011) and (SSC MTS 06.08.2019), (SSC STENO 14.09.2017)21.10.2020, 08.07.2019) (SSC CPO 05.06.2016) (SSC CONSTABLE GD 07.02.2023,08.02.2023)

संसद के सत्र

राष्ट्रपति समय–समय पर संसद के प्रत्येक सदन के लिए बैठक बुलाता है। लेकिन संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है।

(SSC SECTION OFFICER 09.09.2001)

इसका मतलब यह है कि संसद को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए।

(SSC CGL 27.02.2000, 08.02.2004, 13.11.2005, 10.09.2016, 13.06.2019) SSC CPO 03.09.2006,) (SSC STENO 11.09.2017) (SSC CHSL 02.11.2014), 17.03.2018) (RRB NTPC 16.02.2021)

आमतौर पर वर्ष में तीन सत्र होते है।

(SSC CHSL 17.03.2018) (SSC CGL 13.07.2019)

(i) बजट सत्र (फरवरी से मई तक)

(SSC CHSL 28.11.2010)

(ii) मानूसन सत्र (जुलाई से सितम्बर)

(iii) शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसम्बर तक)

(SSC STENO11.09.2017)(SSC CHSL 17.03.2018)

स्थगन:-स्थगन एक निर्दिष्ट समय के लिए बैठकों को दिन सप्ताह या घंटो के लिए निलंबित करना है।

अनिश्चितकाल के लिए स्थगन :

- जब सदन को अगली बैठक के दिन को निश्चित किये बिना ही स्थगित किया जाता है, तो उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहा जाता है।
- अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित घोषित करने के बाद भारत के राष्ट्रपति इस प्रक्रिया द्वारा सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करते हैं।

(SSC CHSL 28.03.2018)

सत्रावसान:

- राष्ट्रपति सत्र के सत्रावसान (सत्र की समाप्ति) के लिए एक अधिसूचना जारी करता है।

(SSC MTS 04.12.2011)

- मंत्रिपरिषद से परामर्श के बाद सत्रावसान संसद से संबद्ध नहीं है।

(SSC MTS 04.12.11) (SSCCGL 31.08.16, 10.09.16) (SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 23.11.17) (SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 05.07.17) (SSC CHSL 12.03.18, 28.03.18)

कोरम: कोरम किसी भी सदन में काम–काज शुरू होने से पहले उपस्थित होने वाले न्यूनतम लोगों की संख्या है। यह अधिकारी सहित प्रत्येक सदन में कुल संख्या का $\left(\frac{1}{10}\right)$ हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 100(3) के तहत राज्य सभा के लिए न्यूनतम कोरम है यानी 25 सदस्य।

(SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 02.07.2017), (SSC CHSL 05.07.2019) (RRB NTPC 27.03.2021) (SSC CGL Pre.2022, 07.12.2022) (SSC CONSTABLE GD 01.02.2023, 13.02.2023)

संसद की भाषा:

- संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद में कार्यकारी भाषा घोषित की हैं।
- हालांकि, पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सभा को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

लेमडक सत्र (लुंज–पुंज सत्र):

यह मौजूदा लोकसभा के उस सत्र को संदर्भित करता हैं, जो एक नए लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद होता है। मौजूदा लोक–सभा के सदस्य जो नई लोक–सभा में चुने नहीं जा सके हैं, उन्हें लेम डक के रूप में जाना जाता हैं:

संसदीय कार्यवाही के उपकरण:

प्रश्नकाल: प्रत्येक सदन का पहला घंटा इसके लिए आवंटित रहता है। इस दौरान सामान्यतया: सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते है तथा मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये जाते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैः तारांकित, गैर–तारांकित तथा संक्षिप्त सूचना वाले।

(SSC CPO 09.11.2022)

(i) तारांकित प्रश्नः इनके मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके लिए पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(ii) गैर–तारांकित प्रश्नः इसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है इसिलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते ळें

(iii) अल्प सूचना प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है।

(SSC MTS 19.08.2019)

शून्य–कालः

प्रश्नकाल तथा कार्यक्रम तय करने के बीच के समय या अंतराल को शून्य काल के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय संसदीय प्रणाली द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में पेश किया गया एक भारतीय नवाचार है तथा 1962 में अस्तित्व में आया। इसके तहत, संसद सदस्य (सांसद) बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं।

(SSC SECTION OFFICER 29.09.2005, (SSC STENOGRAPHER 09.01.2011), (SSC CGL 26.06.2011), 13.06.2019), (SSC (10+2) 04.12.2011)

- वर्तमान में मतपत्र में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन 20 मामले शून्यकाल में उठाए जाने की अनुमति है, यह आदेश अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से लिया जाता है।

(SSC MTS 04.12.11) (SSC CHSL 06.03.2018, 08.07.2019)

- शून्यकाल औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है जो संसद सदस्य के लिए उपलब्ध है।

(SSS CHSL 06.03.18)

संसद में महत्वपूर्ण प्रस्तावः–

1. ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सदन का कोई भी सदस्य एक जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे राज्यसभा के साथ–साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. अविश्वास–प्रस्तावः

यह विपक्ष द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव है जिसमें दावा किया जाता है सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है, और यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यह केवल लोक–सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच छह महीने का अंतर होना चाहिए।

(SSC JUNIOR ENGINEER 29.01.18) (SSC MTS 04.12.2011) (SSC CHSL 16.11.14, 11.07.2019), (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 05.06.16, 05.07.2017), 12.12.2019), (SSC STENOGRAPHER 14.09.2017), (SSC DELHI POLICE CONSTABLE 2.12.2020),

3. निंदा प्रस्तावः

यह प्रस्ताव किसी मंत्री या सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए लाया जाता है। यदि सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उसे सदन का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहिए ।इसके पारित होने पर सरकार को अविश्वास प्रस्ताव की तरह इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है।

4. विशेषाधिकार प्रस्तावः

यह प्रस्ताव सदन के सदस्य द्वारा लाया जाता है। यह मंत्रियो के उपर तथ्यों को गलत तरीके से सदन में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया जाता है।

(SSC CGL 11.09.2016)

5. धन्यवाद प्रस्तावः

प्रत्येक आम चुनाव के बाद का पहला सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। इस संबोधन में, राष्ट्रपति

@apna_pdf

पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा रखता है।

6. आधे घंटे की चर्चाः

चर्चा के लिए स्पीकर सप्ताह में 3 दिन आवंटित कर सकता है।

7. काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्तावः

संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है, और इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

(SSC CGL 27.08.2016)

8. समापन प्रस्तावः

यह प्रस्ताव सदस्य द्वारा बहस को कम करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है। यदि प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है, तो बहस रोक दी जाती हैं।

9. अल्पकालिक चर्चाः

यह तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। अध्यक्ष ऐसी चर्चाओं के लिए सप्ताह में दो दिन आबंटित कर सकता है। यह 1953 से अस्तित्व में है, इसे दो घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है।

संसद में विधायी प्रक्रियाः

संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है, जब एक विधेयक संसद में रखा जाता है और दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है

विधेयक चार प्रकार के होते है।

(i)साधारण, (ii)धन, (iii)वित्त (iv) संविधान संशोधन विधेयक।

(SSC CGL 15.04.21)

विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना होता हैः–

1. **पहला वाचन :** बिल का प्रस्तुतिकरण का पहला वाचन या प्रथम चरण कहलाता है।
2. **दूसरा वाचनः** दूसरा वाचन खण्ड़ों व उप खण्डों के विचार विमर्श किया जाता है तथा इसे चयनित एक प्रवर समिति को जाँच के लिए सौंपा जाता है।
3. **तीसरा वाचनः** इस स्तर पर बहस के बाद बिल को स्वीकृत या अस्वीकृति किया जाता है यदि सदन में उपस्थित सदस्यों का मतदान करने वाले का साधारण बहुमत से स्वीकार करते है, तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है। साधारण विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश किया जा सकता हैं।

(SSC CHSL 19.03.18)

एक साधारण विधेयक को पारित करने में, उपस्थित सदस्यों का एक साधारण बहुमत आवश्यक है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए एक बिल के मामले में, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।

4. दूसरे सदन में विधेयकः

दूसरे सदन में भी विधेयक को तीनों चरणों से पारित कराना होता है इसके लिए

(1) यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर सकता है और पुर्नविचार के लिए पहलें सदन में वापिस भेज सकता है।

(2) यह विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता हैं।

(3) यह विधेयक को पहले सदन द्वारा बिना संशोधन किये ही पारित कर सकता है।

(4) विधेयक को लम्बित रखने पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

(5) राष्ट्रपति की अनुमति

संसद के दोनों सदनों द्वारा या संयुक्त बैठक पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता हैं। राष्ट्रपति के समक्ष तीन विकल्प होते हैं।

(i) वह बिल पर अपनी सहमति दे सकता है।

(ii) वह बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है।

(iii)वह सदन के पुर्नविचार के लिए विधेयक को वापिस कर सकता हैं।

यदि राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति देता है तो बिल एक कानून बन जाता है और इसे कानून की पुस्तक में रखा जाता हैं।

वित्तीय विधेयकः

वित्तीय विधेयक वह विधेयक होते है जो राजकोषीय विषयों, राजस्व एवं व्यय से संबंधित होते हैं। वित्तीय विधेयक तीन प्रकार के होते हैं:

(i) धन–विधेयकः

अनुच्छेदः 110

- धन–विधेयक की परिभाषा से संबंधित हैं। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित विधेयक भारतीय राजनीति और शासन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधार विधेयक, दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी इससे संबंधित है।

(SSC MTS 08.10.21)
(SSC CAPFs SI &DELHI POLICE SI 20.03.2016),
(SSC CHSL 23.03.2018)
(RRB NTPC 29.01.2021) (RRB NTPC 31.07.2021)
(SSC CGL Pre. 07.12.2022) (SSC CGL Mains 03.03.2023)

विधेयक को धन–विधेयक कहा जाता है यदि इसमें निम्नलिखित में से कोई एक या सभी मामलों के प्रावधान होः

- किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन
- समेकित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की निगरानी, इस तरह के कोष से धन का भुगतान या इसमें वापसीः
- भारत के संचित निधि से धन का विनियोग।
- भारत या सार्वजनिक खाते के संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते या निगरानी या निर्गम के लिए किसी भी व्यय की घोषणा संघ या किसी राज्य के खातों का लेखा–जोखा

ऊपर निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई भी विषय हो।

(SSC MTS 21.10.12)(SSC CHSL 23.03.2018)

नोटः

(i) धन–विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही, धन विधेयक के रूप में माना जाता है।

(ii) राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(SSC CAPF SI 22.06.14)(SSC CPO 06.06.16,04.07.2016)

(iii)धन–विधेयक पर लोकसभा के पास राज्य सभा की तुलना में अधिक शक्तियां है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर लोकसभा को विधेयक वापिस नहीं करती है तो विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित किए गये मूल रूप में पारित मान लिया जाता हैं।

(iv)प्रत्येक धन–विधेयक को एक सरकारी विधेयक माना जाता हैं, और यह केवल मंत्रियो द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

वित्त विधेयकः

अनुच्छेद117:

वर्गीकरण दर्शाता है, कि धन विधेयक, वित्तीय विधेयक का ही एक प्रकार है। अतः सभी धन विधेयक, वित्तीय विधेयक होते है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक, धन विधेयक नहीं होते हैं।

- केवल वही वित्तीय विधेयक, धन विधेयक होते है, जो अनुच्छेद 110 में दिये विषयों से संबंधित है। ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किये जाते हैं।

(SSC CGL 13.06.19)

वित्त विधेयक पेश होने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना है

- **संसद के पीठासीन अधिकारीः**
- **राज्यसभा सभापति**
- राज्य सभा में पीठासीन अधिकार राज्यसभा का सभापति कहलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

(SSC MTS 21.10.12,20.10.21)(SSC CPO 03.09.06)
(SSC CML 30.03.08) (SSC CHSL 22.01.17, 19.04.21)
(SSC FCI 11.12.2012)

नोटः किसी भी अवधि में अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के कार्यो का निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता हैं।

राज्यसभा के उपसभापति

राज्य सभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है।

लोकसभा अध्यक्षः

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है (जितनी शीघ्र हो सके, संभवतया पहली बैठक में ही)

(SSC MTS 17.09.2017),
(SSC SECTION OFFICER 30.09.2007)
(SSC LDC 28.10.2012)
(RRB NTPC 19.01.2021)
(SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

- लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अध्यक्ष अपने चुनाव की तिथि से लोकसभा की पहली बैठक से भंग होने के ठीक बाद तक पद धारण करता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ था।

(SSC CHSL 06.08.21)

@apna_pdf

Neon Classes @apna_pdf Neon Classes Neon Classes

- जब भी अध्यक्ष का पद खाली रहता है तो लोकसभा रिक्ती भरने के लिए वरिष्ठ सदस्य को चुन लेती है।
- लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा देता हैं।
- वह लोकसभा के सभी मौजूद सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

(SSC CML27.05.01, 05.05.2002) (SSCCGL 16.05.10, 02.09.16)(SSC MTS 05.05.2001, 27.05.2002 18.10.21,)

- 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, शक्तियाँ एवं भूमिका:

(1) वह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय ही अंतिम होता है, (अनुच्छेद-110 के तहत)

(SSC SECTION OFFICER 09.09.2001) (SSC CGL 27.07.2008 13.06.2019),(SSC CML 27.05.2008)(SSC 10+2 04.11.2012) (SSC MTS 27.05.2001) (RRB NTPC 03.03.2021)

(2) वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जो दोनो सदनो के मध्य किसी विधेयक को लेकर विवाद होने पर बुलाया जाता है।

(SSC MTS 17.09.2017)(SSC CHSL 05.07.2019) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 02.07.2017), (SSC CML 05.05.2002, (SSC CGL 12.06.2019), (SSC CHSL 05.07.2019)

(3) वह कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के स्वीकार करने या ना करने का निर्णय करता है।

(SSC CHSL 08.07.19)

(4) वह अनुसूची 10 के तहत सदस्यों के अयोग्यता का निर्णय करता है।

(SSC CGL 07.09.16 07.06.2019), (SSC CHSL 10.07.2019)

(5) वह सदन के कार्यों की मर्यादा बनायें रखता हैं।

(6) वह विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्ष नियुक्त करता हैं।

(7) अध्यक्ष, व्यापार सलाहाकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रायोजन समिति की अध्यक्षता करता हैं।

(8) जब लोक सभा को भंग कर दिया जाता है, तो सभी लोकसभा सदस्यों का पद खत्म हो जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहता है जब तक की अगली लोकसभा का गठन ना हो जायें।

(9) लोकसभा में अध्यक्ष सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है। लेकिन टाई के मामले में, वह अपने अधिकार का प्रयोग उस पार्टी के पक्ष में करता है जिससे वह संबंधित है। लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा मतदान करना कास्टिंग वोट कहलाता है।

(SSC CML 26.05.2002,) (SSC SECTION OFFICER 03.05.2008), (SSC CAPFs ASI & DELHI Police SI exam 04.07.2017), (SSC CHSL 12.03.2018)

(10)लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा अध्यक्ष के अंतिम मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। यह पद लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त और पदग्राही किया जाता है।

(SSC CGL 06.09.2016), (SSC FCI 11.11.2012)

(11)लोकसभा का महासचिव लोकसभा का प्रमुख इसके सचिवालय का प्रमुख होता है जो स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।

(SSC STATISTICAL INVESTIGATOR, 31.07.05) (SSC FCI 11.11.12)

(12)लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा समूह के पदेन अध्यक्ष हैं। भारतीय संसद और उसके विदेशी समकक्षों के बीच एक कड़ी, यह समूह अंतर–संसदीय संघ (IPU) के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है।

(SSC CGL 16.08.21)

(13)लोकसभा अध्यक्ष किसी भी स्तर पर विधेयक को चयन समिति को भेज सकता है, यह अध्यक्ष के विवेक के अधीन आता है

(14)सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MP-LAD) भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई थी।

(SSC CHSL 08.07.19)

(15)लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(RRB NTPC 02.02.2021)

लोकसभा अध्यक्षों की सूची–

क्र. सं.	नाम	कार्यकाल
1	गणेश वासुदेव मावलंकर *(SSC CGL09.08.15)(SSC CHSL 06.12.15)*	15 मई 1952 27 फरवरी 1956
2	एम ए अयंगर	8 मार्च 1956 16 अप्रैल 1962
3	सरदार हुकम सिंह	17 अप्रैल 1962 16 मार्च 1967
4	नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च 1967 19 जुलाई 1969
5	गुरदयाल सिंह ढिल्लों	8 अगस्त 1969 1 दिसंबर 1975
6	बली राम भगत	15 जनवरी 1976 25 मार्च 1977
7	नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च 1977 13 जुलाई 1977
8	के एस हेगड़े	21 जुलाई 1977 21 जनवरी 1980
9	बलराम जाखड़	22 जनवरी 1980 18 दिसंबर 1989
10	रवि राय	19 दिसंबर 1989 9 जुलाई 1991
11	शिवराज पाटिल	10 जुलाई 1991 22 मई 1996
12	पीए संगमा	23 मई 1996 23 मार्च 1998
13	जी एम सी बालयोगी	24 मार्च 1998 3 मार्च 2002
14	मनोहर जोशी	10 मई 2002 2 जून 2004
15	सोमनाथ चटर्जी	4 जून 2004 30 मई 2009
16	मीरा कुमार (लोकसभा की पहली महिला स्पीकर) *(SSC CGL 28.08.16) (SSC CHSL 13.01.17, 05.07.19) (SSC CHSL 13.01.2017)*	30 मई 2009 4 जून 2014
17	सुमित्रा महाजन *(RRBNTPC12.01.2021)*	4 जून 2014 16 जून 2019
18	ओम बिरला *(SSC MTS 5.08.2019)*	18 जून 2019 वर्तमान

लोकसभा उपाध्यक्ष :

- लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उप पीठासीन अधिकारी होता है।
- वह लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या बीमारी के कारण छुट्टी या अनुपस्थिति के मामलें में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता हैं।
- लोकसभा सदस्यों के बीच में 5 साल के लिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में ही उपसभापति का चुनाव कर लिया जाता हैं।
- उसे सदस्यों द्वारा लोकसभा में बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता हैं।
- 11वीं लोकसभा से ही, यह आम सहमति बन गई है कि अध्यक्ष सरकार की पार्टी का होता है जबकि उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होता हैं।
- **प्रोटेम स्पीकरः–** वह नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है।

(RRB NTPC 05.04.2021)

- संविधान में यह प्रावधान है कि, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई चुनी हुई लोकसभा के लिए अपना पद खाली कर देता है।

(SSC CHSL 26.10.2020)

- राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है।

(SSC CGL 23.08.2021)

- सामान्यतः सबसे वरिष्ठ नेता को ही चुना जाता है।
- राष्ट्रपति स्वयं, प्रोटेम स्पीकर को अपने पद की शपथ दिलाता है।

लोकसभा के अध्यक्षों का पैनलःलोकसभा के नियमों के तहत, स्पीकर 10 सदस्यों से ज्यादा का पैनल नही बना सकता है।

- उनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकता है।

सदन का नेताः लोकसभा के नियमों के तहत, सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। या लोकसभा के सदस्य

@apna_pdf

@apna_pdf

या मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है जो सदन के नेता के रूप में कार्य करता है।

- राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।

प्रतिपक्ष: विपक्ष के नेता को संसद अधिनियम 1977 के द्वारा से आधिकारिक मान्यता दी गई थी, तथा केबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते दिये गये, यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को परिमाणित करता है।

संसद में बजट: संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट का उल्लेख किया गया। दूसरे शब्दों में कही भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।

- यह वार्षिक वित्तीय वितरण का लोकप्रिय नाम है जो कि अनुच्छेद–112 से संबंधित है।
- आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं।

(SSC JUNIOR ENGNER 23.01.2018)
(SSC CONSTABLE GD 08.02.2023)

- वह नीति जो सरकार के कर और व्यय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राजकोषीय नीति कहलाती है
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है
- अगस्त-2016 में केन्द्र सरकार ने रेल्वे बजट को आम बजट में मिला दिया।

(SSC MTS 09.08.2019)

संसद के कार्य एवं शक्तियां

(1) विधायी शक्ति तथा कार्य:

संसद का प्राथमिक कार्य देश के शासन के लिए कानून बनाना हैं।

- संसद निम्न विषय पर कानून बना सकती है

(i) संघ सूची (100 विषय, मूल रूप से 97)
(ii) समवर्ती सूची (52 विषय, मूल रूप से 47)
(iii) राज्य सूची, 61 विषय (मूलत 66)

संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के लिए अधिकार देता हैं।

- **निम्नलिखित पांच असामान्य परिस्थितियों में:**

(i) जब राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दे
(ii) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
(iii) जब दो या अधिक राज्य संयुक्त रूप से संसद से निवेदन करे।
(iv) जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियों एवं सम्मेलनों की शर्तों को प्रभावी करना हो।
(v) जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो

संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, यदि वह कोई भी सूची में शामिल ना हो (संघ, राज्य एवं समवर्ती)

(2) कार्यपालिका शक्ति एवं कार्य:

संसद कार्यपालिका पर निम्न के माध्यम से नियंत्रण रखती है प्रश्नकाल, शून्य–काल, आधा–घंटा चर्चा तथा लघू अवधि का विचार, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अन्य चर्चाओं द्वारा

- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक–सभा के प्रति जिम्मेदार होती है, वे तब तक अपने पद पर बने रहते है जब तक कि वह लोक–सभा में बहुमत से अपना विश्वास बनाए रखें।

(SSC MTS 21.08.19)

मंत्रीपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है।

लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव निम्न तरीके से ला सकती है–

(i) राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करके
(ii) धन विधेयक को अस्वीकार करकें।
(iii) निंदा तथा स्थगन प्रस्ताव पारित करके।
(iv) सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दो पर घेरकर
(v) कटौती–प्रस्ताव पारित करके। कटौती प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है, कटौती प्रस्ताव में, मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है, इसे टोकन कटौती के रूप में जाना जाता है।

(SSC CGL 02.09.2016) (SSC MTS 11.12.11)

और सरकार द्वारा चर्चा किए गए आर्थिक बिल में मांग का विरोध करने के लिए लोकसभा के सदस्य को वीटो शक्ति, यदि सदन द्वारा कटौती प्रस्ताव अपनाया जाता है और सरकार के पास बहुमत संख्या नहीं है, तो वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य है।

(3) वित्तीय शक्ति तथा कार्य:

संसद के अधीन संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा कोई भी कर ना तो लगाया जा सकता है ना ही हटाया जा सकता है और ना ही व्यय किया जा सकता है।

बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है।

धन विधेयक जिसमें मूलत: केवल अनुच्छेद 110 के मामले हो तो केवल लोकसभा में ही लाये जा सकते है। राज्यसभा में नहीं।

- संसद अपनी वित्तीय समितियों की मदद से सरकारी खर्च और वित्तीय प्रदर्शन की भी जांच करती है।
- वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद खुद संसद के सदस्यों का वेतन तय करती है।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 22.01.2018)

(4) संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य:

अनुच्छेद–368के तहत संसद संविधान को निम्न तीन प्रकार से संशोधित कर सकती है:–

(SSC DELHI POLICE 05.12.2017), (SSC CHSL 04.03.2018), (SSC CGL 06.09.2016), 06.03.2020), (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 07.06.2017)
(SSC DELHI POLICE 05.12.2017), (SSC CHSL04.03.2018), (SSC CGL 06.09.2016), 06.03.2020), (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 07.06.2017)

(i) विशेष बहुमत से: प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 50 प्रतिशत से अधिक, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई (2/3) से कम नहीं हो।

(ii) साधारण बहुमत से: संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या।

(iii) विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधानमण्डलों की सहमति से:

- संविधान के वे प्रावधान जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, उन्हें संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और साधारण बहुमत से आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति से भी।
- राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में राष्ट्रपति का चुनावय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्वय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरणय और संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा। संविधान का संशोधन किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है।

(SSC CHSL08.09.2016, 20.03.2018)

- सबसे महत्वपूर्ण बात– अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है

नोट: संसद संविधान की ''मूल विशेषताओं'' को छोड़कर संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। यह निर्णय केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया तथा इसे मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में इसकी पुष्टि कर दी गई।

(SSC TAX ASSISTANT 11.12.2005)
(SSC STENO 11.09.2017) (RRB NTPC 06.04.2021)
(SSC CGL Pre. 03.12.2022)

(5) न्यायिक शक्ति एवं कार्य:

- संसद की न्यायिक शक्ति एवं कार्यों में निम्नलिखित शामिल है

(i) राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है।
(ii) उप–राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते है।
(iii) यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकती है।

(SSC CPO 09.11.2022)

(iv) यह संसद के विशेषाधिकारों या इसकी अवमानना के उल्लंघन के लिए अपने सदस्य या बाहर के लोगों को सजा दे सकता है।

(6) चुनावी शक्ति एवं कार्य:

(i) संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
(ii) लोक सभा अपने अध्यक्ष एवं उपसभापति का चुनाव करती है तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है।

(7) अन्य शक्ति तथा कार्य:

यह देश में उच्चतम विचारशील निकाय के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करता है।

- यह संबंधित राज्य विधानसभा की अनुशंसा पर राज्य विधानपरिषद का निर्माण या उन्मूलन कर सकता है
- यह सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकता है। तथा दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।

(iv) यह राज्यों की सीमाओं को घटा एवं बढा सकती है तथा भारत के राज्यों के नाम बदल सकता है।
(v) यह सभी तीनों प्रकार की आपातकालीन स्थितियों को अनुमोदित करता है:

Neon Classes ...lasses Neon Classes
@apna_pdf

(i) 352 – राष्ट्रीय आपातकाल

(ii) 356 – राज्य आपातकाल

(iii)360 – वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में लागु नही की गई।

(SSC CAPFs SI, CISF ASI & Delhi police SI 21.06.15)(SSCCGL 16.08.17)

यदि इस समय (आपातकाल) के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, तो शासन लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के लिए मान्य होता है, बशर्ते कि यह निरंतरता पहले से ही राज्य सभा द्वारा अनुमोदित हो।

(SSC CHSL 20.03.2018, 22.03.2018)

- **राज्य सभा के संबंध में लोकसभा की विशेष शक्ति:**धन विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है ना कि राज्य सभा में। राज्यसभा कोई भी संशोधन स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर सिफारिशों या बिना सिफारिशों के धन विधेयक लोक–सभा के पास भेज देना होता है। .

(SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 2014), (SSC CPO 06.06.2016) (RRB NTPC 09.03.2021, 19.03.2021)

लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिशों को मान भी सकती है और नही भी दोनों ही परिस्थितियों में विधेयक को पारित माना जायेगा।

संयुक्त बैठक में सामान्यतया लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है सिवाय इसके कि जब दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल की संयुक्त ताकत विपक्षी दलों की तुलना में कम हो।

राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती।

राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है।

केवल लोकसभा ही मंत्रिपरिषद को बहिष्कृत कर सकती है, एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

- **लोकसभा के संबंध में राज्यसभा की विशेष शक्ति:**

यह संसद को अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में उल्लिखित विषय बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है यदि राज्य सभा घोषित करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

(SSC CAPF SI 21.06.15)

- यह संसद को केन्द्र तथा राज्य दोनों के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के बारें में सूचित कर सकती है।
- राज्यसभा में विशेष बहुमत के बिना संवैधानिक संशोधन के मामले में इसे पारित नहीं किया जा सकता है।

(SSC CGL 22.08.2017)

- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है:

''संसद में सीटों का आवंटन''

क्र. स.	राज्य / केन्द्र शासित राज्य	राज्यसभा में सीटों की संख्या	लोकसभा में सीटों की संख्या	राज्य विधान सभा में सीटों की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	11	25	175
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	2	60
3.	असम	7 *(SSC CHSL 04.08.21*	14	126
4.	बिहार	16	40 *(SSC MTS 06.10.21*	243
5.	छत्तीसगढ़	5 *(SSC CHSL 23.03.2018)*	11	90
6.	गोवा (जिले की सबसे कम संख्या) *(SSCCHSL8.07.2019)*	1	2	40
7.	गुजरात	11	26	182
8.	हरियाणा	5	10	90
9.	हिमाचल प्रदेश	3	4	68
10	झारखण्ड	6	14	81
11	कर्नाटक	2	28	224
12	केरल	9	20	140
13	मध्य प्रदेश	11	29	230
14	महाराष्ट्र	19 *(SSC CGL 19.08.2017)*	48	289 *(RRB NTPC08.02.2021*
15	मणिपुर	1	2	60
16	मेघालय	1	2 *(RRB NTPC 22.01.2021)*	60
17	मिजोरम	1	1	40
18	नागालैण्ड	1	1	60
19	उड़ीसा	10 *(SSC CGL 21.08.17*	21	147
20	पंजाब	7 *(SSC CGL 21.08.2017)*	13	117
21	राजस्थान	10	25 *(SSC CHSL 19.03.20*	200 *(RRB NTPC 08.02.2021)*
22	सिक्किम	1	1	32
23	तमिलनाडु	18	39	234
24	तेलंगाना (02.06.2014 को भारत का 29वां राज्य) *(SSC CHSL 04.08.21)*	7	17	119
25	त्रिपुरा	1	2	60
26	उत्तराखण्ड	3	5	70 *(RRB NTPC 08.02.2021)*

@apna_pdf

@apna_pdf

27	उत्तर–प्रदेश (लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व) *(SSC CHSL18.03.2020)*	31 (राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या) *(SSCJUNIOR ENGNEER 29.01.18)* *(SSC CAPFs SI, CISF ASI 11.12.2019)*	80 *(SSC CHSL 17.03.20)*	403 *(SSC MTS 13.10.2021)*
28	पश्चिम बंगाल	16 *(SSC CHSL 21.01.2017)*	42 *(SSC CGL 20.08.2017)*	294
29	अण्डमान तथा निकोबार - द्वीप समूह	-	1	
30	चंडीगढ़	-	1 *(SSC CGL 19.01.2017)*	
31	दादर एवं नागर हवेली	1	*(SSC CHSL 08.07.19)*	
32	दमन एवं दीव	-	1	
33	दिल्ली	3	7	70
34	लक्षद्वीप	-	1	
35	पुडुचेरी	1	1	30
	कुल	**245**	**545**	

लोकसभा की अवधि (पहली से वर्तमान तक)

लोकसभा सत्र	लोकसभा की अवधि
पहला सत्र 13 मई 1952 *(SSCMTS 06.0819(SSC CHSL 08.07.2019)*	1952 – 57 *(SSC MTS 6.08.2019)* *(SSC CAPFs SI, CISFASI & Delhi police SI 12.12.2019)*
दुसरा	1957 –19 62
तीसरा	1962-1967
चौथा	1967-1970
पाँचवां	1971-1977
छठा	1977-1980
सातवां	1980-1984
आठवां	1985-1989
नौवां	1989-1991
दसवां	1991-1996
ग्यारहवे	1996-1997
बारहवी	1998-1999
तेरहवां	1999-2004
चौदहवां	2004-2009
पन्द्रहवी	2009-2014
सोलहवां	2014-2019
सत्रहवाँ	2019- आज तक

संसद से संबंधित अनुच्छेदः

अनुच्छेद संख्या	विषय–वस्तु
79	संसद का गठन
80	राज्यसभा की संरचना
81	लोकसभा की संरचना
82	प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन
83	संसद के सदनों की अवधि
84	संसद की सदस्यता की योग्यता *(SSC CHSL 12.08.21)*
85	संसद के सत्र., सत्रावसान और विघटन
86	सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
87	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
88	सदनों के विषय में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार
89	राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
90.	उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
91	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने कि उपासभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति
92	सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जब उसका पीठासीन ना होना।
93	लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष *(SSC CHSL 12.10.2020)*
94	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग और पद से हटाया जाना।
95	अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां
96	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना।
97	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
98	संसद का सचिवालय *(SSC CGL 18.08.21)*
99	सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
100	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति *(SSC-CPO 16.03.2019)*
101	पदों का रिक्त होना।
102	सदस्यता के लिए निरर्हताएं
103	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
104	अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
105	संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। *(SSC CHSL 08.07.2019)*
106	सदस्यों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित *(SSC JUNIOR ENGINEER 22.01.18)*
107	विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलब्ध
108	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
109	धन–विधेयक के संबंध में विशेष–प्रक्रिया। *(SSC CGL 17.08.21)*
110	''धन–विधेयक''की परिभाषा
111	राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति
112	वार्षिक वित्तीय विवरण
113	संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
114	विनियोग विधेयक
115	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
117	वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध
118	प्रक्रिया के नियम
119	संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
120	संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा *(SSC CGL Pre 05.12.2022)*
121	संसद में चर्चा पर निर्बधन
122	न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
123	संसद के सत्र में ना होने के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

संसदीय समितिः

संसदीय समिति दो प्रकार की होती है–

(SSC (10+2) 11.12.2011)

(i) अस्थाई समिति– एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है।

(SSC (10+2) 21.10.2012)

(ii) स्थायी समिति – हर साल या समय–समय पर गठित की जाती है, और निरंतर काम करती है।

(SSC MTS 11.12.11)

स्थायी समितियां निम्नलिखित है

@apna_pdf

@apna_pdf

1. लोक लेखा समिति:

- स्थापना: 1921 में सरकारी अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत।
- सदस्य: 22, (15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से)
- सदस्यों का चयन हर साल संसद द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर
- मंत्रियो को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
- 1966-67 तक अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता था। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है

(SSC STENOGRAFER, 30.09.10) SSC MTS 27.10.13) (SSC CGL 27.08.2016, 30.08.16), (SSC STENOGRAPHER 26.09.2010)

- इस समिति के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है।

एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता हैं।

- यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है।

(SSC MTS 10.03.2013) (SSC CGL 27.04.14 02.09.16)

- इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कहाजाता है।

(SSC CGL 31.08.2016)

2. प्राक्कलन समिति:

- स्थापना: 1950 में जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर

(SSC CGL Mains 02.03.2023)

- सदस्य: 30 (सभी लोकसभा सें) यह संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं हैं।

(SSC CGL 24.02.02), 11.05.03 09.09.2016), (SSC MTS 28.10.12, 22.10.2017), (SSC CHSL 28.11.10, 10.07.19)

- सदस्यों का चुनाव लोकसभा अपने में से करती है।
- समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनित होता है।

समिति के कार्य:

(i) प्रशासन में और अर्थव्यवस्था में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देना।

(ii) प्राकल्लन समिति की नीति की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से पैसा लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना।

(iii) संसद में जिन अनुमानों को प्रस्तुत किया जाना है उनका सुझाव देती है।

(SSC CGL 24.02.2002, 11.05.2003), (SSC COMBINED MATRIC LEVEL 12.05.2002), (SSC CHSL28.11.2010)

3. सार्वजनिक उपक्रम समिति

- स्थापना: 1964 में कृष्णा मेनन की सिफारिशों के आधार पर
- सदस्य: 22 (15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से)
- मूलतः इसमें 15 सदस्य थे लेकिन 1974 में बढ़ाकर 22 कर दिये गये।
- सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है।
- समिति के सदस्य जो कि राज्य सभा से है उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है।

समिति के कार्य:

(i) सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टो की जाँच करना।

(ii) लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के संबंध में निहित ऐसे अन्य कार्य करने के लिए जिन्हें समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा आवंटित किया जाता है।

(iii) सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों तथा खातों की जाँच करना।

(iv) यह जांचने के लिए कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों के विषयो को उच्च वाणिज्यिक प्रथाओं तथा विवेकपूर्ण व्यापार द्वारा चलाया जा रहा है या नहीं।

तीन समितियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- सदस्यों के पद का कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
- समितियों के अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

संसद की संयुक्त बैठक:

भारत का संविधान संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है।

भारत में द्विसदनीय संसद है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने से पहले विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

संसद में भारत के राष्ट्रपति और दो सदन राज्य सभा और लोकसभा (लोकप्रिय सदन कहा जाता है) शामिल हैं

(SSC CGL 12.06.19)

संविधान निर्माताओं ने उन स्थितियों का पूर्वाभास किया जहां संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो सकता है।इसलिए, उन्होंने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एक संवैधानिक तंत्र प्रदान किया, दो सदनों के संयुक्त सत्र के रूप में संसद बुलाई जाती है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को एक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

(SSCCPO05.09.2004,24.10.1999) (SSCCGL16.08.2015)(SSCMTS 30.04.2017)

लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में, राज्य सभा के उपसभापति द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है।

यदि उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी संसद सदस्य (सांसद) दोनों सदनों की आम सहमति से बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

(SSC MTS 08.10.2021)

एक संयुक्त बैठक गठित करने के लिए कोरमरू सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग।

संयुक्त बैठक संवेधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तदनुसार, एक संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है जबरू

यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित होने के बाद और दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है

दूसरा सदन इस विधेयक को अस्वीकार करता है, यासदन बिल में किए गए संशोधनों पर सहमत नहीं हैं, यादूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक को प्राप्त होने के साथ छह महीने से अधिक का समय बीत जाता है।

फिर, राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के साथ–साथ एक संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, जब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण बिल समाप्त न हो जाए।उपर्युक्त 6 महीनों की अवधि की गणना कैसे की जाती है?

उन दिनों को ध्यान में नहीं रखा जाता है जब लगातार 4 दिनों से अधिक के लिए सदन का सत्रावसान या स्थगित किया जाता है।

(SSC CML 24.10.1999)(SSC CPO 05.09.2004, (SSC CGL16.08 2015), (SSC MTS 30.04.2017), (SSC DELHI POLICE CONSTABLE 02.12.2020) (SSC CONSTABLE GD 02.02.2023)

कार्य का संचालन

अनुच्छेद 118 के अनुसार, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की प्रक्रिया के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से उचित परामर्श के बाद नियम बना सकता है।

एक संयुक्त बैठक में, विधेयक में कोई नया संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जो एक सदन द्वारा पारित किया गया हो और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो।

संशोधन जो चर्चा में मामले के लिए प्रासंगिक हैं, केवल प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

संशोधनों की स्वीकार्यता के बारे में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है।

संयुक्त बैठक में विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार, ऐसे दो उदाहरण हैं जब देश के राष्ट्रपति विशेष रूप से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। वे हैं–

आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में यह तब होता है जब पुनर्गठित लोकसभा निर्वाचित होने के बाद पहली बार मिलती है।

अनुच्छेद 87(1) के तहत हर साल पहले सत्र की शुरुआत में

संयुक्त बैठकों के अपवाद

दो अपवाद हैं जब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। वे निम्नलिखित विधेयकों के लिए हैं–

संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अनुसार, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

@apna_pdf

राज्यसभा विधेयक के लिए सिफारिशें कर सकती है जिसे लोकसभा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है

याद रखने योग्य तथ्य

- लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता ए.के. गोपालन (CPI) थे।
- तख्तापलट सरकार की सत्ता का अचानक, हिंसक और अवैध आकस्मिक राज्य परिवर्तन है। यह राज्य तंत्र के भीतर सेना या अन्य कुलीनों द्वारा एक प्रकार की क्रांति है।
- तख्तापलट की मुख्य शर्त सशस्त्र बलों, पुलिस और अन्य सैन्य तत्वों के सभी या कुछ हिस्सों का नियंत्रण है।

(SSC CAPFS ASI & DELHI POLICE SI ,04.07.2017, 07.07.2017)

- य24 मई 1954 को हाउस ऑफ द पीपल (लोकसभा) के हिंदी नामकरण को अपनाया गया था।
- 1952 के आम चुनाव के बाद जब पहली बार लोक सभा का गठन किया गया। मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से नाम बदलकर लोक सभा (निचला सदन) करने का निर्णय लिया।

(SSC STENOGRAPHER 09.01.2011)

- एक लोकतांत्रिक देश में विधायिका जनता के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करके जनता की राय को प्रभावित कर सकती है। यह राजनीतिक दायित्व की समस्या का एक आसान समाधान प्रदान करता है।

(SSC CGL 09.08.2015)

- संसद में सरकार की कार्यपालिका का स्वरूप विधायिका के लिए उत्तरदायी होता है।
- भारत की दूसरी लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष और अध्यक्ष एम. अनंतशयनम अयंगर थे।

(RRB NTPC07.04.2021) (SSC CHSL 09.07.2019)

- भारत में अपने नागरिक को अपना वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

(SSC CML 30.03.2008)(SSC GD 22.04.2012) (04.12.2011)

- राज्य सभा के सदस्य होने वाले मंत्री दोनों सदनों में बोल सकते हैं।
- विधेयक को कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है।
- भारत में कभी–कभी 'हरित मंत्रालय' के रूप में जाना जाने वाला मंत्रालय 'पर्यावरण और वन' मंत्रालय है।

(SSC CGL 27.04.2014)

- वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हैं।

(RRB NTPC 03.04.2021)

- 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को नियुक्त किया गया।

(SSCMTS 20.08 2019)(SSC CHSL 11.07.2019)

- 10 अप्रैल 2022 तक, लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं।

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023)

- 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।

(RRB NTPC13.01.2021, 28.01.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 09.12.2022)

- नियम 193 (लोकसभा में प्रक्रिया और व्यापार के संचालन के नियम) में संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है।

(SSC MTS 26.10.2021)(SSC CGL 12.06.2019)

- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के तहत, संसद सदस्य को ऐसे मामले उठाने की अनुमति है जो व्यवस्था के बिंदु नहीं हैं या जो किसी अन्य नियम के तहत उसी सत्र के दौरान नहीं उठाए गए हैं।
- राज्य सभा में, सदस्य को नियम 180ए–ई के तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों का उल्लेख करने की अनुमति है, लोकसभा में उठाए गए ऐसे मामलों को आमतौर पर नियम 377 के तहत उठाए गए मामले के रूप में जाना जाता है।

(SSC CHSL 08.07.2019)

- मालिमथ समिति– आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों से संबंधित है।

(SSC CGL 04.05.2019, 04.06.2019)

- रंगराजन पैनल ने 2012 में चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के लिए निर्धारित किया।

(SSC CGL 04.06.2019)

- सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था।

(SSC MTS 14.08.2019)

- द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी श्रेणियों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1979 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत में स्थापित किया गया था।

(SSC MTS 19.08.19, 2007.10.2021. 10.08.21, 02.08.2019, 23.02.2014)

- बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं।

(RRB NTPC 09.01,2021)

- काका कालेलकर पहले पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे
- न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक प्रश्न की जांच के लिए सर तेज बहादुर सप्रू समिति को गैर–दलीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा नवंबर 1944 में नियुक्त किया गया था।

(RRB NTPC 10.01.2021)

- अनुच्छेद 341 भारतीय संसद को अनुसूचित जातियों की सूची से जाति, नस्ल, जनजाति को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है।

(RRB NTPC 08.04.2021)

- पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ 1971 को भारत में स्थापित हुआ।

(SSC CHSL 13.10.2020)

- डी.के. बासु गाइडलाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी व्यक्ति की गरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पुलिस और अन्य एजेंसियों के पालन के लिए हैं।

(SSC MTS 20.08.2019)

- 1990 में चुनाव सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था।

(SSC MTS 20.10.2021)

- जनप्रतिनिधि अधिनियम 1995 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो दोनों सदनों के साथ–साथ प्रत्येक राज्यों की विधायिका के चुनाव के संचालन के लिए प्रदान करता है।

(SSC MTS 21.08.2019)

- वरीयता तालिका के अनुसार, 1. कैबिनेट मंत्री, 2. भारत रत्न धारक, 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 4. राज्यसभा के उप सभापति औपचारिक प्रोटोकॉल का आनंद लेते हैं।

(SSC CHSL 10.07.2019)

- रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे।

(SSC CHSL 02.07.2019)

- भारतीय सहमति अधिनियम 1891 में पारित किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।

(SSC CGL 18.06.2021)

- भारतीय वन अधिनियम 1927 को भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था, भारतीय वन को में विभाजित किया गया था। 1 पूरी तरह से सरकार नियंत्रित 2. आंशिक रूप से सरकार नियंत्रित 3. ग्राम वन

(SSC CGL 23.08.2021)

- विशेष विवाह अधिनियम 1954 नागरिक विवाह प्रयोज्यता के प्रावधान के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम है

1. कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। 2. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी या यहूदी भी विवाह कर सकते हैं।

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023)

यह अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है और विदेशों में रहने वाले दोनों भारतीय नागरिकों के लिए इच्छुक पति या पत्नी तक फैला हुआ है 4. विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक

(SSC CHSL 11.08.2021)

- संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त कड़ी स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता है।

(SSC MTS 07.10.20.21)

- प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

(SSC MTS 08.10.2021)

- केंद्र सरकार की तीन प्रकार की निधियाँ हैं – भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266), भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) और भारत के लोक लेखा (अनुच्छेद 266)।

(RRB NTPC 09.03.2021)

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

- भारत की संचित निधि भारत की संचित निधि में से पैसा संसद के अनुमोदन से खर्च किया जा सकता है।

(SSC MTS 21.10.2012)

- सरकार इस कोष से अपने सभी व्यय को पूरा करती है जिसमें भारत के राष्ट्रपति, यूपीएससी के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन शामिल हैं।

(SSC CPO, 10.11.2022)

- भारत की आकस्मिकता निधि। इस निधि से संसद के पूर्वानुमति के बिना अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति की जा सकती है।

(SSCHSL 28.1120.10)(SSCCGL 11.09.2016)

- भारत के लोक लेखा यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित किया गया है।

(SSC MTS 21.10.2012)

- भारत में प्राकृतिक आपदाओं पर किए गए खर्च के लिए हर साल बजटीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है
- जनमत संग्रह मतदाताओं को उनके प्रत्यक्ष मतों द्वारा निपटारे के लिए संदर्भित बिल पर जनता की राय प्राप्त करता है।

(SSC MTS 14.05.2017)(FCI ASSISTANT 05.02.2012)

- नपुंसक कानून पर जनता की राय जानने के लिए पहल की विधि का उपयोग किया जाता है।

(FCI ASSISTANT 05.02.2012)

- लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति
- विवेकपूर्ण प्रकार के निर्णय आमतौर पर लाभ और हानि की सावधानीपूर्वक गणना पर आधारित होते हैं।

(SSC CAPFs SI &SI 07.07.2017)

- जनता की राय बहुमत की राय है
- भारतीय संसदीय प्रणाली में लेखानुदान 2 महीने के लिए वैध होता है।

(SSC CGL 12.08.2017)

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1922 में ताशकंद में हुआ लेकिन आधिकारिक रूप से भारत में इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई।

(SSC MTS 02.08.19)(SSC CHSL 30.01.2017)(SSC CONSTABLE GD 13.02.2023)

- 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–मार्क्सवादी का गठन किया गया था।

(SSC CPO 2022, 10.11.2022) (SSC MTS 18.10.21)

- इसे पहले मान्यता रद्द कर दी गई और बाद में इसे फिर से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई*(RRB NTPC 30.01. 2021)* एक पार्टी को कम से कम तीन अलग–अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतनी चाहिए।
- लोकसभा या राज्य विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक वोटों का न्यूनतम प्रतिशत 6% है।

(SSC MTS 20.02.2011) (SSC CPO 10.11.2022)

- एक चुनावी प्रणाली जिसके तहत एक विधायिका विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत को दर्शाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाती है।

(SSC MTS 28.10.2011)

- एक राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं।

(SSC CONSTABLE GD 06.02.2023)

- चुनावी तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) की प्रणाली विधायिका में बहुमत प्राप्त करना सुनिश्चित करती है।

(RRB NTPC 02.03.2021)

- मार्शल लॉ एक ऐसा नियम है जो तब प्रभावी होता है जब एक सैन्य प्राधिकरण न्याय के सामान्य प्रशासन को नियंत्रित करता है।

(SSC CAPF ASI 06.07.2017,07.07.2017)

- स्थानीय स्वशासी संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने के लिए रिकॉल प्रावधान यह मध्य प्रदेश में किया गया है।

(SSC CHSL 06.12.2015)

- चांदनी चौक भारत में सबसे छोटा (क्षेत्रवार) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है।

(SSC CGL 11.11.2012)

- जया प्रकाश नारायण (जेपी) ने भारत में पार्टी–विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा, उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था।

(SSC CGL 19.06.2011)

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से पता चलता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है।
- अरस्तू ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य का निर्माण करता है और एक बुरा नागरिक एक खराब राज्य का निर्माण करता है।

(SSC CGL 19.06.2011)

- जी.बी. शॉ ने कहा अरे निरादर लोकतंत्र मैं तुमसे प्यार करता हूं?
- अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।

(SSC CAPF SI & ASI 03.07.2017)

- समाज की तुलना में, राज्य की गतिविधि का दायरा व्यापक है।

(FCI ASSISTANT 05.02.2012)

- दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता साझा करना गठबंधन सरकार का उदाहरण है।

(SSC CAPF SI 02.07.2017)

- सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर से प्रभावी हुआ।

(SSC CHSL 06.12.2015)(RRB NTPC 04.01.2021)

- रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थी।

(SSC MTS 21.10.2020)

- कांशीराम 1984 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थ

s(SSC CHSL 11.07.2019) (RRB NTPC 11.03.2021)

- स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी ने की थी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में स्थापित हुई।

(RRB NTPC 23.07.2021)

- tअक्टूबर 2022 तक, डी. राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं।

(CONSTABLE GD 10.01.2023)

- पु लालडेंगा मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के संस्थापक थे।

(RRB NTPC 04.02.2021)

- स्वतंत्रता पूर्व भारत में, दादाभाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- हित समूह या राजनीतिक दबाव समूह व्यक्ति या संगठन का एक संघ है, जो आमतौर पर एक या एक से अधिक साझा मामले के आधार पर संगठित होता है और लोगों की खातिर सरकार पर दबाव डालता है।

(SSC CGL 19.05.2013)(SSC STENO 14.09.2017)

- मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहला प्रयोग किया था। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार राज्य मुख्य रूप से एक सामाजिक जीव है।

(SSC CGL 19.05.2013), (SSC CAPF (CPO) 20.03.2016)

- हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को कल्पना और कहावत के रूप में खारिज कर दिया।

(SSC JUNIOR ENGNEER 25.01.2018)

- प्रथागत अधिकार मानदंडों के स्थापित, पारंपरिक पैटर्न को संदर्भित करता है जिसे एक विशेष सामाजिक–सांस्कृतिक के भीतर देखा जा सकता है। एडमंड बर्क और रिची इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं
- लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के दो बुनियादी सिद्धांत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार है जैसा कि जॉन लॉक द्वारा जोर दिया गया है।
- सबसे बड़े विपक्ष के नेता पार्टी की स्थिति के लिए सदन की कुल संख्या के 1/10 सीट की आवश्यकता होती है
- कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक सेवक होता है, वह भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है।
- संसद भवन के वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था।
- राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में एडविन लुटियंस द्वारा पूरा किया गया था।
- वोहरा समिति की स्थापना आपराधिक–राजनेता और नौकरशाही गठजोड़ पर की गई थी।

(SSC CHSL 16.11.2014)

- उमेश सिन्हा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 पर फिर से विचार करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

@apna_pdf

@apna_pdf

- बी.आर. शर्मा समिति का गठन सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने पर गाइडलाइन तैयार करने के लिए किया गया था।
- लोक सभा की कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता 1952 में गठित लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- इंद्रजीत गुप्ता के पास लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड है, इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से संबंधित थी, वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र गृह मंत्री थे
- चंद्रकांत खैरे को लोकसभा आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नामांकित किया गया
- लेफ्टिनेंट महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान सभा में दो सदस्यों को नामित कर सकता है।
- एम.एन. रॉय भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे।
- लालफीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है।
- भारत 2014 से सुशासन दिवस मनाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को मनाता है।
- जगजीवन राम अपने नाम के आगे बाबू उपाधि लगाते थे।
- समाचार पत्र मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है।
- एक नीति जिसमें अधिकतम आकार की भूमि तय करना शामिल है, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो सकती है, भूमि सीमा कहलाती है।
- लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं।
- संसद की स्वीकृति के बिना भारत में कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है।
- लोकसभा का कार्यकाल केवल एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया।
- अधीनस्थ विधान संबंधी समिति प्रत्यायोजित विधान से संबंधित है।
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया है।
- राज्यों की सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति केंद्र सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकता है।
- गुजरात राज्य ने सबसे अधिक उपप्रधानमंत्री दिए हैं।
- एक संघीय सरकार में राज्यों को संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का आनंद मिलता है।
- संसद ने स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंक विलय करने के लिए पारित किया है।

(RRB NTPC 30.01.2021)

- संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक पेश कर सकता है।
- संसद में 3 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं 1. संविधान संशोधन विधेयक 2. धन विधेयकधवित्त विधेयक 3. साधारण विधेयक

(RRB NTPC 04.02.2021, 24.07.2021)

- भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में हुई।

(SSC CGL Pre. 05.12.2022)

- लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। पुस्तिका के शब्दों के अनुसार चक्कर को असंसदीय घोषित नहीं किया गया है।

(SSC CGL Pre. 12.12.2022)

@apna_pdf

@apna_pdf

11. संघीय न्यायपालिका

संघीय न्यायपालिकाः

सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय न्यायालय को विस्थापित कर दिया है, जो कि भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया है।

(SSC DELHI POLICE 19. 08.12)

- इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी।

(SSC-CPO 16.03.2019, SSC CHSL 12.10.20 19.04.21)(SSC MTS 20.10.21) (SSC CONSTABLE GD 13.01.2023)

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन से कार्य कर रहा था जब तक कि यह वर्तमान भवन में स्थानांतरित नहीं हुआ , इसका आदर्श वाक्य ।। यतो धर्मस्तोतो जयः'।। है।

(RRB NTPC 31.01.2021, 21.03.2021)

अनुच्छेद–124 से 147 संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है।

(SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

अनुच्छेद–124(1) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा संविधान

(SSC DELHI POLICE SI 19.08.2012)

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश है; जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायााधीश है।

(SSC CHSL 02.11.2014)

अनुच्छेद–124(2)न्यायाधीशों की नियुक्ति

- मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है, तथा अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीश जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(SSC MTS 16.02.2014, 21.10.2017, 02.08.19) (SSC CGL 26.10.2014,) (RRB NTPC 21.01.2021, 12.02.2021)

अनुच्छेद-124 (2): न्यायाधीशों का कार्यकाल

संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं है, हालांकि इसने इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान किए।

(i) वह 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है।

(SSC CML 21.05.2000, 13.05.2001, 13.05.2002, (SSC CGL 26.06.2011)

(ii) वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है।

(iii) संसद की सिफारिशों पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है।

अनुच्छेद–124(3) न्यायाधीशों की योग्यताएः

(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) वह उच्च न्यायालय में पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में (अधिवक्ता) वकील रहा हो (तथा उत्तराधिकार के न्यायालय में 10 वर्ष तक)

(iii) वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

अनुच्छेद-124(4): न्यायाधीशों को हटाना

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि संसद के प्रत्येक सदन से दो तिहाई बहुमत से पारित हो चुका हो । साबित कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है।

(SSC CGL Pre. 09.12.2022)

- लोक सभा के 100 सदस्यों या राज्य सभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को दिया जाना है।
- वी. रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में स्वतंत्र भारत में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी वर्ष 1990 के दौरान, कई पत्रकारों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक आवास पर उनके दिखावटी खर्च के बारे में बताया।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 09.12.2019)

- कलकत्ता उच्च न्यायालय के सौमित्र सेन सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनाकरन के खिलाफ भी महाभियोग की कार्यवाही चली थी।

(SSC CGL 04.06.19) (SSC MTS 04.06.19) (SSC CPO 09.12.19)

अनुच्छेद-124(5): संसद न्यायाधीश के कदाचार या अक्षमता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

अनुच्छेद-124(6):शपथ ग्रहण

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है।

अनुच्छेद–124(7):

कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल रखा है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद-125 न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय–समय पर संसद द्वारा निर्धारित होते है।

(SSC CPO 11.11.2022)

- 2017 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1लाख प्रति माह से बढ़ाकर 2,80,000 प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों का 90,000 प्रति माह से 2,50,000 प्रति माह कर दिया गया।
- उन्हें समकालिक भत्ता भी दिया जाता है, तथा उन्हें मुफ्त आवास, चिकित्सा, कार, टेलीफोन इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती है
- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अपने अंतिम वेतन निकासी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार है।

अनुच्छेद–126 –कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जबः

(i) जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो

(ii) जब मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अवकाश पर हो

(iii) जब मुख्य न्यायाधीश अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो।

अनुच्छेद–127: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

- जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र में स्थाई न्यायाधीशों की कमी हो तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थाई न्यायाधीशो की नियुक्ति की जाती है जिन्हें तदर्थ न्यायाधीश (ad-hoc judges) कहा जाता है।

(SSC CPO 11.11.2022)

अनुच्छेद–128:सेवानिवृत्त न्यायाधीशो के लिए प्रावधानः

- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में बैठ सकते है व कार्य कर सकते है। उसे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान अधिकार, शक्तियाँ व विशेषाधिकार प्राप्त होगें लेकिन वह तकनीकी रूप से उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जायेगा।

अनुच्छेद–129: न्यायालय का अभिलेख होना

- न्यायालय के अभिलेख के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की दो शक्तियां हैः

(i) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही तथा कार्य सदा स्मृति और अभिलेख के लिए दर्ज किये जाते है। इन अभिलेखों को स्पष्ट मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है और किसी भी अदालत में पेश किए जाने पर पूछताछ नहीं की जा सकती है। उन्हें दृष्टान्त तथा कानूनी संदर्भ के तौर पर मान्यता दी जाती है।

(SSC MTS 13.08.2019)

(ii) इसमें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।

अनुच्छेद–130: सर्वोच्च न्यायालय का स्थान

- सर्वोच्च न्यायलय की बैंच दिल्ली में होगी, तथा अन्य स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा स्थापित होगी।

नोटः अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीनगर तथा दिल्ली में ही अपनी बैठक की है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियाँ :

1. **अनुच्छेद–131 : प्राथमिक क्षेत्राधिकार**

- कुछ विषय तथा क्षेत्र ऐसे है, जहां केवल सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई का अधिकार है। जो इस प्रकार हैः

(i) केन्द्र तथा एक या अधिक राज्य के मध्य विवाद

@apna_pdf

(ii) केन्द्र तथा कोई अन्य राज्य या अन्य राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य के मध्य विवाद

(iii)दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद

(SSC CGL 04.09.2016, Pre. 13.12.2022)

14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 का आह्वान किया गया था।

(SSC CGL 04.09.20) (SSC CHSL 14.10.20)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 प्रदान करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवाद का जाँच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए जाएगें जिसका निर्णय अंतिम होगा और इसे मूल अधिकार क्षेत्र भी माना जाएगा।

(SSC CML 24.10.1999, 05.05.2002, (SSC CGL 07.09.2016)(SSC CONSTABLE GD 09.02.2023)

अपील–न्यायिक क्षेत्रः

अनुच्छेद–132:संवैधानिक मामलों में अपील

- संवैधानिक विषयों में, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि इस मामले में विधि के सार का प्रश्न सम्मिलित है तथा जिसके लिए संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है।

(SSC CGL 04.09.16)

अनुच्छेद –133: दीवानी विषय

सिविल मामलें में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि–

(i) उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्त्व के किसी सारगर्भित कानूनी प्रश्न से है।

(ii) इस प्रश्न का समाधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना है।

नोटः मूल रूप में, उन्हीं सिविल मामलों में जिनमें बीस हजार तक राशि शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते है। लेकिन इस मौद्रिक सीमा को 30 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम–1972 के द्वारा हटा दिया गया था।

अनुच्छेद–134: आपराधिक मामलों में अपील

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की एक आपराधिक कार्यवाही के निर्णय के खिलाफ अपील सुनता है। यदि उच्च न्यायालयः–

(i) अपील में किसी आरोपी को बरी करने के आदेश को पलट दिया हो तथा उसे मौत की सजा सुना दी हो।

(ii) यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास ले सकता है और आरोपित व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है और मौत की सजा सुना सकता है।

(iii)यह सिद्ध हो जाता है कि विषय, सर्वोच्च न्याायलय में अपील के योग्य है।(अनुच्छेद–134 A)

अनुच्छेद–135:सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँः

जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियाँ फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

अनुच्छेद–136:सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति

(SSC MTS 13.08.2019)

अनुच्छेद–137: सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों या आदेशों का पुनरवलोकन

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

(SSC CONSTABLE GD 31.01.2023)

अनुच्छेदः–138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि

अनुच्छेद–139: रिट क्षेत्राधिकार

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में गठित किया है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध जैसी रिट जारी कर सकती है।

(SSC SECTION OFFICER 30.11.08) (SSC CGL 16.05.10) (SSC DELHI POLICE SI 19.08.2012)

रिट मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए औपचारिक दस्तावेज है जो सरकार को केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी न्यायालय का आदेश हैं।

अनुच्छेद–139(A): कुछ विषयो का स्थानांतरण

अनुच्छेद–140: सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां– भारत का संविधान वह स्रोत है जिससे हमारे सभी कानून अपना अधिकार और बल प्राप्त करते हैं।

(SSC CGL 06.03.2020)

अनुच्छेद–141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है।

(SSC CHSL 16.03.2018) (SSC MTS 22.08.2019, 13.08.2019)

अनुच्छेद–142: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित निर्णयों तथा आदेशों को लागू करना

अनुच्छेदरू 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार।

संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह न्यायिक घोषणा नहीं है और इसलिए यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

(SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 20.03.2016)

अनुच्छेद 144: सिविल और न्यायिक अधिकारियों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना।

भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

(SSC CAPFs SI DELHI POLICE SI & CISF ASI 09.12.2019)

अनुच्छेद –145 न्यायालय का नियम।

अनुच्छेद –146 अधिकारी और सेवक तथा उच्चतम न्यायालय के व्यय।

अनुच्छेद– 147 न्यायिक समीक्षा की शक्ति की व्याख्या

न्यायिक समीक्षा जापान से उधार लिए गए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है

(SSC CGL 26.06.2011) (SSC CPO 2022, 10.11.2022

केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता हैं। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है, यह अमेरिकी संघ के समान है।

(SSC CGL 31.08.2016) (FCI ASSISTANT 05.02.12)

नतीजतन, उन्हें सरकार द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है।

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक और रक्षक बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और इकाइयों के बीच विवाद का फैसला करता है साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

जनहित याचिका (पीआईएल)– अभिव्यक्ति 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' को अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। जनहित याचिका का मतलब कानून की अदालत में दायर मुकदमा है, या किसी के द्वारा सार्वजनिक हित को शामिल करने के लिए अदालत में लाया गया मामला है।

'सार्वजनिक हित' की सुरक्षा के लिए, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि। कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं, का निवारण कानून की अदालत में जनहित याचिका दायर करके किया जा सकता है।

जनहित याचिका को किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर जनता के इरादे पर विचार करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।

जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। हालांकि, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका जनहित के लिए दायर की जा रही है, न कि एक व्यस्त निकाय द्वारा एक तुच्छ मुकदमे के रूप में।

न्यायालय स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है और किसी जनहितैषी व्यक्ति की याचिका पर मामले शुरू हो सकते हैं।

जनहित याचिका के तहत विचार किए जाने वाले कुछ मामले हैं– बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामले ,उपेक्षित बच्चे ,श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और अस्थायी, श्रमिकों का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार , पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी

@apna_pdf

Neon Classes Neon Classes @apna_pdf lasses Neon Classes

खाद्य अपमिश्रण विरासत और संस्कृति का रखरखाव इत्यादि।

याद रखने योग्य तथ्य

- अनुच्छेद 348 (1) संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा लागु नही करती।

(SSC CGL 24.08.21) (RRB NTPC 11.03.2021)

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, (आरपीए) 1951 की धारा 80–ए के तहत राज्य के लिए एक चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है)

(SSC CHSL 02.11.14)

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (त्च्।) 1951 के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है। उसे दस दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता हैं।
- भारतीय न्यायपालिका प्रणाली का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय करता है ।

(SSC MTS 16.02.14)

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124। राजद्रोह से संबंधित है।

(SSC CGL 04.09.2016)

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है।

(SSC MTS 16.02.2014)

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 के दौरान भारत में समलैंगिक यौन संबंध को वैध कर दिया था।

(SSCMTS 16.02.2014)

- (IPC) की धारा 377 LGBT (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर) समुदाय से संबंधित है जो 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था मेनका गुरुस्वामी और अरुंधती काटजू प्रसिद्ध वकील हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर प्रहार करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया।

(RRB NTPC 07.01.2021) (SSC CGL 27.04.2014)

- दंड संहिता की धारा 142 गैरकानूनी असेंबली के लिए सजा से संबंधित है।
- एक व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करता है प्च्ब् की धारा 193 दंडनीय है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) 271 संगरोध नियम की अवज्ञा से संबंधित है।
- भारतीय दंड संहिता 306 (IPC)आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (ब्त्च्) की धारा 144 एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को क्षेत्र में चार से अधिक व्यक्तियों की एक सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

(RRB NTPC 10.02.2021)

- बाल देखभाल संस्थान का प्रभारी या नियोजित कोई भी व्यक्ति, जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 'किशोर' शब्द का संदर्भ है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हैं।

(SSC CONSTABLE GD 01.02.2023,09.02.2023)

- फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं।

(RRB NTPC 18.01.2021, 15.02.2021)

- के.एस. हेगड़े के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यालय था।
- मिनर्वा मिल मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार की प्रधानता को बहाल किया।
- अंतर–राज्य विवादों से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत के रूप में कार्य करता है
- जनवरी 2021 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है
- उच्च न्यायालय में अपील उस मामले में होती है जहां सत्र न्यायालय ने सात साल या अधिक की सजा सुनाई है
- गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक सीटें हैं (3),
- हरियाणा और पंजाब में एक सामान्य उच्च न्यायालय है
- राज्य के उच्च न्यायालय के पास याचिका सुनने और लोकसभाधविधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाले निर्णय देने का मूल अधिकार क्षेत्र है
- सत्र न्यायाधीश का न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों में सर्वोच्च होता है
- न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून अधिनिर्णय है
- भारतीय न्यायपालिका की संरचना चार स्तरीय है, यह एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित हैं।

(SSC CGL Pre 08.12.2022) (SSC CPO 2022, 11.11.2022)

- मार्च 2023 तक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 (हिमा कोहली, बी. वी. नागरत्ना, बेला त्रिवेदी), महिला न्यायाधीश हैं।

(SSC CPO 10.11.2022)

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 रोकने के उपाय प्रदान करता है
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 रोकने के उपाय प्रदान करता है
- अपराधी भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकता है ,न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

(SSC CONSTABLE GD 02.02.2023)

विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है जो सरकार द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है। यह कानून मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

@apna_pdf

@apna_pdf

12. राज्य कार्यपालिका

भारत का संविधान राज्यों में केंद्र सरकार के समान संरचना प्रदान करता है जैसे यानी संसदीय प्रणाली , संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है।

(CONSTABLE GD 10.01.2023)

राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं।

इस प्रकार केंद्र में उपराष्ट्रपति के समान उप–राज्यपाल (राज्य में) का कोई कार्यालय नहीं होता है।

राज्यपालः –राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है लेकिन वह एक नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक प्रमुख) होता है। राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्ट के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है।

(RRB NTPC 23.01.2021)
(SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 25.11.17)

अनुच्छेद– 151 ऑडिट रिपोर्ट

संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(SSC CGL 30.08.16)

अनुच्छेद– 152 राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद– 153 राज्यों के राज्यपाल

नोटः आमतौर पर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के 7 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है।

(SSC CGL 12.06.2019, SSC MTS 18.10.2021)

अनुच्छेद – 154 राज्यों की कार्यकारी शक्तियां :

राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा।

(SSC CONSTABLE GD 07.02.2023)

अनुच्छेद – 155 राज्यपाल की नियुक्ति

राष्ट्रपति, राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त करता है। किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं हैं।

(SSC MTS 13.08.19)(SSC SCIENTIFIC ASSISTANT 25.11.2017) (RRB NTPC 12.01.2021)

अनुच्छेद — 156 राज्यपाल की पदावधि

एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। हालांकि, पांच साल की यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। इसके अलावा, वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल के महाभियोग का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

(SSC TAX ASSISTANT 29.03.2009, (SSC CONSTABLE GD 22.04.12), (SSC CGL 03.09.2016), (SSC DELHI POLICE 02.12.2020) (RRB NTPC 21.01.2021) (SSC CONSTABLE GD 09.02.2023)

अनुच्छेद – 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता।

(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
(ii) उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हों।

(SSC CHSL 09.08.21, 11.08.21)(SSC CGL 10.08.2017, SSC MTS 22.10.2021)(SSC CONSTABLE GD 17.01.2023, 31.01.2023, 06.02.2023)

इसके अलावा, विगत वर्षों में दो धारणायें और विकसित हो गई हैं

(i) वह बाहरी राज्य का होना चाहिए, जिससे की वह स्थायी राजनीति से मुक्त रहें।
(ii) राज्य में संवैधानिक तन्त्र के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक हैं।

हालांकि कुछ विषयों में दोनों धारणाओं का उल्लंघन होता है।

अनुच्छेद – 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें

(i) वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
(ii) वह किसी लाभ के पद पर ना हों।
(iii) वह संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार हैं।
(iv) वह अपने अधिकारिक निवास के उपयोग के लिए किराए के भुगतान का हकदार हैं।
(v) जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। (भारत के संविधान के अनुसार, राज्य की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है जिसके लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है)

(SSC MTS 07.10.21)

भत्ते एवं परिलब्धिया दोनों राज्यों द्वारा शेयर किये जाते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार किया जाता है।

(vi) उनके कार्यकाल के दौरान उनका वेतन एवं भत्ते कम नहीं किये जा सकते हैं।

अनुच्छेद – 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

राज्यपाल को पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती हैं, उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है।

(SSC CHSL (10+2) 06.12.2015)

अनुच्छेद – 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जैसा वह उचित समझता है।

अनुच्छेद – 161 राज्यपाल की क्षमादान एवं अन्य शक्तियां

(SSC CGL 17.08.21)(SSC CONSTABLE GD 12.01.2023, 17.01.2023)

किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय सम्बन्धी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है , किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा सजा को निलंबित करने, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां

- कार्यकारी
- विधायी
- वित्तीय
- न्यायिक

(1) कार्यकारी शक्तियां: राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किये जाता हैं।

अनुच्छेद –164 राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता हैं।

मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान–

छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में राज्यपाल द्वारा एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किया जाता है।

(SSC CML 30.03.2008, (SSC CHSL 4.12.2011), (SSC CAPFs SI & DELHI POLICE SI 02.07.2017)

अनुच्छेद – 165 राज्य का महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल), राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(SSC CHSL 07.03.2018), (SSC CGL07.03.2020)(SSC CGL Mains 2022, 07.03.2023) (SSS CONSTABLE GD 02.02.2023)

अन्य नियुक्तियां:

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, कुलाधिपति और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करता हैं।

(SSC CGL 08.09.21016)

वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगानें की सिफारिश कर सकता हैं।

राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्यपाल को राष्ट्रपति के सहयोगी के रूप में कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं।

(2) विधायी शक्तियां:

अनुच्छेद – 174 राज्य विधानमण्डल के सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता एवं विघटन की घोषणा, राज्यपाल द्वारा की जाती हैं।

अनुच्छेद – 175 राज्यपाल का राज्य के विधानमण्डल में अभिभाषण संबोधन दे सकता है एवं संदेश भेजने का अधिकार है।

अनुच्छेद – 176 वह प्रत्येक आम चुनाव और वर्ष के पहले सत्र के बाद राज्य विधानमण्डल के सत्र को संबोधित कर सकता हैं।

अनुच्छेद – 192 वह चुनाव आयोग की सलाह से राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न कर निर्णय लेता है।

अनुच्छेद – 200 जब कोई विधेयक विधायिका द्वारा पास हो जाने पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

(क) बिल को अपनी सहमति दे।
(ख) बिल पर अपनी सहमति रोक लें।
(ग) बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे (यदि वह धन विधेयक नहीं है।
(घ) राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखें।

@apna_pdf
@apna_pdf

नोटःहालांकि, यदि विधेयक को राज्य विधानमण्डल द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी।

अनुच्छेद – 333 राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता हैं।

(SSC MTS 22.10.21)(SSC CGL 19.06.11)(SSC DELHI POLICE 02.12.2020)

नोटः 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इस प्रावधान को निरसित कर दिया गया।

अनुच्छेद – 213

जब राज्य की विधायिका सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता हैं।

इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा इसके पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर या इसके लागू होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(SSC MTS 20.10.2012, 10.03.2013, (SSC CHSL 02.11.2014, 20.12.2015,)

वित्तीय शक्तियाँः

(i) राज्यपाल की निगरानी में वार्षिक वित्तिय वितरण (राज्य बजट) विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है।

(ii) धन विधेयक को राज्य विधानमण्डल में राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है।

(iv) वह राज्य के अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है।

(v) वह पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर पांच साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता हैं।

न्यायिक शक्तियाँ

अनुच्छेद – 161

किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय सम्बन्धी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है , किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा सजा को निलंबित करने, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। लेकिन राज्यपाल के पास क्षमा देने की शक्ति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा पर लागु होती हैं।

(SSC CHSL 18.03.2020)

अनुच्छेद – 233

वह सबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति करता हैं।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ;–

राज्यपाल का संवैधानिक विवेक–

निम्नलिखित मामलों में राज्यों के राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेक से कार्य कर सकते हैं–

(I) जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना होता है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निर्णय ले सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद रोक नहीं सकते हैं, इसलिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति विधेयक पर सहमति देने तक सीमित है।

(II) जब उसे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी हो तो वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है

(III) जब उसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो वह अपने विवेक से कार्रवाई कर सकता है

(IV) जब उसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार द्वारा एक स्वायत्त आदिवासी जिला परिषद को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस से अर्जित रॉयल्टी के रूप में देय राशि का निर्धारण करना होता है

वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कह सकता है।

राज्यपाल का स्थितिजन्य विवेक–

निम्नलिखित मामलों में राज्यों के राज्यपाल अपने स्थितिजन्य विवेक से कार्य कर सकते हैं–

(i) जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना हो या पदधारी की कार्यालय में मृत्यु हो जाए

(ii) जब वह राज्य विधान सभा में विश्वास साबित करने में असमर्थ होने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है

(ii) जब वह राज्य विधान सभा को समय पर भंग कर देता है जब वह अपना बहुमत खो देती है

मुख्यमंत्रीः

राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख (डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव) है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी (डी फेक्टो एक्सीक्यूटिव) प्रमुख है।

राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है वही मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता हैं।

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केन्द्र में प्रधानमंत्री के अनुरूप होती हैं।

अनुच्छेद – 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता हैं, जो कि राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता हैं।

(SSC CML 30.03.2008)(SSCMTS 04.12.2011)
(SSC CAPFs ASI & DELHI POLICE SI 02.07.2017)
(SSC CONSTABLE GD 02.02.2023)

मुख्यमंत्री के पद की अवधिः

मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद प्रर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। इसका मतलब यह नही है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी समय उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है जब तक उसे राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता हैं। बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

शपथः राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता हैं,

वेतनः मुख्यमंत्री के भत्ते एवं वेतन राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किये जाते है। और उन्हें सत्कार भत्ता, मुफ्त आवास यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं।

मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यः

मंत्रीपरिषद के संबंध मेंः

(i) राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को एक मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता हैं।

(SSC CONSTABLE GD 06.02.2023)

(ii) वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकता हैं।

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023)

(iii) वह एक मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है तथा विचारों का मतभेद होने पर, राज्यपाल को मंत्री के हटाने की सलाह दे सकता हैं।

(iv) वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता हैं।

(v) वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता हैं।

(vi) मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता हैं, उसका इस्तीफा या मृत्यु होने पर स्वतः ही मंत्रिपरिषद को भंग हो जाती हैं।

राज्यपाल के संबंध में

वह राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम हैं,

मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य है कि वहः

(i) राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्य के राज्यपाल को अवगत कराना।

(ii) वह राज्यपाल को राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त के सदस्यों एवं अध्यक्ष आदि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता हैं।

(iii) वह राज्यपाल को विधानसभा को समन तथा भंग करने की सलाह दे सकता हैं।

अन्य शक्ति एवं कार्यः

(i) वह राज्य के योजना आयोग का अध्यक्ष होता हैं।

(SSC MTS 11.12.2011)

राज्य योजना बोर्ड –राज्य सरकार के अधीन एक सलाहकार बोर्ड है। इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं।

(ii) वह राष्ट्रीय विकास परिषद एवं अंतरराज्य परिषद दोनों का सदस्य होता है जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

(SSC CGL 02.09.2016)

(iii) वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता हैं।

(iv) वह आपातकाल की स्थिति में राजनैतिक संकट मोचन होता हैं।

(v) राज्य के नेता के रूप में वह विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करते हैं।

(vi) वह सेवाओं का राजनैतिक प्रमुख हैं।

राज्य मंत्रिपरिषद् :

मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा एवं अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है।

अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त रहते हैं।

मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

राज्यपाल मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता हैं।

@apna_pdf

यदि किसी राज्य की विधायिका में बजट विफल हो जाता है तो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती हैं।

(SSC CGL 04.02.2012)

एक व्यक्ति जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है, वह छः महिने से अधिक मंत्री पद पर नहीं रह सकता हैं।

(SSC MTS 16.02.2014)

केन्द्र की तरह, राज्यों में भी मंत्रिपरिषद में मंत्री की तीन श्रेणियां होती हैं:–

(1) कैबिनेट मंत्री, (2) राज्य मंत्री तथा (3) उप–मंत्री

मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेदः

अनुच्छेद– 163: राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रीपरिषद होगी

अनुच्छेद – 164: मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद – 166: राज्य सरकार के कार्यों का संचालन

(SSC CPO 2022, 10.11.2022) (SSC CONSTABLE GD 23.01.2032)

अनुच्छेद – 167: राज्यपाल को सूचना देने के संबंध मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य।

(SSC CAPFs SI & ASI &DELHI POLICE EXAM 21.06.2015)

महाधिवक्ता

अनुच्छेद – 165: राज्य में एक महाधिवक्ता बनाया गया है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है तथा वह भारत के महान्यायवादी के अनुरूप कार्य करता हैं।

(SSC CHSL 07.03.16)

नियुक्तिः राज्यपाल द्वारा की जाती हैं।

कार्यकालः कार्यकाल तय नहीं है पर महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर रहता हैं।

योग्यताः

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।

याद रखने योग्य तथ्य

- सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रमुख रहीं।

(SSC CGL 29.08.2016, 04.03.2020)

- सरोजिनी नायडू भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया।

(SSC CHSL 09.07.2019)

- सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नाडु ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सेवा की और 1956 से 1967 (कुल 10 वर्ष) तक भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला राज्यपाल बनीं।
- एम.एम. जैकब 1995 से 2007 तक भारतीय राज्य मेघालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल हैं (कुल 11 वर्ष)
- महबूबा मुफ्ती जम्मू–कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री। जम्मू–कश्मीर विधान सभा को 2019 तक छह साल की अवधि और उसके बाद पांच साल की अवधि के लिए चुना गया था।

(SSC CPO 05.06.2016) (SSC CGL 31.08.2016)

- जम्मू–कश्मीर विधान परिषद, विधानसभा के ऊपरी सदन को जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 की धारा 57 के अनुसार समाप्त कर दिया गया था, जिसे फरवरी 2021 में पेश किया गया था।

(SSC CPO 11.11.2022)
(SSC CONSTABLE GD 02.02.2023)

- डॉ सीतारामय्या मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे।

(SSC CGL 04.03.20)

@apna_pdf

@apna_pdf

13. राज्य विधायिका (विधानमण्डल)

राज्य की विधायिका:–संविधान के भाग छः के अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमण्डल की उत्पत्ति संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी और कुछ राज्यों में विधान परिषद राज्यपाल से मिलकर बनेगी और यह भारतीय संसद का हिस्सा नहीं हैं।

(SSC CHSL 12.10.2020) (RRB NTPC 13.010.2021, 31.01.2021) (SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

राज्य विधानमण्डल

विधानसभा | विधानपरिषद | राज्यपाल

विधान परिषद की सरंचना: राज्य में विधान परिषद की स्थिति केन्द्र स्तर पर राज्यसभा के समान हैं।

राज्यों की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है।

राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना एक व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक राज्य सरकार का मंत्री बना रह सकता है।

राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन है

विधान परिषद की अधिकतम क्षमता विधानसभा की एक तिहाई और न्यूनतम क्षमता 40 तय की गई हैं।

(SSC CONSTABLE GD 13.02.2023)

विधान परिषद के सदस्यों को एकल सक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता हैं।

संविधान हर राज्य के लिए एक विधान परिषद प्रदान करता है, लेकिन विधायिका एक सदस्यनीय होगी (केवल एक सदन) या द्विसदनीय (दो सदन) यह निर्णय स्वयं राज्य को लेना होगा, केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधायिका हैं:

(i) उत्तर–प्रदेश (ii) बिहार
(iii) महाराष्ट्र (iv) कर्नाटक
(v) आंध्र प्रदेश (vi) तेलंगाना

(SSC CAPFs ASI & DELHI POLICE SI 05.07.2017,) (SSC MTS 18.10.2021,) 14.08.2019), (SSC CHSL (10+2) 16.11.2014) (RRB NTPC 28.12.2020. 30.12.2020)(SSC CONSTABLE GD 13.01.2023, 25.01.2023)

विधानसभा: विधान सभा राज्य का निम्न सदन है जैसे की संसद में लोकसभा होती हैं।

यह राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

इस सदन के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

हर राज्य की विधानसभा के सदस्य 500 से अधिक नहीं एवं 60 से कम नहीं होगें।

(SSC CGL 19.06.2011)

राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता हैं, यदि उनका सदन में प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। परन्तु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया।

हालांकि, सिक्किम तथा गोवा के मामले में निम्नतम संख्या 30 तय हैं। तथा नागालैण्ड के मामलें में 46 है।

नोट:

गोवा – 40, सिक्किम – 32, पुडुचेरी – 30

केन्द्र शासित प्रदेशों की मंत्रिपरिषद में 10 प्रतिशत से अधिक कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, केवल 3 केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभा दिल्ली (70), पुडुचेरी (30), और जम्मु और कश्मीर (114 = 90+24 (पीओके) है।

(SSC MTS 23.02.2014)(SSC CGL 27.04.2014) (RRB NTPC 28.01.2021)

सदस्यों के लिए योग्यता:–

अनुच्छेद – 173 : के अनुसार:

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) विधानसभा सदस्य के मामले में 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो और विधान–परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु से कम ना हो।

(SSCCHSL 04.07.19)(SSC CGL 09.09.2016)

विधान सभा की अवधि –

इसकी नियुक्ति पहली बैठक की तारीख से पांच साल और इतने लंबे समय तक।

जबकि इसकी अवधि आपातकाल की उद्घोषणा संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

कानून द्वारा एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं और किसी भी मामले में उद्घोषणा के संचालन के समाप्त होने के बाद छह महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

विधानसभा की अवधि

परिषद की अवधि: राज्यसभा की तरह, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। जो कि भंग नहीं किया जा सकता हैं।

(SSC CGL 11.05.2003, 21.04.2013,)(SS CPO 09.11.2008, 05.06.2016,) (SSC CML 21.05.2000, 24.10.1999)

लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

(SSC CHSL 06.08.2021) (SSC CONSTABLE GD 27.01.2023)

सदनों की शपथ या प्रतिज्ञान: विधानमण्डल में अपनी सीट (अपना पद) लेने से पहले दोनों सदनों के सदस्यों को राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेनी होती हैं।

विधायिका के पीठासीन अधिकारी

(1) विधानसभा अध्यक्ष: लोकसभा के अध्यक्ष के समान।

(2) विधानसभा–उपाध्यक्ष: लोक के अध्यक्ष की तरह, विधानसभा उपाध्यक्ष भी लोकसभा के उपाध्यक्ष की तरह है।

(3) विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष: अध्यक्ष, परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

विधानसभा एवं परिषद की तुलना: एक साधारण बिल के पारित होने पर दोनों सदनों को समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन असहमति के मामले में विधानसभा की शक्ति परिषद् से ज्यादा हैं। और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं हैं।

धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद् में नहीं।

विधान–परिषद की राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भागीदारी नहीं है।

यह संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में भी कोई भागीदारी नहीं हैं, विधान परिषद का अस्तित्व विधान सभा की इच्छा पर निर्भर करता हैं।

सरकार द्वारा बनाया और लागू किया गया साधारण कानून राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक विधान सभा द्वारा 4 महीने तक विलंबित किया जा सकता है।

(SSC CGL 09.08.2015)

राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद:–

अनुच्छेद– 168: राज्य में विधायिकाओं का गठन

अनुच्छेद – 169:विधान–परिषद का उत्सादन एवं गठन

(RRB NTPC 19.01.2021)

अनुच्छेद – 170: विधानसभा की संरचनाए प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की संख्या 500 सीटों से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए।

(RRB NTPC 14.03.2021)

अनुच्छेद – 171: विधानपरिषद की संरचना

एक–तिहाई– विधायक द्वारा निर्वाचित

एक तिहाई– नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड के सदस्य

1/12वाँ भाग– शिक्षक

1/12वाँ भाग– स्नातक

शेष – साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन एवं समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से राज्यपाल द्वारा नियुक्त।

अनुच्छेद – 172: राज्य विधानमंडलों की अवधि

अनुच्छेद – 174: राज्य विधानमण्डल के सत्रों का प्रसार और विघटन

अनुच्छेद – 175: राज्यपाल का सदन को अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार

अनुच्छेद – 176: राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।

अनुच्छेद – 177: मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के सदन के संबंध में अधिकार।

याद रखने योग्य तथ्य

- राज्य के राज्यपाल के पास विधानसभा को स्थगित करने की कोई शक्ति नहीं है
- राज्यपाल का मुख्य सलाहकार राज्य का मुख्यमंत्री होता है।
- राज्यपाल राज्यों की विधान सभा को भंग कर सकता हैं।
- राज्यपाल राज्यों में सरकार का प्रमुख होता है।
- राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है
- राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष राज्य कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं।

(SSC CONSTABLE GD 17.01.2023)

- भारतीय संसदीय प्रणाली में, विधान सभा के सदस्य (MLA) लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
- राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है।
- भारत में विधान परिषद राज्य विधान सभा द्वारा उस आशय का प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है
- राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन है

(RRB NTPC 19.03.2021)

@apna_pdf

@apna_pdf

14. राज्य न्यायपालिका

उच्च न्यायालयः उच्च न्यायालय राज्य में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर काम करता हैं।

संविधान के भाग छः में अनुच्छेदः 214 से 231 इसके संगठन से संबंधित है।

ब्रिटिश काल में ही भारत में उच्च न्यायालय स्थापित हो गये थे, 1862 में तीन उच्च न्यायालय स्थापित किये गयेः–

(1) बॉम्बे, (2) मद्रास तथा (3) कलकत्ता

1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चौथे उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया।

अनुच्छेद – 214: हमारे संविधान में हर राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। लेकिन सातवां संविधान संशोधन एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति देता है।

हमारे देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है।

दिल्ली एक मात्र केन्द्र शासित प्रदेश है, जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को साझा करते हैं।

अनुच्छेद – 214:राज्यों का उच्च न्यायालय

अनुच्छेद – 215:उच्च न्यायालय का "अभिलेख न्यायालय" होना

अनुच्छेद – 216: उच्च न्यायालय की संरचना

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगें, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर नियुक्त किये जायेंगें।

अनुच्छेद– 217:न्यायाधीशों की नियुक्ति

राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने हस्ताक्षर के तहत एक वारंट तथा सील (मुहर) द्वारा नियुक्त करता हैं।

(SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 12.03.2019 14.07.2019) (RRB NTPC 21.01.2021)

अनुच्छेद– 217 (2): न्यायाधीशों की योग्यताः

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) कम से कम 10 वर्षों के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में एक न्यायिक पद धारण किया हो।

(iii) कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो।

(RRB NTPC 21.03.2021)(SSC CHSL 15.11.2015)

अनुच्छेद– 217 (1):न्यायाधीश का कार्यकाल एवं निष्कासनः

एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता हैं।

न्यायाधीश का पद निम्नलिखित कारणों के आधार पर रिक्त हो सकता हैं:

(i) एक न्यायाधीश अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता हैं।

(ii) एक न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी तरीके से जो अनुच्छेद 124 के खण्ड 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है।

अनुच्छेद– 218:

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना।

अनुच्छेद – 219:

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथः प्रत्येक व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाने पर वह अपने पद धारण से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा।

(SSC (10+2) 04.12.2011)

अनुच्छेद –220: स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत या कार्य पर प्रतिबंध

कोई भी व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद, एक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया हो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय में या भारत के किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं करेगा।

अनुच्छेद– 221:वेतन एवं भत्ते

वेतन भत्ते संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून पारित करके निर्धारित किए जाते हैं और जब तक इस संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, जैसा कि हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, वेतन राज्य के संचित निधि से प्रदान किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत संचित निधि से प्रदान की जाती हैं।

(SSC MTS 21.10.12)

अनुच्छेद– 222:एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता हैं।

(SSC CGL 24.02.2002, 08.02.2004, (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 27.01.2018) (SSC CPO 10.11.2022)

अनुच्छेद– 223:एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

अनुच्छेद – 224:अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद – 224 (A) :उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्त

किसी भी राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति कि अग्रिम सहमति के साथ, किसी भी व्यक्ति से अनुरोध कर सकते है, जिसने उस न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, उस राज्य के न्यायाधीश के रूप में कार्य करवा सकता है।

अनुच्छेद – 225:मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

- संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर
- राजस्व विषय
- अधिकारिता का मामला वसीयत, शादी, तलाक, कंपनी की कानून न्यायिक अवमानना से संबंधित विषय आदि

अनुच्छेद – 226:उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की कुछ शक्तियाँ

(SSC CGL Mains, 03.03.2023)

संविधान लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय को किसी भी मुद्दे पर रिट जारी करने की शक्ति देता है, इसके साथ कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तरह पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता हैः

(SSC CGL Mains, 06.03.2023)

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण

(ii) उत्प्रेषण

(iii) परमादेश

(iv) प्रतिषेध

(v) अधिकार–पृच्छा

अनुच्छेद– 226 (A) :अनुच्छेद – 226 के तहत कार्यवाही में केन्द्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण होगा, जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय कर सकता है –

(i)ऐसी अदालत से उत्तर की मांग कर सकता है ।

(ii) ऐसी अदालतों के अभ्यास और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम बनाएं और जारी करें और फॉर्म निर्धारित कर सकता है ।

(iii) ऐसे किसी भी न्यायालयों के कार्यालयों द्वारा प्रपत्रों और खातों को रखने के लिए फॉर्म निर्धारित कर सकता है।

(iv)एक अदालत से दूसरे अदालत में मामलों का स्थानांतरण कर सकता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)5 मई 2010 को पारित राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामले से संबंधित है।

(SSC CHSL 06.12.2015) (RRB NTPC 27.03.2021)

उच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार राय नहीं देता हैं।

(SSC CGL Pre.13.12.2022) (SSC CPO 09.11.2022)

अनुच्छेद– 228: कुछ विषयों का उच्च न्यायालय में स्थानातंरित करना।

यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में कानून

@apna_pdf

का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसकी व्याख्या मामलों के निपटान के लिए आवश्यक है, तो वह मामले को वापस ले लेगा।

अनुच्छेद– 228A: राज्य कानूनों की संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद– 229: अधिकारी, कर्मचारियों तथा उच्च न्यायालय के खर्चे।

(1) उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे वह निर्देश दे–

बशर्ते कि राज्य के राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे मामलों में जो नियम में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय से पहले से संबद्ध नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद न्यायालय से जुड़े किसी भी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या अधिकारी

बशर्ते कि इस खंड के तहत बनाए गए नियम, जहां तक वे वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित हैं, राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(3) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, और कोई भी शुल्क या अन्य धन न्यायालय द्वारा लिया जाएगा उस कोष का हिस्सा बन जाएगा।

(SSC (10+2) 21.10.2012)

अनुच्छेद– 230:केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार

संसद संशोधन द्वारा कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी केन्द्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है व बाहर भी कर सकती है

अनुच्छेद– 231:दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है

''अधीनस्थ न्यायालय''

अनुच्छेद– 233:जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

किसी भी राज्य में होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

एक व्यक्ति जो पहले से ही राज्य के संघ की सेवा में नहीं है, वह केवल जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह कम से कम सात साल तक एक वकील या वकील के रूप में रहा हो और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो।

(SSC CGL 21.04.13) (RRB NTPC 01.02.2021)

अनुच्छेद– 234:न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती

किसी राज्य की न्यायिक सेवा के लिए जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के और उच्च न्यायालय में से परामर्श के द्वारा व बनाये गए नियमों के अनुसार की जायेगी।

(SSC CGL 21.04.2013)

अनुच्छेद–235:

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण: राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से अगर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति और पदोन्नति और छुट्टी देने सहित जिला अदालतों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।

(SSC GD 12.05.2013), (SSC CGL 03.09.2016)

अनुच्छेद– 236:व्याख्या

अनुच्छेद– 237: कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के प्रावधानों का लागू होना।

याद रखने योग्य तथ्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश	उच्च न्यायालय
1	**अंडमान और निकोबार द्वीप**	पश्चिम बंगाल (कोलकाता) *(SSC MTS 07.8.19) (SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 02.07.2017)*
2	**लक्षद्वीप**	केरल (कोच्चि) *(SSC MTS 07..08.19) (SSC CAPFs ASI & Delhi police SI 03.07.2017)*
3	**पुदुचेरी**	मद्रास (चेन्नई)
4	**दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव**	बंबई उच्च न्यायालय
5	**दिल्ली**	दिल्ली उच्च न्यायालय
6	**जम्मू और कश्मीर, लद्दाख**	श्रीनगर /जम्मू
7	**चंडीगढ़**	चंडीगढ़

- न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थीं और वह 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनीं और हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी।
  (SSC (10+2) 21.10.2012), (SSC CGL 04.06.2019, 06.06.2019)(SSC CHSL 12.04.2021)
- लोक अदालतें (लोगों की अदालत) कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत आती हैं।
  (SSC CGL 06.06.2019)

अनुच्छेद 245 से 255

केंद्र–राज्य संबंध से संबंधित संविधान का यह हिस्सा

अनुच्छेद 246 भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में वर्णित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं।

(SSC MTS 05.10.21)(SSCCGL 31.08.16)

@apna_pdf

@apna_pdf

15. स्थानीय स्वशासन

हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन के दो स्तर विद्यमान है।

पहली ग्रामीण स्थानीय सरकार जिसे ''पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और दूसरी शहरी स्थानीय स्वशासन।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से मौजूद है। चोल शासन में इसका आदर्श रूप देखा जा सकता है।

लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है।

(SSC CHSL 04.11.2012)

मोंटेग्यु चेम्सफोर्ड सुधार –1919 ने स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय का हिस्सा बनाया।

स्थानीय सरकार राज्य और केन्द्र सरकार के अलावा सरकार का तीसरा स्तर है।

(SSC CGL 27.04.14)

संघ सरकार

↓

राज्य सरकार

↓

स्थानीय सरकार

↙ ↘

पंचायती राज	नगर–पालिका
जिला पंचायत	नगर–निगम
मंडल पंचायत	नगर–परिषद
ग्राम पंचायत	नगर–पंचायत

मूल रूप से भारत के संविधान में दो स्तरीय सरकार थी।

स्थानीय स्वशासन का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद–40 में है।

स्वतंत्रता के बाद, 1957 मे बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जिससे देश में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सिफारिश की।

(RRB NTPC 08.04.2021)

समिति ने देखा कि सीडीपी (सामुदायिक विकास कार्यक्रम–1952) की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी की कमी थी।

समिति ने स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का सुझाव दिया जिसमें तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ (PRI), अर्थात्, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें (GPs), ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (PPs) और जिला परिषद (ZPs) का गठन किया गया जिला स्तर। इसे स्थानीय–स्वशासन भी कहा जाता है।

(SSC CONSTABLE 12.05.2013) (SSC CPO 28.08.2011, 06.06.2016) (SSC MTS 14.05.2017) (SSC CAPF SI &ASI 09.12.2019)

(SSC CONSTABLE GD 31.01.2023)

राजस्थान बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।

(SSC CGL 21.04.2013)(RRB NTPC 21.01.2021)

1960 में पंचायती राज को विभिन्न राज्यों में अपनाया गया।

लेकिन राज्यों द्वारा गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनके कार्यकाल, चुनाव की तारीख निश्चित नहीं थी

पंचायती राज में सुधार के लिए अन्य– समितियों का गठन:

अशोक मेहता समिति –1977:

(SSC CGL 27.02.2000) (SSC CHSL 16.11.2014)

सिफारिशें:–

(i) द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए जो कि ग्राम पंचायत एवं मंडल पंचायत के स्थान पर बनाई जानी चाहिए।

(ii) जिला कलेक्टर सहित, सभी अधिकार जिला–परिषद के अधीन होने चाहिए।

(iii) संगठन का चुनाव दलगत आधार पर किया जाना चाहिए।

(iv) एससी तथा एसटी के लिए सीटे उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित होनी चाहिए।

(v) पंचायती राज व्यवस्था में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका होनी चाहिए।

2. जी.वी. राव समिति –1985:

सिफारिशें:

(i) ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए

(ii) राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

(iii) संस्था का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाना चाहिए।

3. L. M. सिंघवी समिति 1986: इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

केन्द्र सरकार ने 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा प्रयास किया, लेकिन विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका।

4.पी. के. थुंगन समिति –1988:

इस समिति ने भी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।

73 वां संविधान संशोधन: –यह संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पारित किया गया था। जो 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।

(SSC CML 24.10.1999) (SSC MTS 16.02.2014) (SSC CHSL 16.11.2014, 06.12.2015)

इसके लिए संयुक्त निर्माता समिति बनाई गई इस अधिनियम के लिए जिसके अध्यक्ष राजस्थान के नाथूराम मिर्धा थे। (संसद के सदस्य)

नोट:–पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज मनाने की घोषणा की।

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग (IX)''पंचायती राज'' जोड़ा जिसमें की अनुच्छेद 243(A)से 243 (O) तक के प्रावधान है।

(SSC CHSL 08.08.2019)(SSCCONSTABLE GD 25.01.2023)

इस अधिनियम ने संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायत राज के 29 विषय शामिल है, जो अनुच्छेद 243 (G) से संबंधित हैं।

(SSC CHSL 25.03.2018)

73वें संशोधन 24 अप्रैल, 1993 जो की अनुच्छेद 243 संबंधित हैं की महत्वपूर्ण विशेषताएं पंचायतों और स्थानीय सरकार हैं।

(RRB NTPC 02.02.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 12.12.2022) (CONSTABLE GD 11.01.2023)

73 वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं

परिभाषाएँ – इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) 'जिला' का मतलब राज्य में एक जिला है।

(ख) 'ग्राम सभा' का अर्थ है एक निकाय जिसमें गांव के स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है।

(SSC MTS 10.03.2013) (SSC STENOGRAPHER 09.01.2011), (SSC MTS 14.05.2017)

यह पंचायत के लिए मतदाताओं को भी संदर्भित करता है,जो कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण कारक है

ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती है जैसे धन का दुरुपयोग या कुछ खास लोगों का पक्ष लेना।

(SSC CHSL 26.03.2018)

(ग) 'मध्यवर्ती स्तर' का अर्थ है इस भाग के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव और जिला स्तरों के बीच का स्तर।

(घ) 'पंचायत' का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243बी के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) से है।

(च) 'जनसंख्या' का अर्थ पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, (आवधिक रूप से की जाने वाली जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना को जनगणना के रूप में जाना जाता है।) भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती हैं।

(SSC MTS 20.10.21) (SSC CONSTABLE GD 11.01.23)

243 (A) ग्राम सभा

एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।

(SSC STENOGRAPHER 9.01.2011), (SSC MTS 13.05.2017)

243(B) पंचायतों का गठन–

(1) इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।

(SSC CONSTABLE GD 12.05.2013, (SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE 9.12.2019), (SSC CPO 06.06.2016), SSC MTS 14.05.2017)

@apna_pdf

@apna_pdf

(2) भारतीय संविधान के अनुसार बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है, पंचायतों के मध्यवर्ती स्तर के गठन के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या 20 लाख है।
(SSC CHSL 03.07.2019)

243(C) पंचायतों की संरचना–

इस भाग के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा पंचायतों की रचना के संबंध में प्रावधान कर सकता हैं।

(RRB NTPC 17.02.2021)

243(D) सीटों का आरक्षण.–

(1) सीटें आरक्षित होंगी–

(ए) अनुसूचित जाति

(बी) अनुसूचित जनजाति

(2) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है)

243(E) पंचायतों की अवधि –

प्रत्येक पंचायत, जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत शीघ्र ही भंग न कर दी जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी न कि इससे अधिक

(SSC CHSL 14.10.20)(SSC MTS 14.08.2019 18.10.21), (SSC CGL 11.06.2019)

(1) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन–

(i) उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व

(ii) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व , पूरा किया जाएगा

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं हो।

(SSC STENOGRAPHER 11.09.2017, 12.09.2017) (SSC CGL Pre. 2022, 12.12.2022) (SSCMTS 16.09.2017)

(2) एक पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित एक पंचायत केवल शेष अवधि के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रहती।

243(F) सदस्यता के लिए अयोग्यताएं–

(1) एक व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा–

(ए) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है।

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है

(SSC CHSL 05.07.2019)

(बी) यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है।

243(G) पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां–

243(H) पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधि

243(I) वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन

एक राज्य के राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, और उसके बाद हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायतों की और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करना।

243 (J) पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा

243(K) पंचायतों के चुनाव –

आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जानी जाने वाली मतदाता सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पंचायतों के लिए सभी चुनावों का संचालन एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा।

(SSC MTS 10.03.2013,20.10.2021)(SSC CHSL 16.11.2014) (RRB NTPC 05.04.2021) (SSC CGL Pre. 05.12.2022)

बशर्ते कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा , जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

किसी राज्य के राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी और जनशक्ति उपलब्ध कराएंगे।

243 (L) केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन

243 (M) भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा

(ए) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य

(बी) मणिपुर राज्य में पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषद किसी कानून के तहत मौजूद हैं

243 (N) मौजूदा कानूनों और पंचायत की निरंतरता– इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में पंचायतों से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान।

243(O) चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक–

भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

इस अनुसूची में 29 विषय हैं।

इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

(SSC CGL 19.06.2011)

कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है

भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है।

(SSC CGL 19.06.2011)

भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण हैं।

(SSC JUNIOR ENGINNER 22.01.2018)

प्रत्येक ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है ग्राम सभा से मिलकर बनता है वार्ड पंच और सरपंच जो कि ग्राम सभा अध्यक्ष होता हैं।

(SSC MTS 03.10.2017) (SSC CHSL 27.03.2018)

संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है

(RRB NTPC 12.01.2021)

- **नगरपालिकाएं**

संवैधानिक दर्जा :

यह 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1 जून 1993 को लागू हुआ।

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा।

(SSC CHSL 16.03.2018, 19.03.2018, 15.03.2018)

नगरपालिकाएं अनुच्छेद 243(P) से 243(ZG) तक के प्रावधानों से मिलकर बनी है।

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में 12 वीं अनुसूची और जोड़ दी।

इसमें नगरपालिकाओं के 18 विषय शामिल है।

एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर–पंचायत कहने का मतलब है कि ग्रामीण से शहरी में संक्रमण का क्षेत्र।

छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका मध्यम शहरो के लिए नगर परिषद है,इस भाग के प्रावधानों के साथ एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर–निगम का प्रावधान किया गया है

(SSC CHSL 06.03.2018)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243V (1)(बी) के अनुसार नगरपालिकाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

(SSC CHSL 03.07.2019) (RRB NTPC 23.01.2021)

अनुच्छेद 243ZD के तहत जिला योजना आयोग (DPC) का गठन किया गया हैं।

(SCC JUNIOT ENGNEER 23.01.2018)

- मेयर नगर पालिकाओं के प्रमुख हैं।
- नगर पालिकाओं के सभी सदस्य पांच साल के लिए नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
- नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र और नगरपालिका को नियंत्रित करता है जबकी परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्ड कहे जाने वाले छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि को वार्ड सदस्य (पंच) कहा जाता है।
- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्था में केवल महिलाओं के लिए आरक्षण है

(RRB NTPC 13.01.2021)

- वार्ड समिति का गठन सरकार द्वारा किया जाता है यदि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो

(RRB NTPC 11.03.2021)

- स्थानीय सरकार में नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत शामिल हैं।

(RRB NTPC 18.01.2021)

@apna_pdf

@apna_pdf

16. संवैधानिक निकाय

संवैधानिक – निकाय

(i) चुनाव–आयोग: यह चुनाव आयोग में निहित होने के लिए चुनाव और अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय हैं।

स्थापना: 25 जनवरी 1950

(RRB NTPC 19.01.2021)

अनुच्छेद : 324 (भाग - 15)

(SSC CPO SI, ASI & DELHI POLICE SI 06.06.2016)

सदस्य: इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और दूसरे के वी के सुंदरम थे।

(SSC CHSL 28.11.2010, 19.03.2020), (SSC MTS 20.02.2011), 17.03.2013, 23.10.2017), (SSC CGL 13.06.2019) (RRB NTPC 27.01.2021)

1989 में चुनाव आयोग में दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 2001 में स्वर्ण जयंती मनाई।

(SSC CGL Pre. 2022, 06.12.2022)

नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा

(SSC MTS 21.10.2012) (RRB NTPC 02.03.2021) (SSC CPO 2022, 09.11.2022)(SSC CONSTABLE GD 25.01.2023)

कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

(SSC CML21.05.2000, 13.05.01, 12.05.2002) (SSCCGL 26.06.11) (SSCMTS 20.02.11)(SSC FCI 11.11.12) (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 21.06.15 03.07.2017), (SSC CHSL 04.03.2018) (RRB NTPC 03.03.2021)

पद से हटाना: संसद द्वारा उसी प्रकार से जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाता है, इसका मतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं।

(SSC CHSL 07.03.18)

शक्तियां एवं कार्य: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने की शक्ति देता हैं।

(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

वह प्रत्येक चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है। यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है और चुनाव लड़ने के योग्य होने पर उन्हें पंजीकृत करता हैं। और चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिये मानदंडों और दिशानिर्देशों जारी करता हैं।

(SSC MTS 20.08.19, 10.03.2013), (SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 24.01.2018), (SSC CGL 06.06.2019), (CHSL 04.12.2011, 19.04.21) (RRB NTPC 05.03.2021)

पहली बार दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त 16 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किए गए थे, लेकिन उन्होंने 1 जनवरी 1990 तक केवल छोटे कार्यकाल के लिए काम किया। बाद में, 1 अक्टूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए।

(SSC CGL 06.03.2020)

यह उन उम्मीदवारों को निलंबित कर सकता है जो अपने चुनाव खर्च के ब्यौरे को समय पर जमा नहीं करवा पातें है। तो चुनाव आयोग 3 साल के लिये अयोग्य घोषित कर सकता है।

उपचुनाव की प्रक्रिया द्वारा कार्यालय में एक पद जो आम चुनाव के दौरान रिक्त हो गया हो भरा जाए

(SSC MTS 16.08.2019)

मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले पार्टी घोषणापत्र जारी नहीं कर सकते और साथ ही एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है।

(RRB NTPC 12.01.2021)

- चुनाव से संबंधित संविधान के कुछ हिस्सों में मतदान के अधिकार का उल्लेख किया गया है
- भारत के चुनाव आयोग ने PPRTMS लॉन्च किया (राजनीतिक दलों का पंजीकरण ट्रैकिंग सिस्टम)
- भारत के राष्ट्रपति ने एक आयुक्त नियुक्त किया
- राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेते हैं
- पोस्टल वोटिंग को प्रॉक्सी वोटिंग भी कहा जाता है एक व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
- रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयक्त थीं
- भारत में चुनाव के संदर्भ में, VVPAT शब्द का अर्थ वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल हैं।
- कुल डाले गए वोट का न्यूनतम 1⁄6 उसकी जमानत राशि बचाने के लिए आवश्यक है
- चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है

राज्य–निर्वाचन आयोग: यह 73 एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थानीय निकायों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए स्थापित किया गया था।

इसमें केवल एक सदस्य होता है जो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाता है।

यह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे उसी तरह से हटाया जाता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

अनुच्छेद–312 राज्य सभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की अनन्य शक्ति प्राप्त है। दो–तिहाई बहुमत से कम नहीं, एक बार इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाने पर संसद ऐसी अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए सक्षम हो जाती है

(SSC CAPF SI & ASI 12.12.2019) DELHI POLICE CONSTABLE 12.12.2020) (SSCCHSL 09.11.14)

संविधान तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रदान करता है जैसे 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा 2. भारतीय वन सेवा 3. भारतीय पुलिस सेवा सेवा करती है, तटस्थता और निष्पक्षता भारत में सिविल सेवकों की विशेषताओं में से एक है जिसे नौकरशाही भी कहा जाता है। जिसका शाब्दिक अर्थ आधिकारिक रूप से सरकार की एक प्रणाली है।

(SSC SECTION OFFICER 10.12.06) (SSC CGL 20.07.14, 11.09. 16, 16.05.10, 16.08.15) (SSC MTS 17.03.13) (SSCCHSL 15.11.15, 07.03.2018) (SSC CPO 2022, 09.11.2022)

नौकरशाही प्रशासनिक के साथ–साथ अर्ध–न्यायिक और अर्ध–विधायी कार्य करती है यह सरकार का कार्यकारी अंग भी है जो लोगों के एक छोटे समूह को संदर्भित करता है जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए एक मोबाइल ऐप cVIGIL लॉन्च किया है।

(SCC CHSL 10.07.19)

उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प पहली बार 2013 में भारत में विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था,

(RRB NTPC 18.01.2021, 08.04.2021) (SSC CGL Mains 2022, 07.03.2023)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) :

लोक सेवा आयोग का मूल संस्करण, संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर, 1926 को स्थापित किया गया। भारत के संविधान के भाग –14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है।

(SSC CONSTABLE GD 12.01.2023)

अनुच्छेद–315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

आयोग में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते है।

अनुच्छेद 316 : नियुक्ति, योग्यता एवं कार्यकाल

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोग के संबध में राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(SSC CGL 08.09.2016), (SSC CHSL 21.10.2012), (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 06.07.2017)

योग्यताएं: आयोग के सदस्य कम से कम 10 वर्षों तक या तो केन्द्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन काम कर चुके हो।

कार्यकाल: पद धारण की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले।

(SSC CHSL 12.04.21)(SSC MTS 11.10.21) (SSC CONSTABLE GD 01.02.2023)

अनुच्छेद - 317 : सदस्य का निष्कासन

दुर्व्यवहार के आधार पर, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यालय से हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद –318: आयोग के सदस्यो द्वारा नियम बनाने की शक्ति।

अनुच्छेद –319: आयोग के सदस्यो को अन्य कोई सदस्यता ग्रहण करने पर रोक या अन्य कोई पद धारण करने पर रोक।

अनुच्छेद –320: कार्य– प्रतियोगी परिक्षाओं के संचालन के माध्यम से संघ में सेवाओं और पदों पर भर्ती।

(SSC MTS 20.10.21)

पदोन्नति पर नियुक्ति के साथ–साथ स्थानांतरण पर प्रति नियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता पर सलाह देना।

(SSC CGL 31.08.16, 28.08.2016)

पेंशन, कानूनी खर्चो की पूर्ति आदि से संबंधित विभिन्न विषय।

संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह दो या अधिक राज्यों को संयुक्त भर्ती की योजना

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

तैयार करने और संचालित करने में सहायता करे जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता है।

अनुच्छेद –321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति

अनुच्छेद –322: लोक सेवा आयोगों के व्यय

अनुच्छेद–323: लोक सेवा आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन

यूपीएससी एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, जिसे की राष्ट्रपति के द्वारा सदन के समक्ष रखा जाता है।

(SSC SECTION OFFICER 30.11.2008, (SSC CHSL 02.11.2014)

नोट– संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली–आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ, जो कि 1926 में बनाया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323ए के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

(SSC CGL 19.05.2013) (DELHI POLICE CONSTABLE 03.12.2020)

जिला कलेक्टर स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है।

संघ लोक सेवा के सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

वित्त–आयोग :

अनुच्छेद –280: भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, यह संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अर्ध–न्यायिक या पंचवार्षिक निकाय के रूप में किया जाता है।

(SSC MTS 28.10.2012. 21.10.2012, 17.03.2013 11.10.2021,) (SSC STENOGRAPHER 11.09.2017), (SSC CHSL 05.03.2018, 10.07.2019) (DELHI PLICE CONSTABLE 02.12.2020) (RRB NTPC 07.03.2021, 31.07.2021) (SSC CGL Mains 2022, 02.03.2023) (SSC CONSTABLE GD 30.01.2023)

इसका गठन हर पाचवें वर्ष किया जाता है ।

(SSC CGL 24.02.2002, 27.04.2014, 31.08.2016), (SSC CAPFs ASI & Delhi Police SI 12.12.2019)

यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच एवं राज्यो के मध्य राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।

के सी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।

सदस्य: एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(SSC CML 24.10.1999 (SSC FCI 22.01.201202.12.2020) (SSC CPO 12.01.03, 06.09.2009,)

योग्यताएँ:

(i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो।

(ii) सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान रखता हो

(iii) अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

वित्त आयोग की शक्ति और कार्य:

केन्द्र और राज्यों के बीच करो की शुद्ध आय के वितरण के लिए सिफारिशें तथा करो का विभाजन उनके योगदान के अनुसार किया जाये।

(SSC CPO 12.01.2003, 06.09.2009, (SSC SECTION OFFICER 16.11.2003), (SSC CHSL 28.10.2012) (SSC MTS 28.10.2012, 21.10.2012)

भारत के समेकित कोष से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले कारकों का निर्धारण करना।

राज्य वित्त आयोग के साथ काम करना और राज्य की संचित निधि को युक्तिसंगत बनाने के उपायों का सुझाव देना ताकि राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें।

पहले वित्त आयुक्त के.सी. नियोगी थे।

14 वें वित्त आयुक्त वाई. वी. रेड्डी (2015-2020)

15 वें वित्त आयुक्त एन. के. सिंह है (2020-2025)

(SSC MTS 06.08.2019, 20.10.21)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)

गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है और उनका कार्यकाल 20 नवंबर, 2024 तक होगा।

अनुच्छेद 148 सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उसी आधार पर पद से हटाया जाएगा। यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है। यह एकल सदस्यीय निकाय है।

(SSC MTS 10.11.13)(SSC CGL 07.03.2020, 02.12.2022) (SSC CGL Mains 2022, 06.03.2023)(SSC CONSTABLE GD 27.01.2023)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अन्य प्रावधान अनुच्छेद 149–151 में शामिल हैं।

(कर्तव्य और शक्तियाँ, संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट)

(RRB NTPC 03.02.2021) (SSC CGL Mains 2022, 06.03.2023) (SSC MTS 02.10.21)

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख – 1858 में बनाए गए और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया

स्वतंत्र भारत के पहले महालेखापरीक्षक वी.नरहरि राव थे

वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।

(SSC CHSL 07.03.2018)

CAG के माध्यम से भी संसद सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका(अर्थात् मंत्रिपरिषद) की जवाबदेही CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

(SSC (10+2) 04.12.2011)

नियुक्ति– भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त।

कार्यकाल– छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

(SSC CGL 13.11.2005, (SSC MTS 20.02.2011) (RRB NTPC 09.03.2021)

निष्कासन– ब्।ळ को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है।

दूसरे शब्दों में, उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।

अन्य संबंधित बिंदु–

(CAG) भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखता है।

(SSC CGL 30.08.2016, 06.09.2016), (SSC CHSL 10.03.2018)

अपने कार्यालय में रहने के बाद, भारत सरकार या किसी भी राज्य के तहत आगे के कार्यालय के लिए पात्र नहीं है।

वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

CAG के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। (इस प्रकार संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं)

CAG में कोई भी मंत्री प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 149 कर्तव्यों और शक्तियों के साथ–साथ सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 के तहत)

भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधान सभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि से सभी व्यय से संबंधित खातों का लेखा परीक्षण करता है।

संयुक्त राष्ट्र भारत की आकस्मिकता निधि से सभी व्यय का लेखा परीक्षा कर सकता है

प्रत्याशित व्यय संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना पूरा किया जाएगा

और भारत के लोक लेखा के साथ–साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों का लेखा परीक्षण किया जाता है।

निम्नलिखित की प्राप्तियों और व्यय का लेखा–जोखा करता है–

निकायों और प्राधिकरणों को केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषितय

सरकारी कंपनियां और अन्य निगम और निकाय, जब संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक हो।

राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों का ऑडिट

संसद की लोक लेखा समिति के साथ–साथ एक मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।

(SSC CGL 27.07.2014 02.09.2016)

बी.आर. अंबेडकर के अनुसार सीएजी संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होगा।

सीमा–

सीएजी का समेकित निधि से धन जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं है और कई विभाग सीएजी से विशिष्ट प्राधिकरण के बिना चेक जारी करके धन

@apna_pdf

निकालने के लिए अधिकृत हैं, जो केवल लेखापरीक्षा स्तर पर संबंधित है जब व्यय पहले ही हो चुका है। इस संबंध में, भारत का CAG ब्रिटेन के CAG से पूरी तरह से भिन्न है, जिसके पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्तियाँ हैं।

दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में कार्यपालिका केवल CAG की स्वीकृति से ही सरकारी खजाने से पैसा निकाल सकती है।

''अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग''

स्थापना: 12 मार्च 1992 को, 65 वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक चिंता की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना है।

(SSC CAPFs SI, ASI & DELHI POLICE SI 07.06.2016)

अनुच्छेद –338: - भाग – 16

(SSC CPO 2022, 09.11.2022)

संरचना: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य

नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा, **कार्यकाल:** तीन साल

रिपोर्ट: आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो इसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाता है।

आयोग के कार्य: अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना।

एससी, एसटी के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जाँच एवं सुनवाई करना।

एसटी एवं एससी के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना।

अन्य कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं।

नोट: 89 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को द्विभाजित कर दिया, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद–388 के तहत) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद–338 A के तहत), अतः अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग 2004 में प्रभाव में आया।

पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग:

स्थापना: 2 अप्रैल, 1993,

अनुच्छेद: 340 भाग– 16

(SSC CGL 05.03.2020)

संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है तथा उनकी सेवा की शर्ते तथा कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कार्य: अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना

मामलों की जांच एवं सुनवाई करना जो अन्य पिछड़े वर्ग के हितों का उल्लघंन करता है।

ओबीसी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तथा वह उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाता है।

अनुच्छेद 263 (भाग –11) –अंतर–राज्य परिषद:

स्थापना: सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा 28 मई, 1990 को स्थापित किया गया। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए, आयोगों ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति गैर–पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए।

(SSC SECTION OFFICER 30.11.08)(SSC CPO 12.12.10) (SSC CAPF SI 09.12.19)(SSC MTS 08.08.19, SSC CHSL 16.11.14, 12.10.20) (RRB NTPC 11.01.2021, 31.01.2021, 03.04.2021, 05.04.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 09.12.2022)

संरचना: यह राष्ट्रपति द्वारा गठित एक सलाहाकार परिषद है।

अंतर राज्य परिषद के सदस्य निम्नलिखित है:

(i) प्रधानमंत्री

(ii) सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिनमें विधायिका होती है।

(iii) केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनके पास विधायिका नहीं है।

(iv) राष्ट्रपति शासित, राज्यों के राज्यपाल

(v) प्रधानमंत्री छः मंत्रिपरिषद मंत्रियों को मनोनीत करता है।

अंतर–राज्य परिषद के कार्य:

राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना।

केंद्र–राज्य संबंध समिति

1. राजा मन्नार समिति (1969)
2. सरकारिया समिति (1983)
3. एम एम पुंछी समिति (2007)

(RRB NTPC 30.12.2020)

अनुच्छेद 279 शुद्ध आय आदि की गणना, शुद्ध आय का अर्थ है किसी भी कर या शुल्क के संबंध में संग्रह की लागत से कम आय

अनुच्छेद 279ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दे पर संघ और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है।

(SSC CGL 16.08.2021)

माल और सेवा कर, अधिनियम 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023)

भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए के अनुसार, जीएसटी परिषद, जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे (i) संघ वित्त मंत्री होंगे (ii) केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी होंगे (iii) वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री

(SSC CONSTABLE GD 23.01.2023)

अनुच्छेद 347 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत राज्यों की आबादी के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान।

(SSC CGL 05.03.2020)

सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यालय को संवैधानिक निकाय माना जाता है।

(SSC CGL, 04.07.1999) (SSC TAX ASSITANT 29.03.2009) (FCI ASSISTANT 05.02.2009)(SSCCGL 11.11.2012)

@apna_pdf

@apna_pdf

17. गैर–संवैधानिक निकाय

भारत में गैर–संवैधानिक निकाय

(i) लोकपाल और लोकायुक्त :

उत्पति एवं विकासः

1809 में स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल का उद्घाटन किया गया।

(SSC CHSL 05.11.2011)

इसके बाद 1919 में फिनलैंड 1955 में डेनमार्क, तथा 1962 में नॉर्वे ने इस प्रणाली को अपनाया।

1967 में, ग्रेट–ब्रिटन ने इसे अपनाया और इस तरह की व्यवस्था करने वाला लोकतांत्रिक विश्व का प्रथम सबसे बड़ा देश बन गया ।

भारत में, संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा को पहली बार 1960 में संसद में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया।

लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द एल. एम. सिंघवी द्वारा दिया गया था।

भारत में लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है।

(SSC MTS 11.12.2011)

भारत में यह शब्द संस्कृत भाषा के शब्द 'लोक' (लोक) और 'पाला' (रक्षक) और लोगों की देखभाल करने वाले से लिया गया है।

भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो प्रशासन के खिलाफ व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर जांच कर सकता हैं।

(RRB NTPC 17.01.2021)

1968 में, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की लोकपाल विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया था पर लोकसभा के विघटन होने पर वह लेप्स (कालातीत) हो गया, इसके बाद यह लोकसभा में कई बार लेप्स (कालातीत) हो गया है।

(SSC CAPF SI &ASI 21.06.2015)

2005 में वीरप्पा मोइली' की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की, कि इसका गठन बिना किसी देर के अतिशीघ्र होना चाहिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार (एआरसी) की 12वीं रिपोर्ट में नागरिक केंद्रित प्रशासन की भी पहचान सुशासन की बाधा के रूप में हुई थी, जिसे वीरप्पा मोइली ने भी प्रकाशित किया था।

(SSC JUNIOR ENGINEER 27.01.18)

जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का राज सुशासन के विशेषताएँ हैं।

(SSC JUNIOR ENGINEER 25.01.2018)

2011 में, सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय सुझाने और लोकपाल बिल के प्रस्ताव की जांच करने के लिए प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया, अर्चना रामासुंदरम भारत के पहले लोकपाल के गैर–न्यायिक सदस्य थे।

(SSC CGL 19.06.2019)

2013 में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में ''भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ'' आंदोलन चलाया, जिसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) पर दबाव डाला तथा संसद के दोनों सदनों में लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक–2013 पारित किया गया।

(SSC MTS 16.02.2014, 23.02.2014)

इसने 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त की तथा, 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया।

सदस्यःलोकपाल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य हो सकते है।

4 – न्यायिक सदस्य

4 – सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं में से होने चाहिए।

अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक चयन समिति के द्वारा होगा।

चयन समिति के सदस्यः

(i) प्रधानमंत्री

(ii) लोकसभा अध्यक्ष

(iii) लोकसभा में विपक्ष का नेता

(iv) भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रसिद्ध न्यायविद
- अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

कार्यकालः कार्यालय में प्रवेश करने से 5 वर्ष तक तथा 70 वर्ष की आयु पूरा करने तक।

- केन्द्र में लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना।
- अतः यह केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर समान रूप से सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी मार्ग प्रदान करते है।

भारत के संविधान में लोकायुक्त का अर्थ एक निकाय है जो भ्रष्टाचार के लिए उनके खिलाफ की गई शिकायतों के संबंध में सिविल सेवक या राजनेता की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर काम करता है।

(RRB NTPC 22.02.2021)

सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर लोकायुक्त प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है

(RRB NTPC 07.03.2021)

इस प्रकार केंद्र और राज्यों दोनों में राष्ट्र के लिए एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी रूप रेखा प्रदान करना।

भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं।

प्रशांत मिश्रा ने भारत में लोकपाल के लिए लोगो डिजाइन किया।

(SSC CGL 19.06.19 , 09.03.2020) (SSC CHSL 04.08.2021)

''लोकपाल क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ''

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में, प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद के सदस्य, A, B, C & D समूह के अधिकारी एवं केन्द्र सरकार के अधिकारी शामिल होते है। और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच करता हैं।

(SSC MTS 11.10.21)

इसमें अधीक्षण का अधिकार एवं सीबीआई को दिशा देने की शक्तियां है।

नोटः मंत्री और सांसद, संसद में कही गई बातों के मामलों में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

लोकायुक्तः

भारत के विभिन्न राज्यों में नियुक्त लोकायुक्त निम्न हैः

राज्य	स्थापना वर्ष
(i) उड़ीसा	1970
(ii) महाराष्ट्र	1971
(iii) राजस्थान	1973
(iv) बिहार	1974
(v) उत्तर–प्रदेश	1975
(vi) मध्य–प्रदेश	1981
(vii) आंध्र–प्रदेश	1983
(viii) हिमाचल–प्रदेश	1983
(ix) कर्नाटक	1985
(x) गुजरात	1986
(xi) पंजाब	1995

नोटः हालांकि पहला लोकायुक्त 1970 में उड़ीसा द्वारा बनाया गया था, पर महाराष्ट्र ने सबसे पहले स्थापित किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :

- 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकरों की सार्वभौमिक उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई।
- तब से 10 Dec को 'मानव अधिकार दिवस'के रूप में मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में ''मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993'' के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो कि संसद द्वारा बनाया गया है।

(RRB NTPC 16.01.2021)

संरचनाः

आयोग के सदस्यः

एक अध्यक्ष, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

(SSC CAPFs (CPO) 05.06.2016) (RRB NTPC 25.01.2021)

एक सदस्य, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

दो सदस्य, मानवाधिकारों से संबंधित विषयों में व्यावहारिक अनुभव के ज्ञान वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा।

इसके अलावा, आयोग के पदेन सदस्य होंगे, जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होंगे।

नियुक्तिः एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा छः सदस्यों की समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है।

@apna_pdf

(i) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
(ii) गृह मंत्री
(iii) लोकसभा में विपक्ष का नेता
(iv) राज्यसभा में विपक्ष का नेता
(v) लोकसभा अध्यक्ष
(vi) राज्यसभा के उपाध्यक्ष

एनएचआरसी का कार्यकाल:
5 वर्ष, जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग के कार्य:

- इसकी शक्ति प्रकृति में केवल अनुशंसात्मक है।
- किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए भारत सरकार के अधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही पर निष्पक्ष या प्रतिक्रियात्मक रूप में पूछताछ
- न्यायालय की अनुमति से, मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- पीड़ीतों और उनके परिवारों को राहत देने के बारें में सिफारिशे करना।
- मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए लागू होने वाले समय और संविधान या किसी कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- आंतकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करना जो मानव अधिकारो के उपभोग को प्रतिबंधित करते है, और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं।
- मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढावा देना
- समाज के विभिन्न वर्गों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते है।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर – सरकारी संगठनों और संसाधनों के प्रयास को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य जोकि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकते है।
- किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होने पर किसी भी न्यायालय या कार्यालय से उसकी प्रतिलिपि के लिए अनुरोध करना।

"राष्ट्रीय महिला आयोग"

स्थापना : 31 जनवरी, 1992

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023)

पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया, जिसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक थी।
वर्तमान अध्यक्ष–रेखा शर्मा
संरचना: आयोग एक बहु–सदस्यीय निकाय हैं जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। एक सदस्य, केन्द्र सरकार द्वारा नामित सचिव होता है।
कार्यकाल: तीन साल,
वे केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा संबोधित करके किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।

आयोग के कार्य:
महिलाओं की कानूनी सुरक्षा तथा संबंधित कानूनों की समीक्षा करना।
समस्याओं के निवारण की सुविधा के लिए या महिलाओं को प्रभावित करने वाली पॉलिसी से संबंधित विषयों में सरकार को सलाह देना।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) संसद के एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) अधिनियम, 2005 के तहत 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

(SSC CPO 9.11.2022)

प्रथम अध्यक्ष– शांता सिन्हा
वर्तमान अध्यक्ष– प्रियांक कानूनगो

योजना–आयोग

भारत सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन 1946 में के.सी. नियोग की अध्यक्षता में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की अनुशंसा पर किया गया। जो 15 मार्च 1950 को एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

(SSC MTS 31.08.2008) (SSC CAPF SI 23.06.2013) (FCI ASSISTANT 05.02.2012) (SSC CGL 28.08.2016) (RRB NTPC 29.01.2021, 14.03.2021)(SSC CONSTABLE GD 25.01.2023)

आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।

(SSC CML 13.05.2001) (SSC MTS 11.12.2011, 22.01.2017), (SSC CGL 28.08.2016, 20.08.2021)

प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में प्रस्तुत पहली, साथ ही विकास की महलोनोबिस योजना दूसरी योजना (1956–61) में अपनाई गई

(SSC CHSL 06.08.2019)(SSC MTS 14.05.2017, 19.08.2019)(SSC CONSTABLE GD 01.02.2023)

वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है।

"नीति–आयोग" (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)

(RRB NTPC 30.01.2021)
(SSC CONSTABLE GD 06.02.2023)

1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार ने 64 वर्ष पुराने योजना आयोग को एक मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के माध्यम से बदल दिया।
नीति आयोग का उद्देश्य "विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दिशात्मक और रणनीतिक भागीदारी प्रदान करना हैं। यह एक थिंक टैंक बॉडी है।

(SSC MTS 30.04.2017) (SSC CONSTABLE GD 16.01.2023. 17.01.2023, 30.01.2023)

नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग ने फसलों की कुछ श्रेणियों के लिए भारत को 15 कृषि–जलवायु क्षेत्रों में विभाजन किया था।

(SSC CHSL 13.10.2020) (SSCCAPF SI 23.06.2013) (SSC FCI 05.02.2012

नीति आयोग की संरचना:
अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

(SSC CHSL 22.01.2017)

उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। (सुमन बेरी)

(SSC 06.09.2016) (SSCCONSTABLE GD 11.01.2023)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
शासन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के उप–राज्यपाल से मिलकर बनी होती है।
पदेन सदस्य: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है।
सदस्य: पूर्ण कालीन
अंशकालिक सदस्य: अधिकतम 2 सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों से बारी–बारी से।
विशेष आमंत्रित सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
नीति आयोग भारत के "थिंक टैंक" के रूप में कार्य कर रहा हैं।

(RRB NTPC 30.01.2021)

"क्षेत्रीय–परिषद"
यह एक विशिष्ट कार्यकाल के लिए एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए गठित किया जाएगा।
यह प्रधान मंत्री द्वारा गठित की जाती है और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और संघराज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

(SSC CGL 02.09.2016)

इसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
यह सहकारी संघवाद का मंच है
SDG इंडिया इंडेक्स को NITI AAYOG द्वारा विकसित किया गया है, अटल टिंकरिंग लैब NITI AAYOG की पहल है
स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है।
पहले उपाध्यक्ष– अरविंद पनगढ़िया
पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सिंधुश्री खुल्लर
वर्तमान उपाध्यक्ष– सुमन बेरी
वर्तमान सीईओदृ श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम

"केन्द्रीय सतर्कता आयोग"

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में सरकार द्वारा सतर्कता के दायरे में केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री के. संथानम की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई।

आयोग की नियुक्ति:
एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा दो अन्य सदस्य एक समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति में निम्न व्यक्ति होते हैं:
(i) प्रधानमंत्री – अध्यक्ष
(ii) गृह मंत्री
(iii) लोक सभा में विपक्ष का नेता
आयोग का निष्कासन: राष्ट्रपति द्वारा किए संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साबित किए गए दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा।

@apna_pdf

@apna_pdf

आयोग के कार्यः दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) (जो केंद्रीय जांच ब्यूरो का हिस्सा है) के कामकाज का अधीक्षण करना जहां तक यह भ्रष्टाचार अधिनियम, 1998 की रोकथाम के तहत अपराधों की जांच से संबंधित है।

डीएसपीई अधिनियम, 1946 के तहत उसे सौंपी गई जिम्मेदारी के निर्वहन के उद्देश्य से डीएसपीई को निर्देश देना।

केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक संदर्भ पर पूछताछ या जांच या जांच का कारण बनता है, उस प्रकरण की जांच करना।

केन्द्र सरकार के मंत्रालयो में सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण का प्रयोग करना।

सुरेश पटेल ने अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) के रूप में शपथ ली

(SSC CONSTABLE GD 13.01.2023)

''केन्द्रीय सूचना आयोग''

आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया गया था।

(RRB NTPC05.03.2021)

संरचनाः यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से कम सूचना आयुक्तों से मिलकर बना होता है।

नियुक्तिः राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर समिति में निम्न लोग होते हैः प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्रिपरिषद मंत्री

(SSC CHSL 06.08.21)

कार्यकालः 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो।

कार्य एवं शक्तियांः

जांच करते समय, आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है।

आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है, अगर उचित आधार (सू–मोटो पावर) हो।

आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग को केंद्र के विषय में तथा राज्य सूचना आयोग को राज्य सरकार के मामले में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

किसी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना तथा पूछताछ करना आयोग का कर्त्तव्य हैं।

आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतो का निवारण करे–

(i) जो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर पाया है

(ii) जिसे मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया गया है

(iii) जिसे दी गई जानकारी अधूरी या झूठी या भ्रामक हो।

(vi) जिसे लगता है कि लिया गया शुल्क अनुचित है

(v) जिसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

''राज्य सूचना–आयोग''

यह केंद्रीय सूचना आयोग के समान है। इसकी समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य मंत्री द्वारा राज्य मंत्री सदस्य के रूप में होते है।

''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग''

1978 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 में कार्यकारी संकल्प के माध्यम से की गई थी।

एनसीएम (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) अधिनियम 1992 के अधिनियम के साथ, अल्पसंख्यक आयोग का नाम बदलकर, ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' कर दिया गया और, 1993 में पहला वैधानिक आयोग गठित किया गया।

संरचनाः यह एक बहु–सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते है।

नामांकनः केन्द्र सरकार द्वारा

कार्यकालः 3 साल

कार्यः संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदत्त अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के काम की निगरानी करना।

अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले और विशेष रूप से उनके द्वारा पुष्टि की गई कठिनाइयों के लिए केंद्र सरकार को समय–समय पर या विशेष रिपोर्ट देना।

नोटः

1. 23 अक्टूबर, 1993 को अधिसूचना जारी करके, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय में पांच धार्मिक समुदायों को शामिल किया गया थाः जो निम्नलिखित हैः–

(i) मुस्लिम, (ii) सिक्ख, (iii) इसाई, (iv) बुद्ध, (v) जोरास्ट्रियन (पारसी)

2. जैन धर्म को 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल कर लिया गया।

इस प्रकार वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या छह है। यदि किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किया गया है तो वे अपने समुदाय के सदस्य के लिए अलग संस्था स्थापित नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं – भारतीय प्रधान मंत्री अध्यक्ष, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके विकल्प केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और NITI Aayog (पूर्व योजना आयोग) के सदस्य भारत के राष्ट्रपति को छोड़कर इसकी स्थापना 1952 में किया गई थी।

(SSC CGL 03.08 2016, 03.09.2016)(SSC FCI 05.02.2020)
(RRB NTPC06.04.2021) (SSC CONSTABLE GD 12.01.2023)

यह पंचवर्षीय योजना के मसौदे को मंजूरी देता था।

(SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

NABARD (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCW) को 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

(SSC JUNNIOR ENGNEER 22.01.2018)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) 1956 के संसद के अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा गठित वैधानिक निकाय है।

(SSC CGL 13.06.2019)

ट्रेड यूनियन कम से कम 7 श्रमिक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और इसे ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत करवा सकते हैं।

भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसका गठन मई, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और दिशा देने के लिए किया गया था।

@apna_pdf

@apna_pdf

18. प्रमुख संवैधानिक संशोधन

परिचय:

दुनिया के किसी भी अन्य लिखित संविधान की तरह, भारत का संविधान भी बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित करने के लिए इसमें संशोधन का प्रावधान करता है।

संविधान के भाग XX का अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है

इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है।

(SSC MTS 06.08.19)(SSC CHSL 04.03.2018) (RRB NTPC 16.01.2021)

भारत ने दक्षिण अफ्रीका से संशोधन के लिए प्रक्रियाएँ उधार लीं।

(SSC CGL 06.03.2020)
(SSC CPO 05.06.2016)

हालाँकि, संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के श्मूल ढांचेश का निर्माण करते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में फैसला सुनाया गया था।

महत्वपूर्ण संशोधन

पहला संशोधन अधिनियम (प्रथम), 1951

संवैधानिक (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951 भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था।

(SSC CGL 11.06.2019, 07.03.2020,) (SSC CPO 05.06.2016) SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 05.06.2016) (SSC MTS 06.08.19,) (RRB NTPC 04.01.2021)

कारण:

मामलों में शामिल मुद्दों में भाषण की स्वतंत्रता, जमींदारी भूमि का अधिग्रहण, राज्य और व्यापार का एकाधिकार आदि शामिल थे।

संशोधन:

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को अधिकार दिया

सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत के लिए प्रदान किया गया

भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के तीन और आधार जोड़े गए: सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और एक अपराध के लिए उकसाना भी, इसने प्रतिबंधों को 'उचित' और इस प्रकार, प्रकृति में न्यायसंगत बना दिया।

बशर्ते कि राज्य व्यापार और राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं है।

सातवां संशोधन अधिनियम (7वां), 1956

कारण:

राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को लागू करना और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को लागू करना

संशोधन:

दूसरी और सातवीं अनुसूचियों में संशोधन किया गया राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण को चार श्रेणियों यानी भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी राज्यों में समाप्त कर दिया और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार

दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रावधन किया गया।

नोट: भारत के संविधान के भाग 7, जिसे अनुसूची 1 के भाग बी राज्य कहा जाता है, में केवल एक अनुच्छेद 238 शामिल है। यह संविधान सभा द्वारा जोड़े गए 22 मूल भागों में से एक है। तब से, केवल इस भाग को 1956 में सातवें संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

दसवां संशोधन अधिनियम (10वां), 1961

संशोधन:

पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप दादरा, नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना

ग्यारहवां संशोधन अधिनियम (11वां), 1961

संशोधन:

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करके उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदला

बशर्ते कि उपयुक्त निर्वाचक मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

बारहवां संशोधन अधिनियम (12वां), 1962

संशोधन:

गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया

(SSC CHSL 12.08.21)

तेरहवां संशोधन अधिनियम (13वां), 1962

संशोधन:

नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए

(SSC CAPFs SI & ASI DELHI POLICE SI 13.03.2019)

चौदहवां संशोधन अधिनियम (14वां), 1962

संशोधन:

280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया,

(SSC MTS 08.08.2019)

हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए प्रदान किया गया

15वाँ संविधान संशोधन 1963

अनुच्छेद 217 के प्रावधानों में संशोधन के साथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अब साठ के बजाय बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए

अठारहवां संशोधन अधिनियम (18वां), 1966

संशोधन:

यह स्पष्ट किया कि नया राज्य बनाने की संसद की शक्ति में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति भी शामिल है।

इसने शाह आयोग के आधार पर पंजाब और हरियाणा नामक नए राज्यों का निर्माण किया

इक्कीसवां संशोधन अधिनियम (21वां), 1967

संशोधन:

सिंधी को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया

चौबीसवां संशोधन अधिनियम (24वां), 1971

कारण:

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) का मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संसद के पास संविधान में संशोधन के माध्यम से किसी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर उसे अपनी सहमति देना अनिवार्य कर देता है

(SSC MTS 04.12.11,22.08.19)

संशोधन:

अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की

राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया

पच्चीसवां संशोधन अधिनियम (25वां), 1971

संशोधन:

संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया

बशर्ते कि अनुच्छेद 39 (बी) या (सी) में निहित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

छब्बीसवां संशोधन अधिनियम (26वां), 1971

संशोधन:

रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया

इकतीसवां संशोधन अधिनियम (31वां), 1973

कारण:

1971 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि का पता चला।

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

संशोधन:
लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करना।

छत्तीसवां संशोधन अधिनियम (36वां), 1975

संशोधन:
सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण रूप से 22वां राज्य बनाया

(RRB NTPC 22.01.2021)

और दसवीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

(SSC CGL Pre. 2022, 13.12.2022)

सैंतीसवां संशोधन अधिनियम (37वां), 1975

संशोधन: अनुच्छेद 239–ए और 240 में संशोधन किया गया और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और एक विधानमंडल और मंत्री परिषद के निर्माण का प्रावधान किया गया

(SSC CPO SI 05.06.2016)

अनुच्छेद 239(2) राष्ट्रपति को एक राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।

(SSC CONSTABLE GD 24.01.2023)

उनतालीसवां संशोधन अधिनियम (39वां), 1975

कारण:
यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में अधिनियमित किया गया था जिसने राजनारायण की याचिका पर पीएम इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था।

संशोधन:
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा जाता है, उनका निर्णय ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

बयालीसवां संशोधन अधिनियम (42वां), 1976

42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता हैं और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह लाया गया था, संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदल दिया और "राष्ट्र की एकता" शब्द को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" से बदल दिया गया।

(SSC CHSL 23.03.18 14.10.20, 05.08.21)
(SSC MTS 21.08.19, 16.0819, 23.03.2018)
,(SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 07.07.2017),
(SSC CGL 11.08.2017) (RRB NTPC 23.02.2021)
(SSC CONSTABLE GD 25.01.2023, 02.02.2023,09.02.2023)

मौलिक अधिकारो पर नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राथमिकता दी

(RRB NTPC 20.01. 2021)

30 जून 2020 तक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है।

(SSC CPO 23.11.20)

संशोधन:
प्रस्तावना में तीन नए शब्द अर्थात् समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए

नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य (नया भाग IV ए) जोड़े गए

(SSC CONSTABLE GD 16.01.2023. 25.01.2023)

कैबिनेट की सलाह से कार्य करने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया

अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायाधिकरणों के लिए प्रदान किया गया (भाग XIV जोड़ा गया)

1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों पर रोक – जनसंख्या नियंत्रण उपाय

न्यायिक जांच से परे संवैधानिक संशोधन किए

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को कम कर दिया

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया

बशर्ते कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया और ऐसे कानूनों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जाती है।

समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा जैसे तीन नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए।

भारत के क्षेत्र के एक हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को सुगम बनाया, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया

कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को किसी भी राज्य में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया

राज्य सूची से पांच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, अर्थात्‌ शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, बाट और माप और न्याय का प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन

संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया

संसद को अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को समय–समय पर तय करने का अधिकार दिया

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए अधिकार दिया

इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, जिसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51। सम्मिलित करने के रूप में लागू किया।

(RRB NTPC 01.04.202106.04.2021, 28.12.2020)
(SSC CPO 11.11.2022)
(SSCCONSTABLE GD 27.01.2023. 31.01.2023, 02.02.2023)

43वां संशोधन अधिनियम (43वां), 1977

संशोधन:
न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के लिए संसद को उसकी विशेष शक्तियों से वंचित कर दिया

44वां संशोधन अधिनियम (44वां), 1978

संशोधन:
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मूल कार्यकाल को बहाल किया (अर्थात, 5 वर्ष)

संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम से संबंधित प्रावधानों को बहाल किया

संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया

संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया

कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया लेकिन, पुनर्विचार सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी

अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों की संतुष्टि को अंतिम बनाने वाले प्रावधान को हटा दिया गया

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को बहाल किया

राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में 'आंतरिक उपद्रव' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया

(SSC JUNIOR ENGINEER 22.01.18)

कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए बनाया

राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए

संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A को 44वें संशोधन 1978 द्वारा प्रभावित किया गया था।

(SSC CGL 21.04.13, 07.06.19)
(RRB NTPC 21.01.2021, 16.02.2021, 14.03.2021, 07.04.2021)
(SSC CONSTABLE GD 07.02.2023)

बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है

राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावी विवादों को तय करने के लिए अदालत की शक्ति को छीनने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया,

पचासवां संशोधन अधिनियम (50वां), 1984

संशोधन:
सशस्त्र बलों या खुफिया संगठनों के लिए स्थापित खुफिया संगठनों और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद को अधिकार दिया गया

बावनवां संशोधन अधिनियम (52वां), 1985

संशोधन:

@apna_pdf

@apna_pdf

चुनाव के बाद दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रदान किया गया और 1985 में एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई *(RRB NTPC 03.04.2021)* इस संबंध में विवरण शामिल करने का अर्थ है चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना

(SSC CAPF ASI 03.07.2017)

इस संशोधन में अनुच्छेद 101,102,190 और 191 में परिवर्तन किया गया। इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल–बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(SSC CGL 06.03.2020, 23.08.21) (SSC CHSL 10.03.2018) (SSC MTS 14.08.19, 21.10.2011)

छप्पनवां संशोधन अधिनियम (56वां), 1987

1987 के छप्पनवें संशोधन अधिनियम ने गोवा विधान सभा की शक्ति निर्धारित की

कम से कम 30 सदस्य और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया।

(SSC CGL 20.08.21) (RRB NTPC 02.03.2021)

अठावनवां संशोधन अधिनियम (58वां), 1987

संशोधन:

हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के लिए प्रदान किया गया और संविधान के हिंदी संस्करण को समान कानूनी मान्यता दी गई।

इकसठवां संशोधन अधिनियम (61वां), 1989

संशोधन:

1989 में लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई

(SSC CML 30.03.08)(SSC GD 22.04.12)(SSC CHSL 15.11.15 05.08.21)(SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 01.07.2017) (RRB NTPC 17.02.2021, 01.03.2021, 13.01.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022)

पैंसठवां संशोधन अधिनियम (65वां), 1990

संशोधन:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया।

उनहत्तरवां संशोधन अधिनियम (69वां), 1991

संशोधन:

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में डिजाइन करके एक विशेष दर्जा प्रदान किया

(RRB NTPC 16.02.2021, 21.03.2021)

संशोधन में 70 सदस्यीय विधान सभा और 10 प्रतिशत से अधिक यानी दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के निर्माण का भी प्रावधान है।

इकहत्तरवां संशोधन अधिनियम (71वां), 1992

संशोधन:

आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने के साथ, अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई।

तिहत्तरवां संशोधन अधिनियम (73वां), 1992

संशोधन:

इस उद्देश्य के लिए पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के साथ–साथ वित्तीय शक्ति और संरक्षण प्रदान किया गया, संशोधन ने 'पंचायतों' के रूप में एक नया भाग–IX और पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय वाली एक नई ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा है।

(SSC MTS 16.02.2014, 02.11.21)(SSC CHSL 16.11.2014, 06.12.2015, 20.03.2018,(SSC CML 24.10.1999) (RRB NTPC 03.04.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022)

चौहत्तरवां संशोधन अधिनियम (74वां), 1992

संशोधन:

इस उद्देश्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, संशोधन ने श्नगर पालिकाओंश के रूप में एक नया भाग IX-A और नगरपालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय वाली एक नई बारहवीं अनुसूची को जोड़ा है।

(SSC MTS 20.08.19)

नगर पालिकाओं के साथ–साथ पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें भी प्रदान करेंगा।

(SSC CHSL 08.03.18) (RRB NTPC 23.07.2021) (SSC CGL Pre. 2022, 02.12.2022)

पचहत्तरवां संशोधन (75वां), 1993

राष्ट्रीय किराया न्यायाधिकरण के विचार का प्रस्ताव दिया

संविधान (76वां संशोधन) अधिनियम, 1994

1. यह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर, 1992 को फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4B) के तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सत्तरवां संशोधन अधिनियम (77वां), 1995

संशोधन:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन ने पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

इकतासीवां संशोधन अधिनियम (81वां), 2000

संशोधन:

किसी वर्ष की खाली आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया है कि रिक्तियों की एक अलग श्रेणी को किसी भी सफल वर्ष या वर्षों में भरा जाना है। उस वर्ष की कुल रिक्तियों की संख्या पर 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए। संक्षेप में, इस संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया।

बयासीवां संशोधन अधिनियम (82वां), 2000

संशोधन:

केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में कोई प्रावधान करने के लिए प्रदान किया गया

चौरासीवां संशोधन अधिनियम (84वां), 2001

संशोधन:

जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुर्नसमायोजन पर प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों (अर्थात 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया। दूसरे शब्दों में, लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक समान रहेगी। इसने 1991 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नसमायोजन और युक्तिकरण के लिए भी प्रावधान किया।

85वां संशोधन अधिनियम (85वां), 2001

संशोधन:

जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में 'परिणामस्वरूप वरिष्ठता' प्रदान की गई।

छियासीवां संशोधन अधिनियम (86वां), 2002

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में संशोधन

इस अधिनियम का पूरा शीर्षक "मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम" है। यह अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। जब अधिनियम 2010 में लागू हुआ, तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।

86वें संवैधानिक संशोधन (2002) ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A डाला, जिसमें कहा गया है कि "राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।"

(SSC MTS 11.12.2011) (SSC CGL 07.06.19, SSC MTS 13.08.19) (RRB NTPC 12.03.2021 06.04.2021, 04.01.2021, 22.02.2021) (SSC CPO 11.11.2022)

6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करना । अनुच्छेद 51A के तहत माता–पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था, बच्चों की शिक्षा पर अंतिम उप–धारा(K) को 2002 में एक भाग के रूप में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों ने निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया।

(SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 05.06.2016, 11.12.2019) (SSC CGL Pre. 2022, 06.12.2022) (SSC CPO 10.11.2022)(SSC CONSTABLE GD 11.01.2023, 13.01.2023, 09.02.2023)

सत्तासीवां संशोधन अधिनियम (87वां), 2003

संशोधन:

2001 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नसमायोजन और युक्तिकरण के लिए प्रदान किया गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर जैसा कि 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा पहले प्रदान किया गया था।

नवासीवां संशोधन अधिनियम (89वां), 2003

संशोधन:

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग–अलग निकायों में विभाजित किया गया, अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338–A)।

इक्यानबेवां संशोधन अधिनियम (91वां), 2003

संशोधन:

@apna_pdf

@apna_pdf

मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने, दलबदलुओं को सार्वजनिक पदों पर बैठने से रोकने और दल–बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए

(SSC MTS 20.08.19)

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

(SSC CHSL 15.10.20) (RRB NTPC 12.03.2021) SSC CGL Pre. 2022, 08.12.2022)

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो दल–बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परन्तु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो इस आधार पर अयोग्य है

संसद के किसी भी सदन या किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल–बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, वह भी किसी भी पारिश्रमिक राजनीतिक पद को धारण करने के लिए अयोग्य होगा। अभिव्यक्ति "लाभदायक राजनीतिक पद" का अर्थ है:-

- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई कार्यालय जहां ऐसे कार्यालय के वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित सरकार के सार्वजनिक राजस्व से किया जाता है या,
- किसी निकाय के अंतर्गत कोई भी कार्यालय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या आंशिक स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो और वेतन या,
- ऐसे कार्यालय के लिए पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे निकाय द्वारा किया जाता है, सिवाय इसके कि ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रकृति में प्रतिपूरक प्रकृति का हो (अनुच्छेद 361–बी)।

दसवीं अनुसूची (दल–बदल विरोधी कानून) के विधायक दल के एक–तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि विभाजन के आधार पर दलबदलुओं के पास अब कोई सुरक्षा नहीं हैं।

बानवेवां संशोधन अधिनियम (92वां), 2003

संशोधन:

आठवीं अनुसूची में चार और भाषाओं को शामिल किया गया वे बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली हैं। इसके साथ, संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई।

(SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 05.06.2016) (RRB NTPC 26.07.2021)

93वां संशोधन अधिनियम (93वां), 2005

संशोधन:

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों (चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर–सहायता प्राप्त हो) सहित शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया (अनुच्छेद 15 के खंड (5) में)।

छियानबेवां संशोधन अधिनियम (96वां), 2011

संशोधन:

"उड़िया" को "ओडिया" से प्रतिस्थापित किया गया, परिणामस्वरूप, आठवीं अनुसूची में "उड़िया" भाषा का उच्चारण "ओडिया" के रूप में किया जाएगा।

97वां संशोधन अधिनियम (97वां), 2011

संशोधन:

सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:

इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 बनाया

इसमें सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल था।

इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा जो "सहकारी समितियों" का हकदार है।

99वां संशोधन अधिनियम (99वां), 2014

संशोधन:

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) नामक एक नए निकाय के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया।

हालाँकि, 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। नतीजतन, पहले की कॉलेजियम प्रणाली फिर से सक्रिय हो गई

एक सौवां संशोधन अधिनियम (100वां), 2014

संशोधन:

1974 के भूमि सीमा समझौते और 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों का हस्तांतरण (परिक्षेत्रों के आदान–प्रदान और प्रतिकूल कब्जे के प्रतिधारण के माध्यम से) लागू किया गया

इस प्रयोजन के लिए, इस संशोधन अधिनियम ने संविधान की पहली अनुसूची में चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा) के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया।

(SSC JUNIOR ENGINEER CIVIL 22.01.2018) (RRB NTPC 23.07.2021)

एक सौ एकवां संशोधन अधिनियम (101वां), 2017

संशोधन:

माल और सेवा कर का परिचय

वस्तु और सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर (या उपभोग कर) है जिसका उपयोग भारत में 1 जुलाई 2017 को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है, जिसने एक राष्ट्र एक कर की शुरुआत की।

(RRB NTPC 31.01.2021, 17.02.2021, 08.03.2021) (SSC CONSTABLE GD 02.02.2023)

यह एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य–आधारित कर है: व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

(SSC CGL 09.03.2020)

निगम कर विशेष रूप से और पूरी तरह से केंद्र सरकार को संविधान द्वारा सौंपा गया है।

102वा संशोधन अधिनियम , 2018

संशोधन: भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

(RRB NTPC 17.02.2021)

अनुच्छेद 338बी को अनुच्छेद 338 और 338ए के बाद संविधान में डाला गया, जो क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एसटी) से संबंधित है।

(SSC CGL 05.03.2020)

103वां, संशोधन अधिनियम 2019

संशोधन:

इसने स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की

अनुच्छेद 16 में संशोधन सार्वजनिक रोजगार में EWS को 10% आरक्षण की अनुमति देता है।

(SSC CAPFs SI &ASI DELHI POLICE SI 12.03.2019, SSC CHSL 02.07.2019) (SSC CGL Mains 2022, 07.03.2023)

समानता के लिए युवा ने 103वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया

गुजरात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था।

(SSC CGL 11.06.2019) (RRB NTPC 17.01.2021)

104वां, संशोधन अधिनियम 2019

इसने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो–इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।

इसने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को दस साल तक बढ़ा दिया। विधेयक ने संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करने का प्रयास किया।

(SSC CONSTABLE GD 31.01.2023)

105वां, संशोधन अधिनियम 2021

105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार देना है। जिसे 102वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया था

एक सौ चौबीसवां संशोधन विधेयक, 2019 इसे 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक नागरिकों के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" को 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।

(SSC CHSL 02.07.19) (RRB NTPC 15.02.2021)

नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता बरकरार रखी।

(SSC CGL Pre. 2022, 07.12.2022)

महत्वपूर्ण तथ्य : (अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे)

- श्रीलंका में 225 सांसद हैं।

(SSC CGL 10.06.19)

- इस्कंदर अली मिर्जा एक पाकिस्तानी सेना के मेजर–जनरल और 1956 में चुने गए पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे।

(SSC CGL 10.06.19)

@apna_pdf

- चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नेशनल पीपुल कांग्रेस 2980 सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी विधायिका है।

(SSC CGL10.06.19)(SSC MTS 11.12.2011)

- वर्तमान में बांग्लादेश संसद में 350 सीटें हैं

(SSC CGL 10.06.19)

- पाकिस्तान वर्ष 1956 में एक संविधान बनाने में सफल रहा था

(SSC CGL 11.06.2019)

- शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधान मंत्री हैं।

(SSC CGL 11.06.2019)

- नेपाल मौजूदा जिले द्वारा गठित 7 प्राइवेसी में विभाजित है
- इंडियन पीस कीपिंग फोर्स (IPKF) को वर्ष 1987 में श्रीलंका भेजा गया था। इसका गठन 1987 के भारत–श्रीलंका समझौते के शासनादेश के तहत किया गया था जिसका उद्देश्य श्रीलंकाई गृहयुद्ध को समाप्त करना था।

(SSC CGL 17.08.21)

- भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति की स्थापना की गई थी।
- श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का संविधान 7 सितंबर 1978 को राष्ट्रीय राज्य विधानसभा द्वारा इसकी मूल घोषणा के बाद से द्वीप राष्ट्र श्रीलंका का संविधान रहा है।

(SSC CHSL 15.04.21)

- समाजवादी विचारक समानता के अधिकार के विस्तार की वकालत करते हैं।
- नेपाल संविधान के अनुसार शासित है जो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था।

(SSC CHSL 11.08.21)

- 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, 1971 में बांग्लादेश अंततः पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वायत्त देश बन गया।

(SSC CPO 23.11.20)

- संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद "वीटो पावर" संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) की शक्ति को संदर्भित करता है ताकि किसी भी स्थायी प्रस्तावों को वीटो किया जा सके।

(SSC MTS 27.10.21)

- मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था।

(RRB NTPC 11.02.2021)

- 25 अप्रैल 1945 को, 50 सरकारें एक सम्मेलन के लिए सैन फ्रांसिस्को में मिलीं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्थापक सदस्य था।

(RRB NTPC 27.02.2021)

- एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली यह विधायिका में एक स्थिर बहुमत है।

(SSC CGL 19.10.14)

- न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, अन्य अध्यक्ष बी एन राव , आरएस पाठक और दलवीर भंडारी थे।

(SSC STENO 11.09.17)

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है।

(RRB NTPC 19.03.2021)

- विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थीं
- सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।

(SSC MTS 24.03.13)

- एक राष्ट्रपति प्रणाली सरकार की एक गणतांत्रिक प्रणाली है जहां सरकार का प्रमुख राज्य का प्रमुख भी होता है। *(SSC MTS 20.10.13)* और विधायिका से भी स्वतंत्र हैं।

(SSC CAPFs SI,CISF ASI 22.06.14)

- एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की विशिष्ट विशेषता यह विधायिका में एक स्थिर बहुमत सुरक्षित है।

(SSC CGL 19.10.14)

- लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद साम्यवादी राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

(SSC CGL 27.04.2014)

- शैडो कैबिनेट ब्रिटिश शासन व्यवस्था की विशेषता है।

(SSC CGL 27.04.2014)

- समाजवादी प्रकार की सरकार आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती है।

(SSC CGL 27.04.2014)

- राष्ट्र राज्य निर्विवाद रूप से संप्रभु है, उदाहरण के लिए इटली का राज्य का फासीवादी दृ ष्टिकोण है।

(SSC CGL 09.08.2015)

- सामुदायिक सरकार एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है।

(SSCCAPFs SI & ASI 05.07.2017)

- न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वशासी देश था जिसमें सभी महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट देने का अधिकार 1893 से था।
- वीके मेनन 1962 के चीन–भारतीय युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे, 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

(RRB NTPC 05.01.2021)

- भारत ने 1954 में चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे पुराना संविधान है।
- सरकार के राष्ट्रपति रूप में सुनिश्चित सरकार की स्थिरता अलगाव के सिद्धांत पर काम करती है
- राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारी सदस्य विधायिका के किसी भी सदन के अनिवार्य सदस्य नहीं होते हैं
- यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय है।

(RRB NTPC 04.02.2021)

- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में दो पार्टी प्रणालियाँ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी और यूके में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी।

(RRB NTPC05.03.2021)

Neon Classes Neon Classes Neon Classes @apna_pdf

हिंदी & English
BILINGUAL

TRUST ★★★★★

NEON CLASSES

WORD POWER
ROOT WORDS

USEFUL FOR :
CET, SSC CGL, CPO, CHSL, MTS, STENO, GD, CAT, GRE, CLAT, AFCAT, NDA, CDS, BANK, AIRFORCE GROUP X & Y and Other Competitive Exams.

- 2000 Words with Definition
- 1000+ Additional Words
- 16 Tests (800 Questions)

- SYNONYMS & ANTONYMS
- ONE WORD SUBSTITUTION
- ROOT OF THE WORD
- WORD MEANINGS & PARTS OF SPEECH

Manisha Bansal Ma'am
(Director & Author)
12 Years' teaching experience
• CAT • GMAT • GRE • SSC • BANK

@apna_pdf
@apna_pdf

Manisha Bansal Ma'am
(Director & Author)
12 Year's Teaching Experience
• CAT • GMAT • GRE • SSC • BANK

AIR-24
SSC (CGL)-2011

Raja Sir
Income Tax Inspector
16 Year's Teaching Experience
• CAT • GMAT • UPSC • SSC • BANK

Manisha Bansal Ma'am के 12 साल के Teaching Experience के दौरान लाखों बच्चों से उनके Interaction और बच्चों की English की Problems को समझकर बहुत मेहनत से ये Books तैयार की हैं।

इन Books को पढ़कर लाखों बच्चों ने अपना Improvement किया है और सरकारी नौकरी प्राप्त की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इन Books को पढ़कर सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे।

Manisha Ma'am आपसे एक रिव्यू/रेटिंग की अपेक्षा करती हैं।

★★★★★ VOCAB IS NOW FUN
Reviewed in India
Verified Purchase

5★ Perfect product! ★★★★★
Nic book and good explain ...
Certified Buyer, Kanpur

आपका एक रिव्यू & रेटिंग हमारे लिए उत्साहवर्धक है इससे हमें Motivation मिलता है। इसके अलावा आप अपने रिव्यू का Video बनाकर इस नम्बर 9828728833 पर WhatsApp करें।

आपके रिव्यूज में है दम.....
सरकारी नौकरी लेकर ही रहेंगे हम...

Available on : amazon | Flipkart

@apna_pdf

Best Selling Books

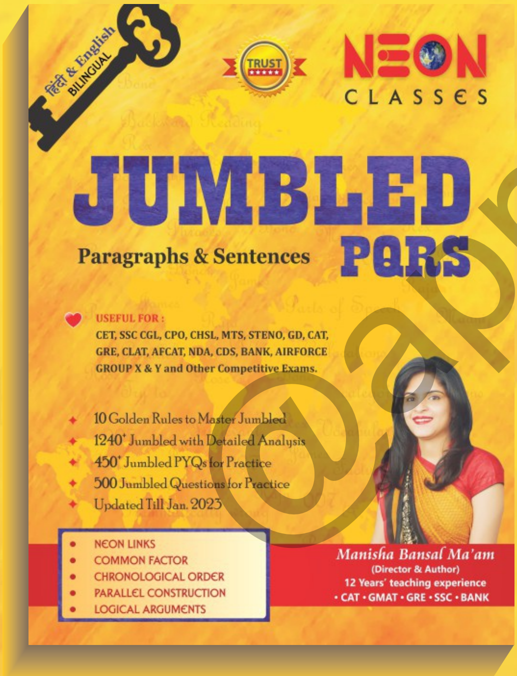

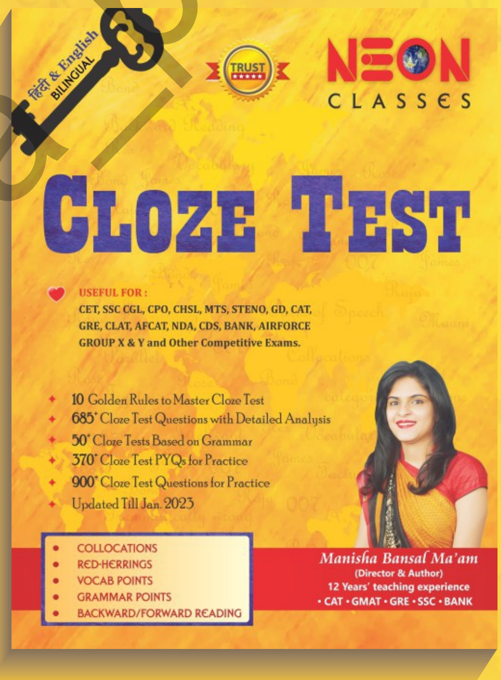

Click Here To Join our Telegram Channel

Neon Classes

e-Books | Neon Classes | Neon Classes App | Free Study Material

Head office

Plot No. 264, 2nd Floor, Opp. Pooja Tower,
Muktanand Nagar, (
Jaipur-302018

9828728833/34

@apna_pdf